प्रस्तावना

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) पूर्व में विस्फोटक विभाग, दिनांक 09.09.1898 को स्थापित किए जाने के बाद से ही जोखिम वाले, जैसे विस्फोटक विनिर्माण, संपिडित गैसों तथा पेट्रोलियम से संबंधित परिसरों के संबंध में सुरक्षा को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यान्वित है । इस संगठन ने जोखिम वाले पदार्थों के विनिर्माण/परिष्करण, भण्डारण, परिवहन, हैण्डलिंग और उनके उपयोग में सुरक्षा से संबंधित विषयों में एक सदी से भी अधिक समय से एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है । संगठन ने अस्सी के दशक के अंतिम वर्षो तक अपने सामान्य वैधानिक दायित्वों के अतिरिक्त जन सुरक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर भी स्वेच्छापूर्वक उत्कृष्ट स्तर की भूमिका निभाई है जिनमें विस्फोटकों का परीक्षण एवं डिस्पोजल, इम्प्रोवाईज्ड विस्फोटक डिवाइस शामिल हैं । इनमें से कुछ देश के स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों आदि के दौरान राष्ट्रीय महत्व के थे । पिछले सदी के नब्बे के दशक तक इस संगठन के अधिकारियों ने पूरे भारत वर्ष में एन्टी-सैबोटेज-चेक एवं अति विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा एवं विमान पत्तन, आदि की सुरक्षा का दायित्व भी पूरा किया । इस संगठन ने देश की पुलिस/सुरक्षा एवं गुप्तचर कर्मियों को विस्फोटकों/विस्फोटक डिवाइस एवं अन्य विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने, उनके परीक्षण व उनके सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल के बारे में प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि इस तरह की कोई अन्य एजेन्सी देश में नहीं थी । पिछले कई वर्षों में इस संगठन की गतिविधियों में कई गुना बढोत्तरी तथा अनेक क्षेत्रों में विस्तार हुआ है । वर्तमान में यह संगठन विस्फोटक, पेट्रोलियम, संपिडित गैसों, दाब पात्र, गैस सिलेण्डरों, पेट्रोलियम/ संपिडित गैसों की क्रॉसकंट्री पाईपलाईन्स, एलएनजी, सीएनजी, ऑटो एलपीजी आदि से जुडे व्यापक विषयों का कार्यभार संभाल रहा है ।

यह संगठन जिसमें कुल 137 अधिकारियों की स्वीकृत संख्या में से केवल 118 अधिकारी ही वर्तमान में कार्यरत है और आकार में अनेक सरकारी विभागों से काफी छोटा होने के उपरांत भी एक ऐसा संगठन है जो 2.77 लाख से भी अधिक जोखिम वाले परिसरों की सुरक्षा में कार्यरत है तथा अनेक उद्योगों और उपयोगकर्ता कंपनियों को विशेषज्ञ के रूप में तकनीकी एवं सुरक्षा मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, रेलवे, जहाजरानी, भूतल परिवहन, पर्यावरण एवं वन, नागरिक उड्डयन और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रतिष्ठान समाहित हैं ।

प्रारंभ में इस संगठन का दायित्व विस्फोटक अधिनियम (1884 का 4) को लागू करना था, जिसमें विस्फोटक भंडारण मैगजीनों का निरीक्षण तथा विस्फोटकों के भण्डारण एवं परिवहन से संबंधित होने वाली दुर्घटनाओं की जाँच तक ही सीमित था । इसके उपरांत दिनांक 17.02.1899 को लागू पेट्रोलियम अधिनियम (1899 का 8) तथा पेट्रोलियम नियम और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987 का प्रवर्तन भी इस विभाग को सौंपा गया । हालांकि, उस समय

विभिन्न प्रांतों में प्रचलित विभिन्न प्रांतीय नियमों के कारण पेट्रोलियम अधिनियम और नियम के प्रभावी प्रशासन में कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी ।

पूरे देश में इन नियमों के संबंध मे एकरूपता लाने के उद्येश्य से चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोझिव्स ने नये नियमों को लागू करने का प्रयास किया जो कि सभी की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप थे । अंतत: दिनांक 30.03.1937 को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 को अनुसूचित किया गया जिसने उस समय लागू विभिन्न राज्यों व केन्द्र के नियमों को समाप्त कर दिया । दिनांक 18.02.1937 को एक समेकित कैलशियम कार्बाईड नियम लागू किया गया । देश की स्वतंत्रता के उपरांत जोखिम परंतु उपयोग वाली सामग्री जैसे विस्फोटक, पेट्रोलियम आदि को भारत गणराज्य की यूनियन सूची में स्थान प्राप्त हुआ । तत्पश्चात पेट्रोलियम नियम 1937 को सम्यक रूप से पुनरीक्षित कर उसके स्थान पर पेट्रोलियम नियम, 1976 लागू किये गये जिन्हे वर्तमान परिस्थितियों, नई तकनीक के आने तथा राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा दिये गये रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये दिनांक 13/03/2002 को नए पेट्रोलियम नियम 2002 लागू किए गए । तत्पश्चात दिनांक 02/02/2007 और 15/06/2011 को दो संशोधन किए गए ।

इस दौरान विस्फोटक नियमों में भी कई परिशोधन एवं संशोधन किये गये जिसके कारण विस्फोटक नियम 1918 को विस्फोटक नियम 1940 द्वारा पुनरीक्षित किया गया, जिन्हे पुन: विस्फोटक नियम 1983 के द्वारा बदला गया । उपरोक्त नियमों को पुन: बृहत रूप से समालोचित कर दिनांक 29.12.2008 से विस्फोटक नियम 2008 लागू किए गए । अमोनियम नाइट्रेट के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्रम में तथा खनन और विस्फोटक विनिर्माण उद्योगों में इसके उत्पादन और उपयोग को विनियमित करने के लिए, विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट नियम बनाए गए जो दिनांक 11/07/2012 से प्रवृत्त हुए ।

वर्ष 1952 में ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम लागू हुए । गैस सिलेण्डर नियम जो 1940 में बनाए गये थे, उन्हे नए बृहत गैस सिलेण्डर नियम 1981 से प्रतिस्थापित किया गया । भारत सरकार की उदारीकरण नीति के कारण दिनांक 21/08/2004 से लागू इन नियमों को पुन: पुनरीक्षित कर नए गैस सिलेंडर नियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

अज्वलित दाबपात्र में प्रपुंज संपिडित गैसों के दाब पात्र में सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन हेतु पहली बार स्थिर तथा गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम 1981 को देश में लागू किया गया । नये क्षेत्र जैसे क्रायोजेनिक लिक्विड्स, ऑटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन, आदि को समाहित करने हेतु इन नियमों को समय-समय पर उचित रूप से संशोधित किया गया ।

संगठन ने अपनी जटिल कार्यप्रणाली व संवर्धित उत्तरदायित्वो, जिनमें इस विशाल देश के कोने-कोने में सुरक्षा प्रावधानो को लागू करना शामिल है, को सुचारू रूप से अनुपालन किये जाने तथा कार्यप्रणाली को आधुनिक रूप देने हेतु सूचना प्रौद्यौगिकी द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न उपकरणों

/मोडयूलो का उपयोग करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप इस संगठन के सभी कार्यालयों का एक नेटवर्क, जिसका सेंट्रल सर्वर नागपुर में स्थापित है, गठित किया गया है । साथ ही संगठन के सभी डाटा बेस को डिजीटाईज्ड कर इंटरनेट के द्वारा आम जनता की पहुँच इस डाटा बेस तक उपलब्ध कराई गई है । संगठन की वेबसाईट (peso.gov.in) पर सभी जनसदस्य अपने आवेदनो की स्थिति जान सकते है । विद्यमान अनुज्ञप्ति धारकों तथा नए आवेदकों को सुविधापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत विभिन्न आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु संगठन द्वारा जनता के लिए पब्लिक पोर्टल उपलब्ध किया गया है । संगठन द्वारा कार्यान्वित अन्य नियमों के अंतर्गत इसी तरह की सुविधाएं तथा विभिन्न नियमों के अंतर्गत लागू फीस के ऑनलाइन प्रेषण का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही जनता के लिए उपलब्ध किया जाएगा । आधुनिक तकनीक, नई कम्प्युटरीकृत कार्यप्रणाली, उन्नत मानवशक्ति का उपयोग कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षित कर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करना संगठन का उद्येश्य है । जिस तरह सुरक्षा के क्षेत्र में सभी संबंधित उद्योगों, विभिन्न सरकारी विभागो/संस्थानो तथा स्वायत्त निकायों द्वारा जोखिम वाले पदार्थों के हैण्डलिंग में संगठन की सलाह और मार्गदर्शन की मांग है, उससे सदी से भी अधिक अवधि में संगठन द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा परिलक्षित होती है ।

सबसे कुशल तकनीकी कार्य-बलयुक्त, सौहार्दपूर्ण काम करने की स्थिति, सक्रिय दृष्टिकोण, ज्ञान संर्वधन में उन्नयन, आईटी तकनीक का परिनियोजन और सुरक्षा हेतु समर्पण युक्त होकर आने वाले वर्षो में संगठन उत्कृष्टता की नई उंचाईयों की ओर अग्रसर है ।

डॉ एस. कमल
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

संगठन की भूमिका और कार्य

अग्नि और विस्फोटों से जनजीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संगठन को एक संविधिक प्राधिकरण के रूप में, विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 पर्यावरण (सुरक्षा अधिनियम),1986 तथा इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैः-

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 :</u>

1. विस्फोटक नियम, 2008
2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012
3. गैस सिलेन्डर नियम, 2004
4. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981
5. एसिटिलिन जनरेटर से संबंधित अधिसूचना सं. जीएसआर 625(ई) दि.07.08.1983

<u>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 :</u>

1. पेट्रोलियम नियम, 2002
2. कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987
3. चलचित्र फिल्म नियम, 1948 (यह सभी नियमो का लुप्त प्रयोग होने के कारण निरसित कर दिया गया हैा)

संगठन को मूल रूप से दो प्रकार की प्रमुख भूमिकाएं सौंपी गई है, जो है वैधानिक भूमिका और सलाहकार की भूमिका । उपरोक्त भूमिकाओं के अंतर्गत संगठन की गतिविधियों को संक्षिप्त में नीचे वर्णित किया गया है : -

2.1: वैधानिक भूमिका

विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत संगठन की वैधानिक भूमिका निम्नानुसार है :-

2.1.1: <u>विस्फोटक नियम, 2008</u>

साइट ले-आउट और परिसर के निर्माण योजना का अनुमोदन, विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और आयात/ निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना, विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत प्रमुख कार्य है । इसके अलावा, विस्फोटकों का अनुमोदन, विस्फोटकों के पैकिंग के लिए पैकेजेस का अनुमोदन, औजार, उपकरणों और मशीनरी आदि सहित विस्फोटकों के विभिन्न प्रकार के विनिर्माण के लिए सुरक्षित कार्यपद्धति और तरीकों का निर्धारण, विस्फोटक नियम के अंतर्गत संगठन की अन्य गतिविधियां है । संगठन विस्फोटकों से जुडी दुर्घटनाओं की जांच करता है और जनसुरक्षा हेतु अनुपयोगी/जब्त विस्फोटकों का नष्टीकरण करता है ।

संगठन अनुज्ञप्ति/अनुमोदन जारी करते समय नए परिसरों के सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु परिसरों का निरीक्षण तथा सुरक्षा जांच करता है तथा अनुज्ञप्त/अनुमोदित परिसरों का आवधिक निरीक्षण भी करता है ।

2.1.2: <u>अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012</u>

दिनांक 10 दिसंबर 2008 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2899(ई) के द्वारा केन्द्र सरकार ने "अमोनियम नाइट्रेट या उसके संयोजन" को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक विशेष वर्ग विस्फोटक पदार्थ के रूप में, को निर्दिष्ट किया है । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1678(ई) दिनांक 21 जुलाई 2011 के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र NH_4NO_3 है या किसी भी संयोजन में वजन में 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होने पर, जिसमें इमल्शन, सस्पेन्शन्स, मेल्ट्स या जेल्स (अकार्बनिक नाइट्रेट के साथ या उसके बिना) शामिल है, विस्फोटक अधिनियम 188_4 के अर्थ के अंतर्गत विस्फोटक समझा जाएगा ।

अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, जहाजीकुली और बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, अमोनियम नाइट्रेट को बिक्री या उपयोग हेतु रखने पर नियंत्रण रखने के लिए, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.553(ई) दिनांक 11 जुलाई 2012 के द्वारा, अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के द्वारा,अमोनियम नाइट्रेट नियम को विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत प्रकाशित किया जाएगा।

साइट लेआउट, परिसर निर्माण योजना का अनुमोदन, अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और बिक्री या उपयोग हेतु रखने के लिए अनुज्ञप्ति या द्रव का ठोस में या विलोमत: रूपांतरण, जहाजीकुली, बैगिंग, भंडारण, अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन, आयात, निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत प्रमुख कार्य है ।

संगठन द्वारा जनता की सुरक्षा हेतु उन दुर्घटनाओं की जांच की जाती है जिनमें अमोनियम नाइट्रेट शामिल है तथा बेकार/जब्त अमोनियम नाइट्रेट को नष्ट भी किया जाता है ।

2.1.3: <u>गैस सिलेण्डर नियम, 2004</u>

भारत सरकार की अधिसूचना सं. एम-1272(1) दि. 28 सितम्बर 1938 में पहली बार गैस सिलेण्डर नियम प्रकाशित हुए थे जिसमे यह घोषित किया गया कि कोई भी गैस जो मेटल कंटेनर मे संपीडित या द्रवित रूप मे अंतर्विष्ट है, वह विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ के अंतर्गत- विस्फोटक है। स्वतंत्रता के पश्चात गैस उद्योग मे विकास के मद्देनजर व्यापक पुनरीक्षण के पश्चात उपरोक्त नियम गैस सिलेण्डर नियम, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए है । आर्थिक उदारीकरण एंव वैश्वीकरण, एलपीजी का घरेलु एवं औद्योगिक ईंधन के रूप मे उपयोग, पर्यावरण संरक्षित आटोमोटिव ईंधन के रूप मे सीएनजी और एलपीजी का प्रारंभ, नई तकनीक, आदि के आगमन के कारण 20 वीं सदी के अंतिम दो दशकों में गैस उद्योग एवं इससे जुडे उद्योगो का महापुंज विस्तार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दोबारा समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई तथा संशोधन कर नए गैस सिलेण्डर नियम, 2004 बनाए गए ।

इन नियमों के अंतर्गत प्रमुख कार्य सम्मिलित है सिलेण्डर, वॉल्व, एलपीजी रेगुलेटरो के विनिर्माण इकाइयो को अनुमोदन प्रदान करना तथा इन उपकरणो का डिजाईन अनुमोदन। गैस सिलेण्डर भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन्स, भरे हुए सिलेण्डरों के भण्डारण परिसर तथा सिलेण्डर/वॉल्व के आयात का अनुज्ञप्तिकरण । इसके अलावा सिलेण्डर भरण अनुमति, सिलेण्डर परीक्षण केन्द्र, आदि को मान्यता, सिलेण्डरो, वॉल्व, रेगुलेटरो, आदि के मानको के बनाने मे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । संगठन इन नियमो के अनुपालन को सुनिश्चित कर सुरक्षा जागृकता लाने के उद्देश्य से गैस इन्स्टॉलेशन, भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन, सिलेण्डर, वॉल्व तथा रेगुलेटर विनिर्माण इकाइया, आदि जो उपरोक्त नियमो के अंतर्गत अनुमोदित/अनुज्ञप्त है, की नियमित रूप से संपरीक्षा करता है ।

नियमो के विनियमन तथा सरलीकरण के संदर्भ मे गैस सिलेण्डर नियम, 2004 की मुख्य विशेषताएँ है :-

क 2500 लि. क्षमतावाले स्पेशल कंटेनरो तथा नॉन-मेटालिक मटेरियल से बने कंपोजिट सिलेण्डरों को गैस सिलेण्डर नियमों के अंतर्गत लाने के लिए इन नियमों की व्याप्ती बढाना।

ख भरे हुए सिलेण्डरों को बिना अनुज्ञप्ति रखने की छूट की सीमा बढाना और अनुज्ञप्ति प्रदान करना तथा नवीकरण की अवधि बढाना ।

ग भरण संयंत्र के निर्माण, सिलेण्डरो के एक गैस सर्विस से दूसरे मे परिवर्तित करना तथा अविषैली अज्वलनशील गैसो का सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच सिलेण्डर-भरण तथा इन सभी के लिए विनिर्देशो तथा प्लान के पूर्वानुमोदन की जरूरतो को पूर्ण करना ।

घ अनुज्ञप्तीधारक की मृत्यु या स्वामित्व बदलने पर अनुज्ञप्ति के अंतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण।

2.1.4: **स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981**

इन नियमों के प्रशासन से संबंधित संगठन के कार्य निम्नलिखित है :-

दाब पात्र सेफ्टी फिटिंग के फैब्रिकेशन शॉप और उनके डिजाइन हेतु अनुमोदन, संपिडित गैस के भण्डारण के अधिष्ठापनों तथा सडकों द्वारा उन गैसों के परिवहन हेतु अनुज्ञप्तियां, पात्रों के आयात हेतु अनुमति, पात्रों के निर्माण/ सुधार, अंतिम परीक्षण और आवधिक परीक्षण के समय निरीक्षण तथा प्रमाणित करने के लिए अभिकर्ताओं/सक्षम व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना ।

संगठन द्वारा नए परिसरों को अनुज्ञप्तियां/अनुमोदन प्रदान करते समय सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु निरीक्षण और सुरक्षा जांच की जाती है और आवधिक निरीक्षण भी किया जाता है । उपरोक्त कार्यो में सुरक्षा जांच, आवधिक परीक्षण रिपोर्ट तथा पात्रो के फैब्रिकेटर्स और प्रमाणन एजंसियों के कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण भी शामिल है ।

2.1.5: **एसिटिलीन संबंधी दिनांक 07.08.1983 की अधिसूचना सं.जीएसआर. 625-(ई)**

एसिटिलीन जब द्रव हो या दबाव में हो या वायु या आक्सीजन के साथ मिश्रण में हो, तो वह अति विस्फोटक होती है । एसिटिलीन का उत्पादन और एसिटिलीन जनेरेटर का अनुमोदन इस

अधिसूचना के अंतर्गत शासित है । संगठन एसिटिलीन जनेरेटर के विभिन्न प्रकार तथा एसिटिलीन संयंत्र को अनुमोदन प्रदान करता है । कार्यरत एसिटिलीन सिलेण्डर फिलिंग संयंत्र के नियमित निरीक्षणों के अलावा, प्रत्येक जनेरेटर निष्पादन का मूल्याकंन करने के साथ ही उनकी योग्यता के निर्धारण हेतु विनिर्माता के स्थान पर तथा एसिटिलीन जनेरेटर विनिर्माण सुविधाएं तथा जनेरेटर स्थापित किए गए कारखानों में, अधिकारियों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के साथ संयुक्त रूप से जनरेटरों के ट्रायल रन लिए जाते है ।

2.1.6: **पेट्रोलियम नियम, 2002**

अधिनियम और नियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन द्रव या हाइड्रोकार्बन द्रव का मिश्रण और हाइड्रोकार्बन द्रव मिले हुए किसी ज्वलनशील मिश्रण से परिभाषित किया गया है । इन नियमों के प्रशासन संबंधी निम्नलिखित कार्यो के अनुमोदन समाविष्ट है - रिफाईनरी, पेट्रोकेमिकल तथा तेल और गैस प्रसंस्करण संयंत्र, पेट्रोल का भूमिमार्ग व पाइपलाईनों द्वारा परिवहन, ऐसे स्थानों पर जहां ज्वलनशिल गैस तथा वाष्प भरी हो, वहां उपयोग में लाए जाने वाले अन्य उपयुक्त संरक्षित बिजली के उपकरण और अन्य सुरक्षा उपकरणों को फ्लेमप्रूफ करना, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिंग/सर्विस स्टेशन, पेट्रोलियम स्टोरेज अधिष्ठापन, सडकों द्वारा परिवहन करने हेतु टैंक-ट्रकों की अनुमति, एयरक्राफ्ट/ भारी मशीनरी रिफ्युलर का अनुज्ञप्तिकरण और साथ ही डॉक एन्ट्री , मॅन एन्ट्री और हॉट वर्क हेतु पेट्रोलियम ले जा रहे पात्रों/जहाजों को गैस-फ्री सर्टिफिकेट प्रदान करना ।

सुरक्षा के उपाय तथा नियमों का अनुपालन करने हेतु संगठन द्वारा इन परिसरों मे सेफटि ऑडिट किया जाता हैा

2.1.7: **कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987**

कैलशियम कार्बाईड को ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ घोषित किया गया है और उसके लिए पेट्रोलियम अधिनियम लागू किया गया है । कैलशियम कार्बाईड नमी के साथ जुडकर एसिटिलीन गैस निर्मित करता है, जिसकी विस्फोटक सीमाएं अति विस्तृत है । कैलशियम कार्बाईड को भरने के पात्रों को अनुमोदन देने तथा बिक्री या एसिटिलिन के निर्माण हेतु कैलशियम कार्बाईड के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करने का कार्य इन नियमों के अंतर्गत संगठन को सौंपा गया है ।

2.1.8: **चलचित्र फिल्म नियम, 1948**

चलचित्र फिल्मों, जिनमें नाइट्रो-सेलुलोज आधार रहता है, उनका भण्डारण और परिवहन बडे पैमाने में अग्नि बाधा उत्पन्न करते है । इन नियमों के अंतर्गत ऐसी फिल्मों के भण्डारण और परिवहन का कार्य शासित है तथा भण्डारण के परिसरों का अनुज्ञप्तिकरण इस संगठन द्वारा किया जाता है । काफी समय से नाइट्रो-सेलुलोज आधारित फिल्मों से सुरक्षा फिल्मो (पॉलिएस्टर आधार) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । अतः यह नियम निरर्थक हो गए है तथा इन्हें निरस्त करने की सिफारिश की गई है ।

2.2 परामर्शकारी भूमिका

विस्फोटकों, पेट्रोलियम, कार्बाईड ऑफ कैलशियम, गैस सिलेण्डर्स, दाब पात्रों और अन्य खतरनाक वस्तुओं मे आग और विस्फोट रोकने हेतु विशेष तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं में विशेषज्ञता लिए, संगठन परामर्श प्रदान करता है । संगठन न केवल उद्योग के लिए वरन सरकारी तथा अन्य संस्थाएं जैसे बंदरगाह, रेलवे, रक्षा-संगठनों, भूतल परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, आदि के लिए भी परामर्श प्रदान करता है ।

संगठन भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित मानको के फॉरमुलेशन, बंदरगाहों के उप-नियम, इंडियन रेड टैरिफ और खतरनाक वस्तुओं के रेल-मार्ग, भूमि-मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग संबंधित परीवहन के विनियमनों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा गठित सेंट्रल क्रायसिस ग्रूप के सदस्य है और अन्य अधिकारी भी राज्य तथा जिला स्तर पर सेंट्रल क्रायसिस ग्रूप का प्रतिनिधित्व करते है ।

संगठन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

3.1 निम्नांकित के सम्बन्ध में साईट-ले-आउट व विनिर्माण नक्शों की संवीक्षा तथा मूल्यांकन(अप्रैजल) :

- विस्फोटक विनिर्माण कारखाने
- विस्फोटक भंडारण परिसर
- अमोनियम नाइट्रेट परिसर
- आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने
- आतिशबाजी गोदाम तथा दूकाने
- बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन
- गैस सिलेण्डर भरण संयंत्र
- सीएनजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- गैस से भरे सिलेण्डरों के लिये भंडारण शेड
- दाब पात्रों में संपिडित गैसेस हेतु प्रपुंज भण्डारण अधिष्ठापन
- आटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- पेट्रोलियम भंडारण शेड
- पेट्रोलियम के परिवहन के लिए टैंक ट्रक
- पेट्रोलियम तथा गैस के परिवहन के लिए क्रास-कंट्री पाईपलाईन्स
- पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन
- कैलशियम कार्बाइड भंडारण परिसर

3.2: विस्फोटक वॅन, बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन, दाबपात्रों में बल्क संपीडीत गैस/क्रायोजनिक लिक्विड के परिवहन के लिए वाहन, सुरक्षा फिटिंग सहित पेट्रोलियम कंटेनर और टैंक ट्रक के डिजाईन व रचना, इन सभी प्रस्तावो के अनुमोदन हेतु संवीक्षा तथा उनका मूल्यांकन ।

3.3: उपरोक्त संदर्भित 3.1 तथा 3.2 के अंतर्गत परिसरों/ईकाइयों/वाहनों आदि के अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित कार्य ।

3.4: अनुमोदन जारी करने हेतु पेट्रोलियम परिष्करणों, पेट्रोकेमिकल इकाइयों, कैलशियम कारबाईड कारखानो तथा एसीटीलीन गैस जनरेटिंग संयंत्र के लेआउट, आदि की संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.5: लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के साथ-साथ अन्य ज्वलनशील गैस/खतरनाक रसायनों हेतु डिजाईन, निर्माण, पाईपलाईन के लेईंग एवं ऑपरेशन आदि के प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.6: भारत मे निर्मित और आयातित दाब पात्रों तथा उनके फिटिंग्स के डिजाईन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.7: एलपीजी रेगुलेटरों सहित भारत मे निर्मित और आयातित गैस सिलेण्डरों तथा उनमें लगे वॉल्वों के डिजाईन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.8: भारत मे निर्मित और आयातित अज्वलनशील, आंतरिक रूप से सुरक्षित तथा ज्वलनशील गैसो/वाष्पों से भरे संकटपूर्ण स्थानों के लिए उपयोगी विशेष विद्युत उपकरणों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.9: दाबपात्र और उनकी फिटिंग निर्माण करनेवाले कारखानों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.10: सिलेण्डर परीक्षण केन्द्रो को मान्यता प्रदान करने के लिए सिलेण्डरों के आवधिक परीक्षण हेतु परीक्षण केन्द्रो के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.11: विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम व्यक्तियों एवं निरीक्षकों को मान्यता ।

3.12: शॉट फायरर परमिट और फोरमेन प्रमाणपत्र जारी करना ।

3.13: उपरोक्त उल्लिखित ईकाइयों की नियमित जाँच ।

3.14: खराब, दावा न किए हुए /अनुपयोगी/जब्तशुदा विस्फोटकों का नष्टीकरण ।

3.15: हॉट वर्क, पेट्रोनियम टैंको में मॅन एन्ट्री तथा डॉक में इन पात्रों के प्रवेश होने से पूर्व इनके लिए गैस-फ्री प्रमाण पत्र देने के लिए पात्रों का परीक्षण करना ।

3.16: विभाग द्वारा संचालित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आने वाले पदार्थो से जुडी दुर्घटनाओ के कारण एवं किए गए उल्लंघन को जानने हेतु दुर्घटनाओं की जाँच करना

3.17: विस्फोटकों के आयात, निर्यात एवं परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना ।

3.18: अनिवार्य परीक्षण और जाँच के बाद नये विस्फोटकों को अधिकृत करना ।

3.19: आयात किए हुए और भारत में निर्मित सभी गैस सिलेण्डरों के भरण/उपयोग के लिए अनुमति देना ।

3.20: गैस सिलेण्डरों एवं दाबपात्रों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति/परमिट जारी करना ।

3.21: विभिन्न नियमों के अंतर्गत आवधिक विवरणी की संवीक्षा ।

3.22: नियमो में संशोधन एवं पुनरीक्षण तथा जन-सुरक्षा में, जहां भी जरूरी हो, छूट देना ।

3.23: बन्दरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे अधिकारीयों को अनुरोध पर निम्नलिखित हेतु सलाह:-

- परिसंकटमय वस्तुओं का वर्गीकरण;
- खतरनाक वस्तुओं का भंडारण/परिवहन के लिए पैंकिग व शर्तो का निर्धारण;
- विस्फोटकों को लादने/उतारने और परिवहन की सुविधाओं के लिए स्थान, विस्फोटक, ज्वलनशील एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के ट्रांजिट भंडारण के लिए स्थान का चयन ।

3.24 :खतरें के वर्गीकरण के लिए विस्फोटक/संकटमय वस्तुओं की जांच/परीक्षण ।

3.25 :उपर वर्णित अधिनियमों और नियमों से सम्बन्धित खतरनाक पदार्थो, विस्फोटक, ज्वलनशील व अन्य खतरनाक वस्तुओं के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार, उद्योग और अन्य संगठनों को सलाह देना ।

3.26 रक्षा मंत्रालय, भारतीय मानक संस्थान (बी.आई.एस.) और अन्य मंत्रालयों व विभागों द्वारा नियुक्त अनेक समीतियों में बतौर अध्यक्ष या सदस्य के रूप मे भाग लेना ।

3.27 : खतरनाक रासायनों को सुरक्षित तरीके से संभालने, पेट्रोलियम-उत्पाद, विस्फोटक तथा संपीडीत गैसों से सम्बन्धित अनेक संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठी, परिचर्चा और कार्यशालाओं में भाग लेना ।

प्रशासन, बजट और अवसंरचना

4.1 स्वीकृत पद तथा अवसंरचना

वर्तमान में इस संगठन में **137** ग्रूप - **'ए'** अधिकारी और **343** ग्रूप 'बी', और 'सी', कर्मचारियों की स्वीकृत क्षमता है । उपरोक्त पदों में से ग्रूप 'ए' के **19** पद और 57 ग्रुप 'बी', तथा 'सी' के पद विभिन्न प्रशासनिक कारणों से रिक्त है । **मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन का **मुख्यालय नागपुर** में है । मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फरीदाबाद एवं आगरा में पेसो के **5** अंचल कार्यालय स्थित है जिनका नेतृत्व **संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** करते है। विभिन्न अंचल कार्यालयों के अधिन **उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में संगठन के **13** उप-अचंल कार्यालय तथा **विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में **5** उप-अचंल कार्यालय है । **उप विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में विभागीय परीक्षण केंद्र (डी.टी.एस.), गोंडखैरी में स्थित है तथा विस्फोटक नियंत्रक के नेतृत्व में आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी. सी.) सिवाकासी(तमिलनाडु) में स्थित है । संगठन का सेटअप और विभिन्न अंचल और उप अंचल कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र क्रमश: अनुबंध- I और II में सारांशित है ।

4.2 बजट एवं व्यय

वर्ष 2014-2015 के दौरान संगठन को नॉन प्लान बजट में रूपये 30,08,00,000/- तथा प्लान बजट में रूपये 3,00,00,000/- की स्वीकृती प्रदान की गई थी । इसी वर्ष के दौरान नॉन प्लान बजट में रूपये 28,88,19,113/- एवं प्लान बजट के तहत रूपये 2,55,17,460/- का व्यय किया गया।

4.3 राजस्व

वर्ष 2014-2015 के दौरान संगठन को द्वारा विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओ की फीस के रूप में रूपये 78,05,74,823/- अर्जित किये गये जिसमे विस्फोटक अधिनियम से रूपये 48,97,94,167/- एवं पेट्रोलियम अधिनियम से रूपये 29,07,80,656/- प्राप्त हुए ।

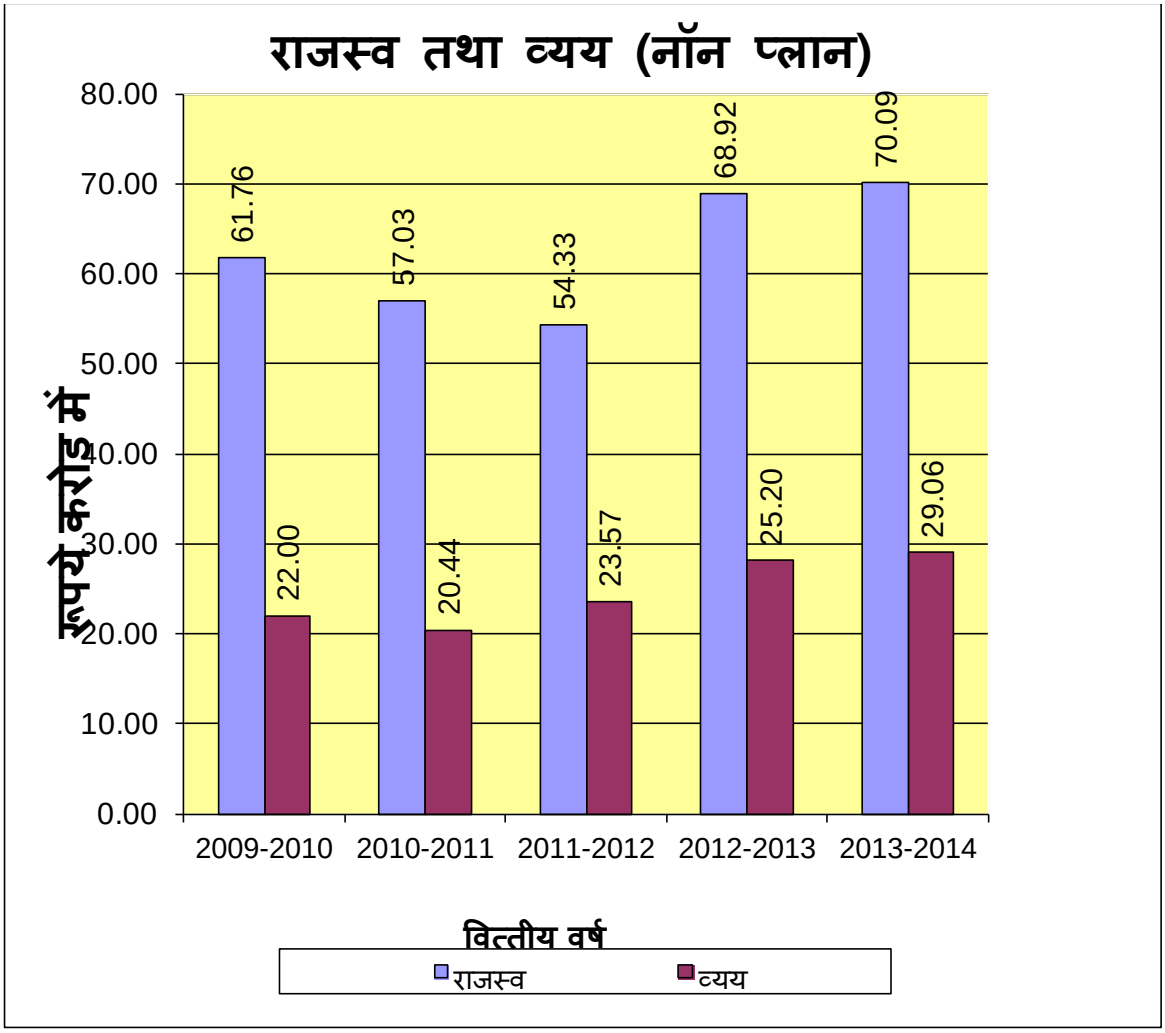
राजस्व तथा व्यय (नॉन प्लान)
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
रूपये करोड़ में
61.76
22.00
57.03
20.44
54.33
23.57
68.92
25.20
70.09
29.06
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
वित्तीय वर्ष
राजस्व
व्यय

विभागीय परीक्षण केन्द्र (डीटीएस)और आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफआरडीसी)

5.1 विभागीय परीक्षण केन्द्र (डीटीएस)

5.1.1 परिचय

विभागीय परीक्षण केन्द्र नागपुर से 18 कि.मी. की दूरी पर नागपुर-अमरावती रोड राजमार्ग सं 6, ग्राम गौंडखैरी जिला नागपुर में स्थित है । 81 एकड भूमि में व्याप्त परीक्षण केन्द्र, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर के समग्र मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्यरत है ।

इस विभागीय परीक्षण केन्द्र का विकास मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं पेट्रोलियम अधिनियम 1934 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संविधिक परीक्षण कार्य के लिए किया गया है।

यह परीक्षण केन्द्र गुणता नियंत्रण सम्बन्धी परीक्षण और उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए, विशेष रूप से विस्फोटक विनिर्माण हेतु, विभिन्न सामग्री और उपकरणों के लिए अन्य परीक्षणों की सेवाएं प्रदान करता है जिसमें विस्फोटक और इसके उपसाधन के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत में अपनी तरह का पहला संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण परीक्षण भी शामिल है ।

विभागीय परीक्षण केन्द्र के प्रकार्य :

विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत विभिन्न सामग्री और उपकरणों के सुरक्षित विनिर्माण / गुणता नियंत्रण के लिए विभागीय परीक्षण केन्द्र निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है -

1) <u>संविधिक परीक्षण</u>

संख्या	नियम	परीक्षण का उद्देश्य
1	विस्फोटक नियम 2008	1. विस्फोटक पदार्थो के प्रस्तावित नए उत्पादों को प्राधिकृत करने के संबंध में । 2. प्राधिकृत विस्फोटक की सूची में रखने अथवा हटाए जाने का निर्णय लेने हेतु अनुवर्ती वार्षिक परीक्षण । 3. विस्फोटको के पैकेजेस का अनुमोदन ।
2	पेट्रोलियम नियम, 2002	1. टैंक ट्रक सेफ्टी फिटिंग्स के डिजाईन का अनुमोदन । 2. विनिर्माण अनुमोदन के पुनर्विधिमान्यकरण के लिए अनुवर्ती परीक्षण । 3. पेट्रोलियम के मेटल कंटेनर का अनुमोदन ।
3	गैस सिलेण्डर नियम, 2004	भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों के अनुसार उपलब्ध एलपीजी एवं संपीडित गैस सिलेण्डर के लिए सांविधिक परीक्षण की सुविधा ।
4	स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	परीक्षण कार्य विकासाधीन ।

2): गुणता नियंत्रण परीक्षण

परीक्षण केन्द्र, संगठन द्वारा प्रशासित अधिनियमो/नियमो के अंतर्गत किए गए उत्पादन के कार्य क्षेत्र मे गुणता परीक्षण सेवाएं भी देता है।

3): यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण

खतरनाक माल के परिवहन के लिए यू.एन.विनियमन के अनुसार विस्फोटक उत्पादन, विशेषतापूर्ण पॅकेजिंग डिजाईन के साथ, विस्फोटक उद्योगो को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन का निर्यात प्रतियोगी कीमत पर करने के लिए, विभागीय परीक्षण केन्द्र द्वारा यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण की सुविधा देने की शुरूवात की है ।

परीक्षण परीणाम मुल्यांकन के निर्धारण के पश्चात विशेषतापूर्ण पॅकेजिंग डिजाईनवाले उत्पादन का ग्रूप बीआईएस के अनुरूप 1.4 मे वर्गीकृत किए जाते है । महानिदशेक जहाजरानी, विभागीय परीक्षण केंद्र के निर्धारण एवं परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है । निर्यातक अपने 1.4 वर्गीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त उत्पादन जनरल कार्गो शिप के द्वारा शिप कर सकते है, बजाए विस्फोटक कार्गो शिप से जिससे माल-भाडे मे काफी बचत होगी । सभी निर्यातक इन जहाजों की आसान सुविधा का लाभ उठाते है जिससे वह अपना माल समय से पहुँचा सकते है क्योंकि विस्फोटक कार्गो शिप की सिमित उपलब्धता के कारण माल पहुचाने मे विलंम्ब होता है।

4) <u>नमूनो का परीक्षण</u>

विभागीय परीक्षण केन्द्र में वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नांकित नमूनों की जांच की गईः-

संख्या	विवरण	मात्रा (संख्या)
1.	**विस्फोटक**	
	स्लरी/ इमलशन वर्ग/क्लास -2	262
	पेन्टोलाईट बूस्टर वर्ग -3 प्रभाग 2	46
	आतिशबाजी	238
	सेफ्टी फ्युज	08
	गन पाऊडर	10
	डिटोनेटर	297
	डिटोनेटिंग फ्यूज	59
2.	**विस्फोटक के सीएफबी पैकेजेस**	
	नए अनुमोदन के नमूने	48
	अंचल/उप-अंचल अधिकारियों द्वारा प्राप्त नमूने	198
3.	**पेट्रोलियम टैंक ट्रक सेफ्टी फिटिंग्स**	14

5) विस्फोटकों का निस्तारण -

परीक्षण केन्द्र में शेष नमूनों का निस्तारण -

वर्ग 1	**--**
वर्ग 2	**3999.358 किलोग्राम**
वर्ग 3 प्रभाग 2	**61.90 किलोग्राम**
वर्ग 6 प्रभाग 1	**--**
वर्ग 6 प्रभाग 2	**9016 मीटर**
वर्ग 6 प्रभाग 3	**12 संख्या**
वर्ग 7 प्रभाग 2	**0.2 किलोग्राम**

6) अनुपयोगी विस्फोटकों का निस्तारण -

वर्ग 1	**--**
वर्ग 2	**2093.12 किलोग्राम**
वर्ग 3 प्रभाग 2	--
वर्ग 6 प्रभाग 1	–
वर्ग 6 प्रभाग 2	-
वर्ग 6 प्रभाग 3	**600 संख्या.**
वर्ग 7 प्रभाग 2	**-**

राजस्व

वर्ष 2014-15 के दौरान विभागीय परीक्षण केन्द्र ने रूपये **79,89,041/-** राजस्व अर्जित किया ।

आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी.सी.) सिवाकासी (तमिलनाडु)

5.2 आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी.सी.)

5.2.1 प्रस्तावना

मा. सुप्रीम कोर्ट के दि. 18.7.2005 केस डब्ल्यू.पी.(सिविल नं 72 - 1998) के निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार, पेसो द्वारा सिवाकासी, राज्य - तमिलनाडु में प्लान स्कीम के अंतर्गत एफ.आर.डी.सी. के निर्माण का कार्य शुरू किया गया ।

दसवे प्लान के अंतर्गत एफ.आर.डी.सी. के सिविल स्ट्रकचर का कार्य शुरू किया गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है । निष्पादित काम में 2.025 हेक्टर भूमि की खरीद, उसके चारो ओर दीवार, बोरवेल, पानी की पाइपलाइन, लाईट पोस्ट, आंतरिक सड़के, मुख्य इमारत आवासीय प्रयोगशालाएं और संबद्ध सुविधाएं, आदि शामिल है । ग्यारहवी योजना के तहत एफ.आर.डी.सी. को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने हेतु उसे तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों की भरती करना प्रस्तावित है ।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशो के अनुसरण मे, पेसो द्वारा किए गए विभिन्न समानांतर उपायो के परिणाम निम्नानुसार है :

पेसो द्वारा आतिशबाजियों को ध्वनीवाले पटाखों और कलर/लाईट वाले पटाखो में वर्गीकृत किया गया है तथा अपेक्स कोर्ट के निर्देशो का अनुपालन करते हुए आतिशबाजियों की प्राधिकृत सूची संशोधित की गई है । जी.एस.आर. सं. 225 दि. 6/9/2006 के भारत का राजपत्र, भाग - II, धारा-3, उप-धारा (i) मे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्यगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है । एमईपीसीओ, स्क्लेन्क इंजिनियरिंग कॉलेज, सिवाकासी, तमिलनाडु के तकनीकी सहायता से, पेसो द्वारा ध्वनीवाले पटाखो के मिश्रण का विकास किया गया जो पर्यावरण के मानको द्वारा निर्धारित सीमा मे है । भारत सरकार की दि. 5/10/99 की अधिसूचना सं. जीएसआर 682(ई) मे दिए गए जरूरतो को पूर्ण करने हेतु चार सामान्यत: प्रयुक्त ध्वनी पटाखे- 1. ऍटम बॉम्ब, 2. चायनीज पटाखे, 3. मरून्स 4. गारलँड पटाखो के रसायनिक आकार /प्रकार के विशेष संदर्भ मे, उनके विनिर्माण मे उसके अनुपात/संरचना, साथ ही उसमे प्रयुक्त हर एक रसायन के अधिकतम अनुमती प्राप्त वजन आदि सूत्र (फॉर्मुला) विर्निदिष्ट करता है ।

यह सूत्र भारत के सभी आतिशबाजी विनिर्माणकर्ताओं को सख्त अनुपालन हेतु दिया गया है । आम जनता के साथ ही इससे संबंधित सभी के जानकारी हेतु इसे पेसो की वेबसाईट **http://peso.gov.in** पर भी उपलब्ध किया गया है ।

5.2.2. एफ.आर.डी.सी. केन्द्र के प्रकार्य :

एफ.आर.डी.सी. को निम्नलिखित गतिविधियां सौंपी गई है:

1. पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी का अनुसंधान और विकास ।
2. आतिशबाजी के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल का परीक्षण ।
3. आतिशबाजी उद्योग में जोखिम वाले प्रक्रिया का यांत्रिकीकरण ।

4. आतिशबाजी के सामान्य प्रदर्शन और ध्वनि के स्तर का परीक्षण ।
5. नए उत्पादों के विकास और सामान्य उत्पादों के मानकीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ।
6. गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार ।
7. आतिशबाजी कारखानों के निरीक्षकों और श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
8. दुर्घटनाओं की जांच ।

5.2.3 : नमूनों का परीक्षण और राजस्व निर्माण :

पिछले पांच वर्षों के वर्ष के दौरान आतिशबाजी के नमूनों के परीक्षण की संख्या:

क्रम संख्या	वर्ष	जमा किए नमूनों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रूपयों में)
1	2010-2011	3418	8,01,050.00
2	2011-2012	674	1,02,600.00
3	2012-2013	831	3,40,000.00
4	2013-2014	1701	3,40,000.00
5	2014-2015	2121	5,77,800.00

अध्याय- 6

ई – गवर्नेन्स

ई-गवर्नेंस सूचना तकनीकि के क्षेत्र में स्टेकहोल्डरों की अधिकतम माँग की पूर्ति की परेशानी से त्वरित मुक्त कराने वाली एक गुणवत्ता सेवा हैा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक उत्तम और निर्बाध ई-सेवाएं प्रदान की जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पेसो के साथ जुडे रहे यह एक ओर उपलब्धिी हैा संगठन लगातार ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अतंगर्त अपनी अतिरिक्त सेवाएँ/ सुविधाएं देने का प्रयास कर रही हैा ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अतंर्गत यह स्टेकहोल्डरों को अपनी सेवाएँ/ सुविधाएं प्रदान करता हैा इसकी कुछ गतिविधियों में से कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है :

ईआरएस प्रणाली

1. ऑनलाइन प्रदाय में विस्फोटक के विनिर्माण विवरण को विनिर्माता द्वारा दैनिक आधार पर विस्फोटको के विनिर्माण के संबंध में ईअरएस प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक बनाया गया हैा वर्तमान ईआरएस (एक्सप्लोसिव्स रिटर्न सिस्टम) का वर्धन किया गया है जिससे क्रेता अनिवार्य रूप से आरई-11 (इंडेंट विक्रेता) ऑनलाइन जनरेट कर सकें । यह इंडेंट जनरेशन विस्फोटक नियम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत हो रहा है और इससे क्रेता उनके अनुज्ञप्ति क्षमता से अधिक इंडेंट बढ़ा नहीं सकता ।

परषेक आपूर्तिकर्ता के लिए सभी आरई-11 (उनकी कंपनी/फर्म के लिए बनाए इंडेंट) देखने की और ऑनलाइन आरई -12(विस्फोटक के परिवाहन के लिए पास) विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत विभिन्न नियमों का अनुपालन करने हेतु, ऑनलाइन जनरेशन आरई -12 तैयार होना भी प्रणाली में उपलब्ध जाँच से गुजरता है ।

विस्फोटक की वास्तविक प्राप्ति पर, परेषिति, ऑनलाइन विस्फोटक को ईआरएस में स्वीकृत करता है । इस प्रकार रियल टाइम स्टॉक को जानने की सुविधाओ ने ईआरएस (एक्सप्लोसिव्स रिटर्न सिस्टम) का वर्धन किया है और काफी हद तक विस्फोटकों के व्यवहार को सुव्यवस्थित किया है ।

विस्फोटकों के दुरुपयोग को ईआरएस प्रणाली को परिक्षण के आधार पर (आरई-13) के प्रयोग के जनरेट को पास करना एक अन्य उपलब्धि हैा विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंध में आरई -13 की संशोधन प्रणाली में तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित एक ही लाइसेंस धारको के लिए एक ही बार अनिवार्य बनाया जाएगा। इस नई पहल से विस्फोटकों के दुरूपयोग और गबन पर अंकुश लगाने में बहुत मदद मिलेगी और जवाबदेही भी आएगी । ब्लास्टर्स के नाम के साथ, विस्फोटकों के प्रयोग कर रही साइटों को भी डेटाबेस में लिया जाएगा ।

विस्फोटक नियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए अर्थात निलंबन और निरसन, ईमेल सुविधा को आंतरिक आवेदन के साथ एकीकृत किया गया है । यदि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, प्रणाली संबंधित डीएम और एसपी को ईमेल भेजती है (यदि प्रणाली में ईमेल पते उपलब्ध है) ।

ऑनलाइन जनरेशन और टैंक परिक्षण और सुरक्षा प्रमाण पत्र की टैंकिग –

एसएमपीवी (यू) नियमों,1981 और पेट्रोलियम नियमों 2002, में सक्षम व्यक्तियों के लिए मौजूदा मॉडयूल में टैंक परिक्षण और सुरक्षा प्रमाण पत्र की सुविधाएं शामिल की गई हैं जिसमें मौजूदा सक्षम व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकृत होकर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते है आंतरिक प्रणाली द्वारा उनके क्रेंडेंशियलस की पुष्टि की जाती है और उसके बाद ही वे इस प्रणाली के लिए 'सक्षम थर्ड पार्टी' प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते है

इस पहल से सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रमाणपत्र का जनरेट करना काफी हद तक सुव्यवस्थित हुआ है जनरेट किए गए प्रमाण पत्र भी आवेदनों की प्रोसेसिंग के समय में संबंधित अनुज्ञप्ति फाइल से लिंक हो जाते है । प्रोसेसिंग के दौरान, अधिकारी, सक्षम व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र देख सकते हैं और ऑनलाइन रिकार्ड के साथ उनके प्रमाण पत्र की वास्तविकता भी सत्यापित कर सकते हैं । इस सुविधा से प्रमाणीकरण प्रक्रिया में जालसाजी की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त होगी ।

ई-आवेदन-

ई-आवेदन, पेट्रोलियम नियमों 2002,के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए ई-आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए स्टेकहोल्डरों के लिए उन्नत पब्लिक पोर्टल प्रदान किया गया है अनुज्ञप्तिधारकों को पेसो पोर्टल के साथ रजिस्टर करना और उनके अनुज्ञप्ति पोर्टफोलियो को बनाए रखना होता है पूरे देश मे पेसो के विभिन्न कार्यालयों में अपने आनलाईन आवेदन भेजने के लिए यह प्रणाली उन्हें सुविधा प्रदान कराती है अनुज्ञप्तिधारक अपने ई-आवेदनो की वर्तमान स्थिति प्राप्त कर सकते है स्टेकहोल्डरों को अपने पोर्टफोलियों को मानिटर करने की भी सुविधाएँ प्राप्त है स्टेकहोल्डरों को पीएसयू ऑईल कंपनियों के हित के लिए नवीकरण के समय कई अनुज्ञप्तियों के शुल्क के लिए केवल एक डीडी जमा करने की 'बल्क नवीकरण' जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है

अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उन्नत अनुज्ञप्ति मॉडयूल:-

संगठन तथा संगठन द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के अधीन विभिन्न गतिविधियों के संबंध में ऑनलाइन सूचना के आसान और परेशानी मुक्त पहुंच के लिए वर्तमान मॉडयूल में नई सुविधाओं को शामिल किया गया है

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत विभिन्न रिटर्न ऑनलाइन विकसित करने के लिए मॉड्यूल परीक्षण के चरण में है । यह मॉड्यूल शीघ्र ही शुरू किए जाने की उम्मीद है।

गैस सिलेंडर नियम के अंर्तगत गैस फ्री प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जारी करने तथा ऑनलाइन ई-आवेदनों को जमा करने के लिए मॉड्यूल विकसित किए गए है तथा इसका परिक्षण किया जा रहा है

ई-बिज पोर्टल-

वर्तमान विस्फोटक अनुज्ञप्ति मॉड्यूल का उद्योगिकी नीति और वर्धन विभाग (डीआइपीपी) के साथ ई-बिज पोर्टल का एकीकरण किया गया। वाण्ज्यि एंव उद्योग मत्रांलय विस्फोटक नियमों के अतंर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए ऑनलाइन ई–भुगतान के द्वारा जमा करता है

ई-गवर्नेस कार्यक्रम के अतंर्गत आने वाले प्रस्ताव जिस को संगठन सक्रिय रूप से शीघ्र लागू करने के लिए संभव प्रयास कर रहा है

1. **ई-भुगतान:**

संगठन अपने स्टेकहोल्डरों को विभिन्न आवेदनों के लिए ई-भुगतान की सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ई-भुगतान की सुविधा के प्रावधान के लिए केन्द्रीय बैंक के साथ विचार-विर्मश किया जा रहा है

2**- विस्फोटक की ऑनलाइन ट्रैकिंग**

विस्फोटक के दुरूपयोग को नियंत्रित करने के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र(एनआईसी) के सहयोग से संगठन लगातार विस्फोटकों के विनिर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक रिअल टाइम आनॅलाइन ट्रैकिंग और ट्रैसिंग सिस्टम की दिशा में कार्य कर रहा है विस्फोटक के परिक्षण के लिए संगठन एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है

3- **विस्फोटक वैनस की ट्रैकिंग के लिए प्रावधान**

विस्फोटक वैनस की स्थिति को किसी भी समय ट्रैक करने के लिए जीपीआरएस प्रणाली का प्रावधान किया गया है

पूर्ण की गई गतिविधियां

पेसो के सभी कार्यालयों को एक्सप्लोनेट नेटवर्क के अंतर्गत समाहित किया गया है । फॉल-बॅक अरेन्जमेन्ट के साथ पाँच अंचल कार्यालयों के लिए 2 एमबीपीएस स्पीड की लिज्ड लाइन अपग्रेड की गई है। उसी प्रकार 18 उप - अंचल कार्यालयों के लिए लीज्ड लाइन की स्पीड 512 केबीपीएस तक बढाई गई हैं।

विभागीय परीक्षण केन्द्र (डीटीएस), गोंडखैरी तथा एफआरडीसी, सिवाकासी को भी 512 केबीपीएस लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी प्रदान की गई हैं ।

सभी विस्फोटक विनिर्माता अपने दैनिक उत्पादन का विवरण दैनिक आधार पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं । सभी विनिर्माताओं द्वारा आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत करने के संबंध में 100% सफलता हासिल की गई है ।

एलई-3 (विस्फोटकों का बिक्री के लिए कब्जा और उपयोग हेतु) के अंतर्गत अनुज्ञप्तीधारकों में से 95% से अधिक ने ऑनलाईन आरई-7 (विस्फोटकों की विवरणी) हेतु रजिस्ट्रेशन किया हैं और वे उनकी तिमाही विवरणी, आरई-7 ऑनलाइन प्रणाली की सहायता से प्रस्तुत कर रहें हैं ।

जिन अनज्ञप्तीधारकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नही किया या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत नही कर रहें हैं उन्हे सभी आंतरिक उपयोगकर्ताओं (पेसो अधिकारी) द्वारा ऑनलाइन कारण बताओं (शो कॉज) नोटिस जारी की जा रही हैं ।

विस्फोटकों के ट्रैन्ज़ैक्शन की मानिटरिंग को और भी प्रभावी करने के लिए पेसो द्वारा सभी विनिर्माताओं और वितरकों के लिए आरई -12 (विस्फोटकों के बिक्री और परिवहन हेतु) के ऑनलाइन जनरेशन की सुविधा का प्रारंभ किया गया हैं । सभी विनिर्माता और अधिकांश वितरक आरई-12 ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं । इससे उन्हें उनके बिक्री प्रविष्टियों से संबंधीत आरई-7 (त्रैमासिक विवरणी) बनाना सुगम हो गया हैं ।

आंतरिक कार्यालयों को बेहतर सुविधा देने के लिए और आरई-7 के माध्यम से बल्क में प्राप्त किए जा रहे डेटा को समायोजित करने के लिए इंटर्नल स्टोरेज 2 टेरा बाइट तक बढ़ाया गया है । मौजूदा सॉफ्टवेयर के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए SAN स्टोरेज के साथ नये RACK सर्वर उपयोग में लाए गए हैं ।

फॉर्म आरई-12 और फॉर्म आरई-7 के ऑनलाइन जमा करने के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निकट भविष्य में मौजूदा 4 एमबीपीएस के इंटरनेट गेटवे को अपग्रेड करके उसकी डेडीकेटेड प्रवाहक्षमता 10 एमबीपीएस करने की योजना बनाई गई है ।

पेसो द्वारा सेंट्रल सर्वर को उन्नत किया गया है और निर्बाध हाई स्पिड नेटवर्क और डाटा संग्रहण के लिए सर्वर सुविधाओं को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस एक अलग इमारत में स्थानांतरित किया गया है ।

इसके अलावा संगठन के पाँच अंचल कार्यालय और मुख्यालय, नागपुर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की बैठकें-संगोष्ठियाँ-व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम- विदेश यात्राएं

बैठकें-

1. दि.04.04.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने एनआईएसजी परियोजना और विस्फोटकों के उपयोगकर्ता शुल्क पर संयुक्त सचिव के साथ हुई बैठक में भाग लिया ।
2. दि.31.05.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन के मामलों पर एसआयपीपी के साथ हुई बैठक में भाग लिया ।
3. दि.24.06.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने अमोनियम नाइट्रेट के आयात और निर्यात के लिए बंदरगाहों की अधिसूचना के संबंध में जहाजरानी मंत्रालय, बंदरगाह स्कंध के संयुक्त सचिव (बंदरगाह) महोदय द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
4. दि. 2.07.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में कैन लाइट (15%) के समावेशन के बारे में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई-दिल्ली के अपर सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
5. दि. 22.07.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया ।
6. दि. 23.08.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने डीआईपीपी के संयुक्त सचिव द्वारा शुल्क संशोधन पर बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
7. दि. 20.09.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली की आतिशबाजी और रसायन मानकों की समिति- सीएचडी -26 की बैठक की अध्यक्षता की ।
8. दि. 04.10.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने "विस्फोटक ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम" के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव महोदय (आयपीपी) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित पेट्रोलियम सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लिया ।
9. दि. 10.10.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने विस्फोटकों के ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के बारे में एसआयपीपी, नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।

10. दि. 18.10.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने सिवाकासी में संगोष्ठी आयोजन और एफआरडीसी की गतिविधियों की समीक्षा के बारे में राज्यमंत्री द्वारा मदुरई में बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
11. दि. 27.10.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने अनुज्ञप्ति और अदालत के मामलों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, राज्य मंत्री द्वारा यथा निर्देशित, आतिशबाजी विनिर्माताओं के साथ बैठक की ।
12. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दक्षिण जोन, चेन्नई के पास दायर याचिका के संबंध में सचिव (आईपीपी) द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
13. दि. 12.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित डीपीसी बैठक में भाग लिया ।
14. दि. 09.12.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों के साथ एलपीजी रोड टैंकरों के लिए आंतरिक अतिरिक्त प्रवाह वाल्व के कार्यान्वयन और संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया ।
15. दि. 11.12.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने एलपीजी उपकरण अनुसंधान केंद्र,बंगलौर की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया ।
16. दि. 19.12.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने एएन के आवेदनों के निपटान के विस्तृत विश्लेषण, आतिशबाजी उद्योग के संशोधित रोड मैप और एफआरडीसी के लिए परिचालन योजना पर चर्चा करने के लिए संयुक्त सचिव (एसी) द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
17. दि. 01.03.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेन्नई, केस और दि. 06.01.2013 को एविएशन टर्बाइन फयूल सप्लाई ऑर्डर,2011 के संशोधन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
18. दि. 05.02.2013 से 07.02.2013 के दौरान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने भारतीय मानक ब्यूरो की गैस सिलेंडर अनुभागीय समिति-एमई 16 की जयपुर में आयोजित वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की ।

<u>संगोष्ठियां-</u>

1. दि. 07.06.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने बुक सप्लाय ब्यूरों द्वारा दाबपात्रों के एएसएमइ कोड के 2013 संस्करण में संशोधन शामिल करने के बारें में चर्चा करने के लिए "एएसएमइ बीपीवी कोड के 2013 संस्करण में परिवर्तन" पर मुंबई में आयोजित सेमिनार/ कार्यशाला में भाग लिया ।
2. दि. 31.08.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने अखिल भारतीय औद्योगिक गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित "गैस सिलेंडरों की सुरक्षा 'विषय पर कार्यशाला के तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की ।
3. दि. 27.09.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने जिला और पुलिस अधिकारियों और हितधारकों के साथ उप- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हैदराबाद द्वारा आयोजित अमोनियम नाइट्रेट जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया ।
4. दि. 11.11.2013 से 13.11.2013 के दौरान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने "प्रौद्योगिकी, क्षमता विकास, खतरनाक उद्योगों, बंदरगाहों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस का भंडारण" पर एनडीएमए द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया और "सिवाकासी में आतिशबाज़ी की जोखिम और अतिसंवेदनशीलता" विषय पर प्रस्तुति दी ।
5. दि.18.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने बीएआरसी और एपीसहएनडीटी द्वारा आयोजित नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पर एशिया प्रशांत सम्मेलन में भाग लिया और एनडीटी पर मुख्य भाषण दिया ।
6. दि.23.24.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने आतिशबाजी उद्योग द्वारा आयोजित *पयरोटेक्निक2013* संगोष्ठी, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री द्वारा किया गया, में भाग लिया ।
7. दि.25.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने उच्च ऊर्जा सामग्री प्रयोगशाला, पुणे द्वारा आयोजित *एक्स्प्लोजिव्ज ऑफ एनवायर्मेंटल एण्ड ऑकुपेशनल सेफ्टी ऑफ हाय एनर्जी मटेरियल* कार्यशाला में भाग लिया
8. दि.27.11.2013 और दि. 28.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने एएनजीवीए 2013 सम्मेलन और प्रदर्शनी "नेचुरल गैस फॉर वेहिकल्स- दी नेक्स्ट जेनरेशन" में भाग लिया और दि. 28.11.2013 के सत्र की अध्यक्षता की ।

9. दि.30.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मंगलौर द्वारा आयोजित "ऑनलाइन एक्स्प्लोजिव्स रिटर्न सिस्टम(ईआरएस) एण्ड ट्रैकिंग ऑफ एक्प्लोजिव्स " पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया ।
10. दि.21.01.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा द्वारा आयोजित सीएनजी पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया । उन्होनें उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और मुख्य भाषण दिया ।
11. दि.14.02.2014 और दि. 15.02.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने भारत की उच्च ऊर्जा सामग्री सोसायटी, तिरुवनंतपुरम अध्याय, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा आयोजित नौवें अंतर्राष्ट्रीय उच्च ऊर्जा सामग्री सम्मेलन और प्रदर्श में भाग लिया।

<u>व्याख्यान</u> -

1. दि.06.04.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने मेपको श्लेंक इंजीनियरिंग कॉलेज, सिवाकासी द्वारा आयोजित श्रमिकों, फोरमैन और पर्यवेक्षकों के लिए 'आतिशबाजी सुरक्षा' पर व्याख्यान दिया ।
2. दि.12.04.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने भुवनेश्वर में उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भुवनेश्वर और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा आयोजित *अमोनियम नाइट्रेट कार्यान्वयन कार्यक्रम* में व्याख्यान दिया ।
3. दि.19.07.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने *विस्फोटक अधिनियम और नियम और विस्फोटक भंडार से संबंधित सुरक्षा* पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में व्याख्यान दिया ।

<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम</u> -

1. दि.12.09.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने सिवाकासी कार्यालय और आतिशबाजी उद्योग द्वारा आयोजित सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की ।
2. दि.25.02.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने केरल के सभी हितधारकों के विस्फोटक उपयोगकर्ताओं के लिए उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एर्नाकुलम द्वारा आयोजित अमोनियम नाइट्रेट नियम और ऑनलाइन एक्स्प्लोजिव्ज रिटर्न सिस्टम पर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण दिया और समापन परिचर्चा में भी भाग लिया ।

<u>निरीक्षण</u>-

1. दि.15.09.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने कोचीन पोर्ट के माध्यम से विस्फोटक कार्गो के निर्यात करने के प्रस्ताव के संबंध में कोचीन पोर्ट क्यू -2, क्यू 7 के बंदरगाह की सुविधाओं और नए कंटेनर की सुविधाओं का निरीक्षण किया ।
2. दि.22.01.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने मथुरा रिफाइनरी का निरीक्षण किया ।
3. दि.18.07.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने विस्फोटक और प्रोपेलेंट भंडारण की सुविधाओं का निरीक्षण किया और एनएचएन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर विचार-विमर्श किया ।
4. दि.27.010.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने आतिशबाजी उद्योग द्वारा प्रस्तावित स्वचालन मशीनरी के परीक्षणों का निरीक्षण किया ।
5. दि.29-30.01.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने त्रिची में नए उच्च विस्फोटक कारखानों का निरीक्षण किया ।

संगठन के अन्य अधिकारियों की बैठकें -व्याख्यान- सेमिनार - प्रशिक्षण कार्यक्रम

दक्षिण अंचल- चेन्नई

विजिट्स:

1 श्री सी.शनमुघम, वि.नि., और डा. अनुज कुमार वि.नि., ने चेन्नई में सीवीसीआईडी राज्य पुलिस ड्यूटि की 2014-एंटी सवोटेज जांच प्रतियोगिता 21 से 26 मई 2015 तक पुलिस महानिदेशक द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।

2. श्री एन.टी. साहू, उप-मु.वि.नि.,(का/प्र) दि.19/07/2014 को नेयवेली में माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन, द्वारा आयोजित "माइनफैस्ट 2014" में मुख्य अतिथि के रूप में वेलिडिक्टरी कार्यक्रम को संबोधित किया ।

3. श्री के.सुंदरेसन, उप-मु.वि.नि., ने दि.17/07/2014 को नेयवेली में माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन, (तमिलनाडु अध्याय) द्वारा आयोजित "माइनफैस्ट 2014" में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया।

4. श्री टी.एन.वैद्यनाथ, अतिरिक्त जीएम(सर्तकता और सुरक्षा), दि. 31/10/2014 को बीएचईएल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से कैसे बचे विषय को व्याख्यतित करने के लिए निमंत्रित किया ।

5. श्री के.सुंदरेसन, उप-मु.वि.नि., को चाइना से अवैद्य रूप से आयात आतिशबाजी के जब्त किये नमूने का परिक्षण करने के लिए चेन्नई कार्यालय से दिनांक 04/02/2015 को कस्टम द्वारा बुलाया गया।

बैठकें:

1- श्री एन.टी.साहू, उप-मु.वि.नि.,(का/प्र)प्रशासन, ने चेन्नई के संयुक्त मु.वि.नि.के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों के साथ"सफाई की शपथ"के सफाई कार्यक्रम में भाग लिया।

2-मु.वि.नि. की अध्यक्षता के अधीन हुई चेन्नई बंदरगाह के उप-संरक्षक और टीईएल के प्रतिनिधि के साथ वीलोरे सुआ विस्फोटक, होजर, कलेश्वरी विस्फोटकों के 'विस्फोटकों के आयात' विषय पर चेन्नई बंदरगाह पर बैठक की ।

3. श्री जी.कुमारस्वामी, वि.नि.और श्री के.वी.सुरेश कुमार, सहायक, ने दि.23/05/2014 को मंगलौर में, कॉर्पोरेशन बैंक मुख्यालय, की न.रा.का.स. की 56वी अर्धवार्षिक बैठक में भाग लिया।

4 श्रीमती ए.खालवडेकर, उप-मु.वि.नि.,ने बैंगलोर में आतिशबाजी की दुकान/भण्डारगृह/मैगजीन के अनुज्ञप्ति धारकों के साथ दिनांक 13/10/2014 को दिवाली के त्यौहार के लिए आतिशबाजी रखने और बिक्री करने,प्रर्दशनी अनधिकृत रूप से खरीदी एंव बेची गई आतिशबाजी विशेषकर उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि संबंधित निर्देशित आतिशबाजी की विशेष सुरक्षा से संबंधित बैठक आयोजित की ।

5 डॉ.आर.के.एस.चौहान, उप-मु.वि.नि.,ने दि.16/10/2014 को आतिशबाजी की दुकानों के साथ पूर्व-दिवाली निरिक्षण के लिए अनुज्ञप्ति धारकों के लिए देवनागरी में बैठक आयोजित की ।लाइसेंस में सुरक्षित तरीके से आतिशबाजी रखने तथा उनकी बिक्री करने, अनधिकृत आतिशबाजी पर प्रतिबंध इत्यादि का उल्लेख था।

6 श्री सत्यनारायण, स्टेनों-3 ने दि.16/12/2014 को कॉर्पोरेशन बैंक मुख्यालय, मंगलौर में अर्धवार्षिक न.रा.का.स. बैठक में भाग लिया।उसी दिन रमेश पोला, उ.श्रे.लि. एवं श्री कृष्ण कांत कुमार नि.श्रे.लि. ने कॉर्पोरेशन बैंक मुख्यालय, मंगलौर में टीओएलआइसी द्वारा आयोजित 'अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद' कार्यशाला में भाग लिया ।

7 उप-मु.वि.नि., द्वारा हैदराबाद में 11/04/2014 और 12/04/2014 को विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण के पुनरीक्षण के लिए बैठक की ।

8 श्री जीके पाण्डेय, वि.नि., ने बीपीसीएल अधिकारीयों और प्रतिनिधियों के साथ दि.24/09/2014 को चेरलापल्ली बॉटलिंग प्लांट, में बैठक की।

9 श्री के एस रॉव, उप-वि.नि.,ने दि.11/10/2014 को पुलिस के उप-आयुक्त, उत्तरी जोन, हैदराबाद, द्वारा आयोजित आतिशबाजी संबंधित बैठक में भाग लिया ।

11 श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि.,हैदराबाद, दि.18/10/2014 को पुलिस के उप-आयुक्त, पूर्वी जोन, में आतिशबाजी संबंधित बैठक में भाग लिया ।

12 श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि., हैदराबाद, दि.20/10/2014 पुलिस आयुक्त के साथ,हैदराबाद आतिशबाजी संबंधित और अस्थायी आतिशबाजी दुकानों की उप-आयुक्त, उत्तरी और पश्चिमी जोन, के साथ बैठक में भाग लिया।

<u>व्याख्यान</u> -

1. श्री पी.के. राणा वि.नि., ने दि.12/09/2014 को मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के विमानन ईंधन स्टेशन,चेन्नई में व्याख्यान दिया ।
2. श्री के. सुंदरेसन, उप-मु.वि.नि.,ने मु.वि.नि.,नागपुर में दि.16/10/2014 से 18/10/2014 तक रिफ्रेशर कार्यक्रम में भाग लिया।
3. श्री जी.कुमारस्वामी, वि.नि., ने दि.18/09/2014 को खनन विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरतकल द्वारा तकनीकी एक्सचेंज कार्यक्रम के रॉक ब्लासटिंग में व्याख्यान दिया ।
4. श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि.,हैदराबाद, के एनएडी विशाखापटनम में "भंडारण और सिविल विस्फोटकों की हैंडलिंग" मे व्याख्यान दिया।
5. श्री वी. के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि., ने दि.03/01/2015 को ऑइल कम्पनी के अधिकारियों को हैदराबाद मे "पैट्रोलियम नियम" पर व्याख्यान दिया और एनडीएमए की बैठक में भाग लिया।

<u>कार्यशालाएं / सेमिनार</u>

1. श्री वी. के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि., ने दि.31/10/2014 को एआइजीएमए द्वारा आयोजित गैस सिलेंडर नियम पर हैदराबाद में "सिलेंडरों के उपयोग तथा सिलेंडरों के निपटान के सुरक्षा पहलु" पर कार्यशाला में व्याख्यान दिया ।
2. श्री एन.टी.साहू, उप-मु.वि.नि.(का/प्र), ने दि.09/11/2014 को हैदराबाद में उप-मु.वि.नि.,सिकंदराबाद, द्वारा आयोजित" आतिशबाजी दुकानों की सुरक्षा/एलपीजी भंडारण शेड" कार्यशाला को संबोधित किया।
3. श्री एन.टी.साहू, उप-मु.वि.नि.(का/प्र), ने दि. 19/11/2014 को "आतिशबाजी और बारूद के विनिर्माण के सुरक्षा पहलु" केरला राज्य के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त आतिशबाजी/बारूद विनिर्माण कारखाने में उप-मु.वि.नि. द्वारा आयोजित कोचिन्न के जिला कलेक्टर, के लिए थ्रीसुर में कार्यशाला को संबोधित किया ।
4. मेसर्स इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,एर्णाकुलम संयुक्त उप-मु.वि.नि. के साथ आयोजित कार्यशाला दि.27/02/2015 को श्री एन.टी.साहू, उप-मु.वि.नि. ने संबोधित किया

। एर्णाकुलम की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनीओं के एलपीजी डीलरों को जीसीआर 2004 के अधीन आने वाले नियमों एंव विनियमों को लागू करने के प्रति जागरूकता बढाना था ।

5. श्री एन.टी.साहू, उप-मु.वि.नि., ने दि.14/03/2015 को पेसो, नागपुर में 'उच्च दाब के पर्यायी ईंधन के भंडारण और परिवाहन के लिए के लाइट वेहट् सोलुशन' विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।
6. श्री अरूण क्षीरसागर, उप-वि.नि., और श्री कृष्ण कांत कुमार,नि.श्रे.लि.,ने दि.27/02/2015 को मेसर्स एमआरपीएल ने अपने रिफाइनरी परिसर में राजभाषा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
7. पेसो, हैदराबाद, दि.09/11/2014 द्वारा एलपीजी वितरकों और आतिशबाजी डीलरों के लिए संयुक्त रूप से "रसोई गैस भंडारण शेड और आतिशबाजी की दुकानों के निर्माण के लिए सांविधिक आवश्यकताएं"विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई ।उप-मु.वि.नि., हैदराबाद, अधिकारियों ने व्याख्यान दिया।
8. नई फोरमैन प्रमाण पत्र पेसो द्वारा जारी धारकों के लिए प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से एक आवधिक अंतराल में इस कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है।

<u>अतिरिक्त गतिविधियां</u>

1. दि.12/09/2014 से 18/09/2014 तक कार्यालय परिसर में हिंदी सप्ताह मनाया गया। कर्मचारी सदस्यों के लिये प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा विजेता को नकद ईनाम राशी बांटी गई।हिंदी कार्याशाला को दि.16/09/2014 को आयोजित किया गया तथा श्री एन.टी.साहू, उप-मु.वि.नि.(का/प्र), ने समारोह की अध्यक्षता की एंवम भाषण दिया।
2. उप-मु.वि.नि. हैदराबाद, ने मु.वि.नि. और स. वि.नि. ने दि.27/06/2014 को ततीपका में गेल पाइपलाइन की दुर्घटना की जांच के लिए सहायता प्रदान की ।
3. दि.27/10/2014 से 01/11/2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह को इस कार्यालय मे मनाया गया ।उदघाटन समारोह पर श्री एन.टी.साहू, उप-मु.वि.नि.(का/प्र), ने पारदर्शिता और ई-गर्वनेंस पर जोर दिया एंव भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में विस्तार से बताया, तथा दि. 30/10/2014 को पुलिस अधिकक्षक, श्रीमती रूपा आईपीएस को भ्रष्टाचार विरोधी भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया ।
4. दि. 19/11/2014 त्रीसुर में जिला मजिस्ट्रेट के अधीन आतिशबाजी और बारूद के विनिर्माण के अनुज्ञप्ति धारकों के लिए आतिशबाजी और बारूद के सुरक्षित विनिर्माण के लिये कार्यशाला आयोजित की गई ।श्री टी.ओ. शशी, उप-मु.वि.नि., कोचिन्न, ने व्याख्यान

दिया एंव श्री टी. आर. थोमस, मु.वि.नि., कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे, श्री एन.टी.साहू, उप-मु.वि.नि.(का/प्र), ने भी चेन्नई में कार्यशाला में भाग लिया।

5. श्री ए.बी. तमगडे, वि.नि., ने दि. 19/12/2014 को सरकारी गेस्ट हाउस, कोचिन्न में आरटीआई पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया, आइएमजी, केरला तथा डीओपीटी, नई दिल्ली नें संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में केरला और तमिलनाडु के मुख्य सूचना आयुक्त को बुलाया गया ।
6. उप-मु.वि.नि., कोचिन्न, दि. 21/01/2015, 22/01/2015, 23/01/2015 तक कलीकट, त्रीसुर और कोल्लम में एलपीजी के डीलरों के लिये " एलपीजी सिलेंडरों की सुरक्षित हैंडलिंग" विषय पर पेसो के अधिकारियों द्वारा व्याख्यायित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में एक साथ 300 डीलरों ने भाग लिया।
7. उप-मु.वि.नि., कोचिन्न,दि. 27/02/2015 को कोचिन्न में संयुक्त तेल कंपनीओं के साथ "एलपीजी सिलेंडरों की सुरक्षित हैंडलिंग" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में जिला एर्णाकुलम, कोटायम और इदुकि के 150 से भी अधिक डीलरों ने भाग लिया।

<u>पश्चिम अंचल, मुंबई</u>

<u>विजिट्स</u>:

1 श्री टी. आर. थोमस, मु.वि.नि., ने डॉ संजना शर्मा उप-मु.वि.नि.,वडोदरा, श्री एस.डी. मिश्रा, उप-नि.,वडोदरा, श्री अशेन्द्र सिंह, वि.नि., नागपुर, दि.07/07/2014 को एलपीजी के विनिर्माण के मिश्रण की सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए मेसर्स सुप्रीम उद्योग में साथ में विजिट्स किया ।

2 डॉ एस. कमल, सं.मु.वि.नि.,नागपुर, ने दि. 18/09/2014 को उप-मु.वि.नि., वडोदरा, के कार्यालय मे विजिट्स किया।

3 श्री सुजोय सेन सं.मु.वि.नि.,मुम्बई, ने दि.03/11/2014 को उप-मु.वि.नि., वडोदरा, के कार्यालय मे विजिट्स किया।

<u>बैठकें:</u>

1 श्री टी. आर. थोमस, मु.वि.नि., ने श्री गौतम रॉय,कार्यकारी निदेशक,कोयली रिफाईनरी, के साथ दि. 08/07/2014 को बैठक आयोजित की गई, तथा साथ में डॉ संजना शर्मा उप-

मु.वि.नि.,वडोदरा, ने भी बैठक में भाग लिया इसके साथ ही उन्होने उप-मु.वि.नि., वडोदरा, के कार्यालय में विजिट्स की ।

2 श्री एस.के.शुक्ला, उप-मु.वि.नि., मुंबई, ने दि. 26/05/2014 को सचिव सदस्यों के चैम्बर, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई, संविधान संबंधित समिति को मेसर्स सी लार्ड कंटेनर लिमिटेड तथा मेसर्स एजिस लोगिस्ट्रिक्स का निरिक्षण करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई ।

3 श्री एस.के.शुक्ला, उप-वि.नि., मुंबई, एंव श्री एके.यादव, वि.नि. ने दि. 29/05/2014 को अति.मुख्य सचिव (गृह), महाराष्ट्र की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार द्वारा परिवहन के परिसंकटमय और ज्वलनशील पदार्थ संबंधित हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया ।

4 श्री एस.के. शुक्ला, उप-मु.वि.नि., मुंबई, ने जून 2014 को मुख्य सचिव (गृह), महाराष्ट्र की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया ।

5 श्री एस.के. शुक्ला, उप-मु.वि.नि., मुंबई, जून 2014 को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया ।

6 श्री एस.के. शुक्ला, उप-मु.वि.नि., मुंबई, जून 2014 में नौसेना आयुध डिपो (एन ए डी) के साथ बैठक की ।

7 श्री एस.के. शुक्ला, उप-मु.वि.नि., मुंबई, मुख्य सचिव (गृह), महाराष्ट्र, द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।

8 श्री ए.के. श्रीवास्तव, वि.नि.,एंव श्री अब्दुल मुत्तालिब खान, वि.नि., मुंबई ने दि. 25/07/2014 को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार की बैठक में भाग लिया ।

9 श्री ए.के. श्रीवास्तव, वि.नि., मुंबई ने दि. 04/08/2014 को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र की बैठक में भाग लिया ।

10 डॉ संजना शर्मा उप- मु.वि.नि.,वडोदरा, एंव डॉ डी. सी. पांडेय वि.नि., वडोदरा ने पुनश्श्चर्या कार्यक्रम में दि. 16/10/2014 से 18/10/2014 तक नागपुर, मुख्यालय में भाग लिया ।

11 श्री एस.के. शुक्ला, उप-मु.वि.नि., नवी मुंबई, ने नागपुर, में पुनश्श्चर्या कार्यक्रम में भाग लिया एंव "पेट्रोलियम प्रतिष्ठापन के डिजाइन एंव फायर फाइटिंग" विषय पर व्याख्यान दिया ।

12 श्री अब्दुल मुत्तालिब खान, वि.नि.,ने दि.17/10/2014 को गृह सचिव द्वारा बुलाई बैठक में भाग लिया ।

13 श्री एस.के. शुक्ला, उप-मु.वि.नि.,मुंबई, एंव श्री पी. सीनिरज वि.नि., ने दि. 31/10/2014 से 1/11/2014 तक गोवा में 36वीं अस्थायी अग्निी परामर्शी परिषद बैठक में भाग लिया ।

14 श्री एस. सेन. सं.-मु.वि.नि., ने दि. 11/11/2014 को मुंबई, में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति बैठक में भाग लिया।

15 श्री एस. सेन. सं.-मु.वि.नि., ने दि. 28/11/2014 को मु.वि.नि.नागपुर कार्यालय मे आयोजित बैठक में भाग लिया।

16 श्री ए.के. श्रीवास्तव, वि.नि., ने लीगल मेट्रोलोजी नियंत्रक के कार्यालय में हुई बैठक में भाग लिया ।

17 श्री ए.के.यादव, वि.नि., ने मार्च 2015 को जिला मजिस्ट्रेट, पालघर, के साथ बैठक में भाग लिया।

18 डॉ डी.सी. पांडेय, वि.नि., वडोदरा, ने दि.21/05/2014 को वीआईपी गैस्ट हाउस,कृीभाको, हजीरा, सुरत, में जिला संकट समूह बैठक में भाग लिया ।

19 श्री एस.डी. मिश्रा, उप- वि.नि., ने दि.25/05/2014 को भावनगर में, माननीय न्यायाधीश श्री के. बालकृष्णनन,अघ्यक्ष एनएचआरसी,नई दिल्ली, उप-सचिव एनएचआरसी एंव जहाज रीसाइक्लिंग गतिविधियों से संबंधित जुडे अधिकारी के साथ बैठक की ।

20 डॉ संजना शर्मा उप-मु.वि.नि., ने दि.23/07/2014 को नगर राजभाषा हिंदी की बैठक में भाग लिया।

21 डॉ संजना शर्मा उप-मु.वि.नि., ने दि.07/01/2015 को ट्रांसपोर्ट भवन, दिल्ली में जहाज ब्रेकिंग कोड संबंधित संशोधन बैठक मे भाग लिया ।

22 उप-मु.वि.नि.,डीटीएस गौंडखैरी, में सहायक संपत्ति प्रंबंधक, नागपुर, के कार्यालय में एमएसीपी बैठक में भाग लिया।

23 उप-मु.वि.नि., विभागीय परीक्षण केन्द्र, गौंडखैरी, महाराष्ट्रा, ने दि. 22/10/2014 को उप-कलेक्टर, भंडारा, के कार्यालय पर दिपावली के दौरान, दुकानों से निकाली गई आतिशबाजी का संयुक्त निरिक्षण करने के लिए बैठक में भाग लिया ।

<u>व्याख्यान</u>

1. श्री सुजोय सेन, सं-मु.वि.नि., ने दि.19/08/2014 को मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई में "सुरक्षा प्रंबंध एंव एलपीजी हैंडलिंग- ऑपरेशन में अखिल भारतीय ऑपरेशन शिखर सम्मलेन नेतृत्व" पर एक व्याख्यान दिया ।100 प्रतिभागियों 03 निदेशक अधिकारियों सहित व्याख्यान में भाग लिया गया ।

2. उप-मु.वि.नि.,मुम्बई में आपीएसएचईएम में ओएनजीसी अधिकारियों के लिए दि.10/11/2014 को एक व्याख्यान दिया ।

3. डॉ डी.सी. पांडे, वि.नि., "पेट्रोलियम के सुरक्षा संबंधी एसएमपीवी(यू) नियम, 1981 और गैस सिलेंडर्स नियम," पर मेसर्स कलरटैक्स, सूरत में व्याख्यान दिया ।

4. डॉ डी.सी. पांडे, वि.नि., ने दि. 06/03/2015 को मेसर्स गुलब्रांडसन प्राइवेट लिमिटेड, पदरा, में सुरक्षा के उपर एक व्याख्यान दिया ।

5. डॉ डी.सी. पांडे, वि.नि., ने दि. 09/03/2015 को मेसर्स जीएसएफसी, वडोदरा में "संस्था द्वारा प्रशासित नियमों और अधिनियमों " पर व्याख्यान दिया ।

6. श्री आर.ए. गुर्जर उप-मु.वि.नि., ने दि. 17/06/2014 को "व्यापारिक विस्फोटको का विनिष्टीकरण, विस्फोटको नियमों और अधिनियमों " पर राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज, नागपुर, के डीटीएस श्री एस.एम. कुलकर्णी, वि.नि., ने विस्फोटकों के परिक्षण पर प्रशिक्षण पर 20 प्रतिभागियो को व्याख्यान दिया एक व्याख्यान दिया ।

7. श्री आर.ए. गुर्जर उप-मु.वि.नि., डीटीएस ने दि. 08/12/2014 को डीटीएस में, सामग्री प्रंबंधन महाविद्यालय, जबलपुर, के 15 अधिकारियों को "वाणिज्यिक विस्फोटको और उसके सुरक्षित हैंडलिंग तकनीक के प्रकार" विषय पर एक व्याख्यान दिया ।

8 श्री एस.एम कुलकर्णी, वि.नि., ने दि. 08/12/2014 को डीटीएस में, सामग्री प्रंबंधन महाविद्यालय, जबलपुर, के 15 अधिकारियों को "वाणिज्यिक विस्फोटको और उसके सुरक्षित हैंडलिंग तकनीक के प्रकार" विषय पर एक व्याख्यान दिया ।

<u>सेमिनार/ कार्यशालाएं</u>

1. श्री सुजोय सेन, सं-मु.वि.नि., ने दि. 14/03/2015 को नागपुर में, "भडारण के लाइट वेहट् सोलुयशन एंव मोटर वाहन ईंधन के परिवहन के लिए उच्च दबाव" पर एक कार्यशाला में भाग लिया ।
2. डॉ संजना शर्मा, उप-मु.वि.नि., ने दि.22/07/2014 को भावनगर में जहाज रीसाइक्लिंग कोड चुनौतियों को लागू करने और उसे आगे भी बनाए रखना, सम्मेलन में भाग लिया, और जहाज के विनिष्टीकरण की गतिविधियों मे संगठन की भूमिका/ जिम्मेदारी पर व्याख्यान दिया ।

अतिरिक्त गतिविधियां

1 डॉ डी.सी. पांडे, वि.नि., को मु.वि.नि.,के आदेश पर आतिशबाजी कारखाने के निरिक्षण करने के लिए दि. 01/07/2014 से 14/08/2014 तक सिवाकासी पर स्थानांतिरत कर दिया गया है ।

2 श्री एस.डी.मिश्रा, उप-वि.नि.,वडोदरा, को मु.वि.नि.,के आदेश पर आतिशबाजी कारखाने के निरिक्षण करने के लिए दि. 15/07/2014 से 15/08/2014 तक सिवाकासी पर स्थानांतिरत कर दिया गया है ।

3 श्री संदीप कुमार, उप-वि.नि ने दि.02/02/2015 से 13/02/15 तक, "नवनियुक्त उप-मु.वि.नि., के प्रशिक्षण के लिए इंडक्शन कार्यक्रम" में भाग लिया।

4 उप-मु.वि.नि.,वडोदरा, के कार्यालय द्वारा हिंदी शपथ कायर्क्रम दि. 11/09/2014 से 17/09/2014 का आयोजन किया गया । मुख्य अतिथी के रूप में श्री विष्णु विराट चतुर्वेदी, पूर्व- अध्यक्ष, हिंदी विभाग, एम.एस. विश्वविद्यालय,वडोदरा, को हिंदी सप्ताह समापन के दिन आमांत्रित किया गया ।

5 उप-मु.वि.नि.,वडोदरा, के कार्यालय में दि. 02/10/2014 को स्वचछ भारत अभियान मनाया गया।सभी अधिकारियों एंव कर्मचारियों ने सफाई की शपथ ली और कार्यालय के परिसर में पुराने रिर्काड को कार्यालय परिसर से बाहर कर समाप्त किया।

6 दि.20/03/2015 को मेसर्स टीक्यू सर्विसेज (टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का एक प्रभाग) द्वारा आईएसओ:9001-2008 प्रमाणित डीटीएस को मान्यता प्राप्त हुई ।

7 उप-मु.वि.नि., विभागीय परीक्षण केन्द्र, गौंडखेरी,महाराष्ट्र, कार्यालय द्वारा दि.12/09/2014 से 27/09/2014 तक सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को बढावा देने के लिए हिंदी शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया ।

8 उप-मु.वि.नि., विभागीय परीक्षण केन्द्र, गौंडखेरी,नागपुर, महाराष्ट्र, ने दि.02/10/2014 को सभी कर्मचारियों को साफ- सफाई की प्रतिज्ञा दिलाई और कार्यलय परिसर के अंदर और बाहर स्वेच्छा से सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।

9 उप-मु.वि.नि., विभागीय परीक्षण केन्द्र, गौंडखेरी,नागपुर, महाराष्ट्र, के कार्यालय में दि. 27/10/2014 से 011/11/2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

10 मु.वि.नि.,वर्धा, विस्फोटक विनिमार्ण के नमूने को बाहर के लिए निर्मित किया गया साथ ही दि.08/11/2014 को मेसर्स सुआ एक्सपोलोजिव्स एडं एक्सेसरीज प्रा. लि. जिला वर्धा, द्वारा सीएफबी बॉक्स का प्रयोग हुआ और साथ ही आवश्यक जॉच करने के लिए डीटीएस गौंडखेरी, में नमूना भेजा गया ।

11 दि.08/10/2014, 08/01/2015, 22/11/2013 को मु.वि.नि.,वर्धा, सीडीईटी विस्फोटक उद्योग प्रा. लि. में स्टीफंस एसिड के परिक्षण के विनिमार्ण की गवाही के लिए, और सीडीईटी विस्फोटक का प्रयोगशाला में किए गए परिक्षण की आवश्यकता हेतु मु.वि.नि., नागपुर, को रिपोर्ट भेजी गई।

12 वि.नि.,वर्धा, विस्फोटक विनिमार्ण के नमूने को बाहर के लिए निर्मित किया गया साथ ही दि.14/11/2014 को मेसर्स अरावली एक्सपोलोजिव्स एंड केमिकल तालेगॉव (रधुजी) जिला वर्धा, द्वारा सीएफबी बॉक्स का प्रयोग हुआ और साथ ही आवश्यक जॉच करने के लिए डीटीएस गौंडखेरी, में नमूना भेजा गया ।

13 कार्यालय मे दि. 27/10/2014 से 02/11/2014 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

14 मेसर्स रेगेन्सिस इंडस्ट्रीज प्रा. लि., एमआइडीसी, जिला- चंद्रपुर, मेसर्स केलटेक इंडस्ट्रीज लि., एमआइडीसी, जिला- चंद्रपुर, मेसर्स सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि., वरूर, जिला- चंद्रपुर, मेसर्स इंडियन एक्सपोलोजिव्स लि., एमआइडीसी, जिला- चंद्रपुर, दि.04/12/2014 को मु.वि.नि.,वर्धा, एसएमई (बिना गैस) के नमूने को विनिमार्ण के लिए भेजा और साथ ही नमूने को आवश्यक जॉच करने के लिए डीटीएस गौंडखेरी, में भेजा गया ।

15

उत्तरी अंचल, फरीदाबाद

विजिट्स

1 डॉ अनुप कुमार, सं-मु.वि.नि.,उत्तरी अंचल, फरीदाबाद, एंव श्री विनोद कुमार, उप-मु.वि.नि., फरीदाबाद, ने दि.25/03/2015 को मु.वि.नि.,चंडीगढ, के कार्यालय में निरिक्षण के लिए विजिट्स किया ।

2 श्री अजय सिंह, वि.नि.,चंडीगढ, को दि.10/10/2014 और 07/11/2014 को वित्त अधीक्षक-1, चंडीगढ प्रशासन, यू.टी. चंडीगढ, के कार्यालय पर विजिट्स किया ।

बैठकें:

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के आदेश के अनुसार दि.31/01/2014 और 22/03/2014 को सीपीडव्लू संख्या 15171 और 18679, 2010 में गुडगांव और फरीदाबाद में एयर फोर्स स्टेशन के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण संबंधित कैबिनेट सचिवालय ने अतिरिक्त सचिव, शहरी विकास,शहर और देश योजना मंत्रालय संगठन, नई दिल्ली, की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जिसमें डॉ अनुप कुमार सं-मु.वि.नि., उ. अ.,फरीदाबाद, ने भी दि. 23/04/2014, 08/08/2014, 14/08/2014 और 16/10/2014 को बैठक में भाग लिया ।
2. दिनांक 31.03.2014 को नई दिल्ली में दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्णय के अनुसार रिट याचिका संख्या (सी) 2079/2014-सीएम एपीपीएल 4343/2014 अपीलार्थी मेसर्स गुप्ता फायरवर्क्स के श्री बाबूलाल गुप्ता, दिल्ली सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, नई दिल्ली में मंत्रालय से पहले 02.05.2014 पर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया, संयुक्त सचिव (डीआईपीपी), श्री पीसी श्रीवास्तव, संयुक्त सीसीई, मुख्यालय और डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ., फरीदाबाद, की उपस्थिति में अपने अधिवक्ताओं के साथ अवसर मिला ।
3 डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ., फरीदाबाद, एंव डॉ एस. के. सिंह वि.नि., फरीदाबाद, में वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव के साथ विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन अनुज्ञप्ति फीस, उद्योग अनुज्ञप्ति एंव फायरवर्क्स रोड मेप इत्यादि पर दि.08/05/2014, 09/05/2014, 22/05/2014, 25/11/2014 27/11/2014, 15/12/2014 और 07/01/2015 को बैठक में भाग लिया ।
4 डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ., फरीदाबाद, ने दि. 08/09/2014 को मु.वि.नि.,के साथ नागपुर में मेसर्स एचपीसीएल, उदयपुर,के साथ खुदरा आउटलेट बैठक में भाग लिया ।
5 डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ., फरीदाबाद, ने दि. 13/10/2014 को दिल्ली सचिवालय, में सचिव(पर्यावरण) की अध्यक्षता में आगामी दीवाली त्योहार के संबंध में आतिशबाजी विरोधी अभियान की बैठक में भाग लिया ।
6 डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ., फरीदाबाद, ने दि. 21/10/2014 पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय,शास्त्री भवन, नई दिल्ली, संयुक्त रूप से पेसो के साथ प्राधिकृत दिल्ली एंव एनसीआर के सीएनजी सिलेंडर हाइड्रो परिक्षण केंद्र की बैंठक में भाग लिया ।
7 डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ., फरीदाबाद, ने दि. 15/12/2014, 08/01/2015, 02/02/2015,03/03/2015, 10/03/2015 को भारत सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न

मंत्रालयों/ विभागों के डिजिटलीकरण संबंधित रणनीति के लिए केबिनेट सचिवालय,प्रोजेक्ट मॉनिटिरिंग ग्रुप, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

8 डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद ने दि. 25/07/2014 और 11/11/2014 को मेसर्स एनएचपीसी लि. सेक्टर-33 फरीदाबाद, में न.रा.का.स के राजभाषा हिंदी के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया ।

9 डा. अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद ने दि. 28/11/2014 को मु.वि.नि., के साथ अंचल प्रमुख, मुख्यालय, नागपुर में बैठक में भाग लिया ।

10 डा. अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद ने दि. 31/12/2014 को ओआईएसडी, नोएडा, यू.पी. में बैठक में भाग लिया ।

11 डॉ एस.के. सिंह, वि.नि.,ने डीआईपीपी के उच्च अधिकारियों के साथ अन्य मंत्रालय के साथ-साथ मु.वि.नि., एंव पेसो के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।

12 डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद ने दि. 01/05/2014 को अंचल प्रमुख में मु.वि.नि., के साथ प्रशासनिक मामलों पर आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में भाग लिया ।

13 मेसर्स एनएचपीसी लि.,से.-33 फरीदाबाद में दि. 28/05/2014 को राजभाषा शिल्ड पुरस्कार वितरण में डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद, डॉ एस.के. सिंह, वि.नि., फरीदाबाद, एंव श्री उमेश प्रसाद, उ.श्रे.लि. ने भाग लिया । सं-मु.वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद के कार्यालय को 2012-13 तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

14 डॉ अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद, श्री सी. जी. कलम्भे, वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद, श्री आर.के.मंदलोई, उप-वि.नि., ने दि. 07/11/2014 और 08/11/2014 को वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, नई दिल्ली, संयुक्त सचिव के साथ, प्रशासनिक मामलों पर आयोजित बैठक में भाग लिया ।

15 डा. अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., उ.अ.,फरीदाबाद ने दि. 23/02/2015 को अग्नि, विस्फोटक, एंव पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (CFEES), तिमारपुर, दिल्ली, में स्टेक की भंडारण पैनल की बैठक में भाग लिया ।

16 श्री पी.कुमार., उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ, ने दि. 27/11/2014 को किसान भवन,सेक्टर-35, चंडीगढ, में न.रा.का.स., राजभाषा विभाग, चंडीगढ,(यूटी) द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया ।

17 श्री पी.कुमार., उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ, ने दि.27/01/2015 को अपने कार्यालय में राजभाषा के उपर एक बैठक आयोजित की।

18 श्री अजय सिंह, वि.नि., ने दि.10/03/2015 चंडीगढ़, अदालत के सम्मन एसडीजेएम के संदर्भ में थानेदार, मंडी गोबिंदगढ़, अमलोह, फतेहगढ़ साहिब से मुलाकात की।

19 श्री पी कुमार, उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ, और श्री अजय सिंह, .वि.नि., चंडीगढ़, ने दि. 19/03/2015 , 24/03/2015, 25/03/2015 को आयकर विभाग, सेक्टर 17, चंडीगढ़, संसदीय समिति की बैठक के बारे में नराकास अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।

20 श्री पी कुमार, उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ, और श्री अजय सिंह, .वि.नि., चंडीगढ़, ने दि. 28/03/2015 को संसदीय समिति के साथ बैठक में भाग लिया।

21 श्री अजय सिंह, .वि.नि., चंडीगढ़ दि. 12/03/2015 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, अदालत के मामले के संबंध में चंडीगढ़ में सहायक सॉलिसिटर जनरल, के साथ मुलाकात की।

22 श्री अजय सिंह, वि.नि., चंडीगढ़ डीआरआई अधिकारी के साथ लुधियाना में जब्त सिलेंडरों के निपटान के लिए दि. 16/12/2014 और 24/12/2014 को मुलाकात की।

23 श्री आर वेणुगोपाल, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 16/12/2014 को जिला कलेक्टर, जयपुर, की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस ग्रुप की बैठक में भाग लिया।

24 . श्री आर रावत, वि.नि., जयपुर और श्री उमेश प्रसाद, एलडीसी,ने प्रधान महालेखाकार (लेखा और हक) कार्यालय, राजस्थान, जयपुर, में नगर राजभाषा कार्यान्वन समिति (केन्द्रीय सरकार कार्यालयों) की त्रैमासिक बैठक में भाग लिया ।

<u>व्याख्यानः</u>

1. श्री मृदुल मनोहर, वि.नि.,, फरीदाबाद, ने दि.18/12/2014 को "गैस सिलिंडर नियम, 2004 और स्टेटिक और मोबाइल दबाव वेसल्स (यू) नियम, 1981" क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद द्वारा आयोजित जोखिम प्रक्रिया उद्योगों में लगे कर्मियों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुपरवाइजरी पर एक महीने के सर्टिफिकेट कोर्स कार्यक्रम पर व्याख्यान दिया ।
2. श्री सी.जी. कलंभे , वि.नि., ने दि.21/11/2014 को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 2002 कारखानो के"रासायनिक सुरक्षा" प्रशिक्षण कार्यक्रम पर क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद द्वारा आयोजित निरीक्षकों के लिए एक व्याख्यान दिया।
3. श्री सी.जी. कलंभे , वि.नि., ने दि.27/11/2014 को "भारतीय विस्फोटक अधिनियम, **1884** और विस्फोटक नियम, **2008**" पर क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में औद्योगिक सुरक्षा के पोस्ट डिप्लोमा कोर्स के प्रतिभागियों के लिए एक व्याख्यान दिया ।
4. डॉ बी सिंह, वि.नि.,ने दि. 25/11/2014 से 27/11/2014 तक "पर विस्फोटक नियम 2008;, पेट्रोलियम नियम, 2002; एसएमवीपी(यू) नियम 1981 और कैल्शियम कार्बाइड नियम 1987 "पर क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में व्याख्यान दिया ।

5. डॉ एस के सिंह, वि.नि., पेट्रोलियम मैनेजमेंट, इंडियन ऑयल संस्थान गुड़गांव में पेट्रोलियम नियम, 2002 पर व्याख्यान दिया।
6. श्री आर.के. मंदलोई, उप-वि.नि., ने दि. 18/12/2014 को "स्थिर और मोबाइल दबाव वेसल्स (यू) नियम, 1981" पर क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में एक व्याख्यान दिया।
7. श्री आर.के मंदलोई, उप-वि.नि., ने दि. 25/02/2015 को आईओसी डिपो, ब्रिजवासन, नई दिल्ली में 'जोखिम रसायनों और वैधानिक अनुपालन की परिवहन पाइपलाइन' पर एक व्याख्यान दिया ।
8. श्री आर.के. मंदलोई, उप-वि.नि., ने दि. 30/03/2015 को "पेट्रोलियम नियम, 2002, तेल प्रतिषठापन और आपदा प्रबंधन को लागू करना" पर पाइपलाइन कॉन्क्लेव, नई दिल्ली, में, डॉ बी सिंह, सीई, और डॉ एस के सिंह, सीई के साथ एक व्याख्यान दिया ।
9. श्री सी.जी. कलंभे , वि.नि., पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 2002 को एक व्याख्यान कारखाने क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद द्वारा आयोजित निरीक्षकों के लिए पर "रासायनिक सुरक्षा" प्रशिक्षण कार्यक्रम में 21/11/2014 पर दिया।
10. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ, ने दि. 30/10/2014 को "ज्ञान प्रबंधन" पर कार्यालय के वर्तमान सदस्य उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ, को व्याख्यान दिया।
11. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ़ ने दि. 28/06/2014 को मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़, "आग और विस्फोटक नियंत्रण; कानूनी प्रंबंधन " पर अधिकारियों को एक व्याख्यान।
12. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ़ ने दि. 12/08/2014 को मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भटिंडा, के अधिकारियों "आग, विस्फोट और खतरनाक उद्योगों में सुरक्षा पर वैधानिक प्रावधानों" पर उप-मु.वि.नि., चंडीगढ़ के कार्यालय में व्याख्यान दिया ।
13. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि.,चंडीगढ़ ने दि. 28/11/2014 को उप-मु.वि.नि., के कार्यालय में दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी की प्रगति और कार्यान्वयन पर अधिकारीयों को व्याख्यान दिया।
14. श्री आर वेणुगोपाल, उप-मु.वि.नि., ने दि. 2015/09/03 को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जयपुर में "डिजाइन और अज्वलित दाव वेसल जहाजों की सुरक्षा 'विषय पर एक व्याख्यान दिया।
15. श्री आर. रावत, वि.नि., दि.13/03/2015 को "गैस सिलिंडर नियम, 2004" डीसीएम, कोटा में व्याख्यान दिया और "क्लोरीन सुरक्षा" संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

16. श्री डी.वी. सिंह, उप-मु.वि.नि., ने दि. 13/03/2015 को डीसीएम, कोटा में पर "क्लोरीन भंडारण सुरक्षा" पर व्याख्यान दिया।

कार्यशालाएं /संगोष्ठियां/ प्रशिक्षण / अग्निशमन अभ्यास

1. राजभाषा हिंदी कार्यशालाएं को सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद, के कार्यालय में आयोजित किया गया ।जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के बेहतर इस्तेमाल के लिए इन कार्यशालाओं में भाग लिया।

2. डॉ बी. सिंह, वि.नि., ने दि.30/03/2015 को मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, द्वारा आयोजित."सुरक्षा और पाइपलाइनों में सुरक्षा' 'विषय पर एक संगोष्ठी में भाग लिया।

3. डॉ एस.के. सिंह, वि.नि., नई दिल्ली में एक संगोष्ठी "सेफ्टी सुरक्षा और पेट्रोलियम पाइपलाइनों में पर्यावरण की चुनौतियां।" विषय पर भाग लिया

4. श्री अजय सिंह, वि.नि., चंडीगढ़ ने दि.27/01/2015 को उप-मु.वि.नि., चंडीगढ़ की अध्यक्षता में ऑनलाइन हिंदी रिपोर्ट तैयार करना और कार्यपुस्तिका में हिंदी के डेटा के रखरखाव के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

5. उप-मु.वि.नि., चंडीगढ़ दि.30/04/2014 को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, श्री संत राम, सं.नि.,ने दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग के संबंध में अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया।

6. उप-मु.वि.नि., जयपुर, ने दि. 07/05/2014 को उप-मु.वि.नि.,जयपुर के कार्यालय में आतिशबाजी विनिर्माताओं के साथ "आतिशबाजी उद्योग में सुरक्षा" पर एक बैठक का आयोजन किया। सभी राजस्थान में आतिशबाजी कारखानों के विनिर्माताओं ने बैठक में भाग लिया।

7.दि. 29/10/2015 को उप-मु.वि.नि., जयपुर, के कार्यालय में भारत ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जयपुर "पेट्रोलियम प्रतिष्ठापन की सुरक्षा/डिपो/राजस्थान के राज्य में खुदरा दुकानों"पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 16 अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। "

मध्यांचल- आगरा

विजिट्स:-

1. सुरक्षा आडिट को मु.वि.नि., के अधिकारियों के आदेश पर विशेष अभियान के रूप में सीएनजी और पेट्रोलियम पाइपलाइनों का निरीक्षण तैनात कि गई विभिन्न टीमों द्वारा किया गया। डॉ ए. के. यादव, उप-मु.वि.नि., और श्री प्रवेश कुमार, उप-वि.नि., डॉ एम.आई.जेड.अंसारी, वि.नि., की एक अन्य टीम और श्रीमती वी.एस. बारदेव, उप-वि.नि., और डॉ करूणामय पांडे, वि.नि., और श्री कुवँरपाल सिंह, उप-वि.नि., की तीसरी टीम। विभिन्न टीमों को सभी सुरक्षा नियमों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के लिये भेजा गया।

2. दि. 14/01/2015 को मथुरा रिफाइनरी का सुरक्षा ऑडिट डॉ ए.के.यादव, उप-मु.वि.नि., के साथ श्रीमती वी.एस.बारदेव, उप-वि.नि., और श्री कुवँरपाल सिंह, उप-वि.नि.,ने किया।

3. दि. 02/01/2015 को एतमादपुर डिपो का सुरक्षा ऑडिट डॉ ए.के.यादव, उप-मु.वि.नि., के साथ श्रीमती वी.एस.बारदेव, उप-वि.नि., श्री प्रवेश कुमार, उप-वि.नि., और श्री कुवँरपाल सिंह, उप-वि.नि.,ने किया।

4. दि. 21/01/2015 को डॉ ए.के.यादव, उप-मु.वि.नि., के साथ श्रीमती वी.एस.बारदेव, उप-वि.नि., श्री प्रवेश कुमार, उप-वि.नि., और श्री कुवँरपाल सिंह, उप-वि.नि.,ने सलेमपुर में बॉटलिंग संयंत्र की सुरक्षा ऑडिट किया।

<u>बैठकें</u>:

1. श्री कैलाश कुमार, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 2014/05/04 को, चुनाव ड्यूटी से संबंधित अधिकारियों और कार्यालय के कर्मचारी सदस्यों, एंव एडीएम(प्रशासन) के साथ आगरा कार्यालय में, बैठक में भाग लिया।

2. श्री कैलाश कुमार, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 25/04/2014 को टीओएलआईसी की छमाही बैठक में भाग लिया।

3.दि. 20/06/2014 और 21/06/2014 को उप-अंचल प्रमुख द्वारा आयोजित तिमाही बैठक में सभी उप-अंचल प्रमुखों एंव आगरा कार्यालय के सभी अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

4.दि.02/09/2014 को हिंदी त्रैमासिक बैठक को आगरा कार्यालय में आयोजित किया गया ।

5. दि. 15/09/2014 को आगरा कार्यालय में 'हिंदी दिवस' मनाया गया।

6. श्री एम के पांडेय, वि.नि.,ने 16/09/2014 को पेट्रोलियम टैंक ट्रकों से संबंधित परिवहन आयुक्त, लखनऊ, के कार्यालय में एक बैठक में भाग लिया

7. श्री कैलाश कुमार, स.-मु.वि.नि.,ने दि. 26/09/2014 को डॉ ए.के. यादव उप-मु.वि.नि., श्रीमती वी.एस.बारदेव, उप-वि.नि., और श्रीमती श्रावणी गांगुली, क.हिं.अ.ने टीओएलआईसी आगरा की छमाही बैठक में भाग लिया।

8. श्री कैलाश कुमार, स.-मु.वि.नि.,ने दि. 17/10/2014 को मेसर्स ग्रीन गैस लिमिटेड, लखनऊ में प्रबंध निदेशक और सीमित के अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में भाग लिया। सीएनजी स्टेशनों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बैठक में चर्चा की गई।

9. श्री कैलाश कुमार, स.-मु.वि.नि.,ने दि. 18/10/2014 को मेसर्स एचपीसीएल और बीपीसीएल लखनऊ में, अधिकारियों के साथ एक बैठक में भाग लिया। खुदरा दुकानों और आवेदनों की ऑनलाइन जमा की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बैठक में चर्चा कि गई।

10. दि. 21/11/2014 को आगरा कार्यालय में हिंदी की तिमाही बैठक और कार्यशाला आयोजित कि गई । सभी अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

11 श्री कैलाश कुमार, स.-मु.वि.नि.,ने दि. 28/11/2014 को नागपुर में आयोजित अंचल प्रमुखों की बैठक में भाग लिया।

12. डॉ एम.आई.जेड. अंसारी, वि.नि.,ने दि. 26/11/2014 को आगरा कार्यालय में पेट्रोलियम अधिनियम 1934 ,पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

13. दि. 12/12/2014 और 13/12/2014 को उप-अंचल प्रमुखों की तिमाही बैठक आयोजित कि गई । सभी उप-अंचल प्रमुखों और आगरा कार्यालय के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

14. दि. 16/01/2015 को चौथी हिन्दी त्रैमासिक बैठक/संगोष्ठी आगरा कार्यालय में आयोजित कि गई । सभी अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

15. पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और विस्फोटक अधिनियम 1884 के दायरे के अंतर्गत आने वाले एमएएच परिसर (अनुज्ञप्त और अनुमोदित परिसर) कार्यालय के क्षेत्राधिकार का प्राथमिकतानुरूप निरीक्षण किया गया।

16. श्री दीपक कुमार, उप वि.नि.,ने दि. 21/07/2014 को श्रीमती नीता चौधरी, आईएएस, सचिव, राज्य भाषा विभाग, के साथ नराकास, देहरादून द्वारा आयोजित भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून, के में "हिन्दी विशेष समीक्षा बैठक" में भाग लिया।

17. मु.वि.नि. के निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार बड़ी दुर्घटनाओं जोखिम परिसर (श्रेणी ए, बी और सी परिसर) की पहचान की गई और जोखिम रसायनों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा आडिट आयोजित किया गया ।

18. श्री एम.जी. तितरे, वि.नि. ने दि. 16/10/2014 से 18/10/2014 तक मु.वि.नि. कार्यालय, नागपुर में 3 दिन के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम (प्रशिक्षण) में भाग लिया।

19. डॉ ए.पी. सिंह, उप-मु.वि.नि., ने दि. 27/08/2014 को इलाहाबाद आयकर आयुक्त, सिविल लाइंस, इलाहाबाद के कार्यालय में, छमाही हिंदी कार्यान्वयन समिति, में भाग लिया और इस बैठक के दौरान इस कार्यालय को राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार मिला।

<u>कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम :-</u>

1. श्री कैलाश कुमार, स.-मु.वि.नि.,ने दि.01/05/2014 को सभी अंचल प्रमुखों के साथ मु.वि.नि, नागपुर द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया।

2. दि. 16/05/2014 को हिंदी की ऑन लाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आगरा कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित कि गई ।

3. श्रीमती वी.एस. बारदेव, उप-वि.नि., श्री प्रवेश कुमार, उप-वि.नि., और श्री कुवँरपाल सिंह, उप-वि.नि.,ने दि. 27/01/2015 से 13/02/2015 को नव नियुक्त उप-वि.नि., के लिए नागपुर में, 'इंडक्शन कार्यक्रम' में भाग लिया।

4 दि. 17/09/2014 को सीटीएस / गैर सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट से संबंधित आगरा कार्यालय में आयोजित एक कार्यशाला में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी अधिकारीयों और कर्मचारी सदस्यों ने इस कार्यशाला में भाग लिया ।

5. दि. 03/12/2014 को सीएनजी / पेट्रोलियम पाइपलाइनों से संबंधित आगरा कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित कि गई ।

6. दि. 31/12/2014 को वि.नि., रायपुर, कार्यालय में वर्ष 2014-15 में तीसरी तिमाही हिन्दी कार्यशाला, आयोजित कि गई जिसमें मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर, श्री विकास श्रीवास्तव, क्षेत्र प्रबंधक, को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था।

7. श्री एम.जी. तितरे, रायपुर वि.नि. ने दि. 14/03/2015 को मेसर्स लक्सफर सिलेंडर ने पेसो के साथ तकनीकी सहयोग से "भंडारण और उच्च दबाव वैकल्पिक ईंधन के परिवहन के लिए लाइट वेह्ट सोलयुशन" नागपुर में आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

8. दि. 30/03/2015 को चौथी त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला कार्यालय में आयोजित कि गई जिसमें मेसर्स एचपीसीएल, रायपुर, श्री सुजीत कुमार राय, एसआरएम (एलपीजी) मुख्य अतिथि थे।

9. श्री एम.के. झाला, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 13/12/2014 को "सीएनजी प्रणाली में सुरक्षा प्रबंधन" 'विषय पर सं.मु.वि.नि. आगरा के कार्यालय में एक कार्यशाला में भाग लिया।

अतिरिक्त गतिविधियां

1. दि. 02/10/2014 को स्वच्छता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों नें साफ-सफाई बनाए रखने के लिए शपथ ली।

2. दि. 27/10/2014 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । इस अवसर पर सभी अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों ने शपथ ली।

न्यायालय उपस्थितिः

1. डॉ (श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, वि.नि., ने सं.मु.वि.नि., आगरा, के दिशानिर्देश के अनुसार रिट याचिका सं. 2013 के 2599 से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, जिला-नैनीताल, (यूके) न्यायालय के केस का निपटान किया ।

2. श्री दीपक कुमार, उप-वि.नि ने सं.मु.वि.नि.,और वि.नि.,देहरादून आगरा, के दिशानिर्देश के अनुसार रिट याचिका सं. 2015 के 463 से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, जिला-नैनीताल, (यूके) न्यायालय के केस का निपटान किया ।

3. डॉ ए.पी. सिंह, उप-मु.वि.नि., इलाहाबाद, ने दि. 22/08/2014 को ने सीएमआरपी नं 2014 के 28235 से संबंधित न्यायालय के केस का निपटान किया ।

4. डॉ ए.पी. सिंह, उप-मु.वि.नि., इलाहाबाद, ओए नं 2014 के 330/01207 से संबंधित न्यायालय के केस का निपटान किया ।

5. डॉ ए.पी. सिंह, उप-मु.वि.नि., इलाहाबाद, ने दि.20/05/2015 को डब्लुपी न. 2014 के 60155 से संबंधित न्यायालय के केस का निपटान किया ।

6.इस कार्यालय द्वारा स्वामी भारत गैस ग्रामीण वितरक और अन्य बनाम संघ एवं अन्य, 2014 के सीएमआरपी सं.61374 कोर्ट केस का निपटान किया ।

7. श्री एम.जी.तीतरे, वि.नि., ने दि. 16/12/2014 को माननीय न्यायालय,रायपुर तीर्थहल्ली, जिला शिमोगा (राज्य कर्नाटक) को सी.आर.सं.111/2008 पी.एस.तीर्थहल्ली, जिला शिमोगा, जब्त विस्फोटकों की जांच से संबंधित निविदा में भाग लिया था ।

8. श्री एस.के.भोले, उप-वि.नि.,ने दि. 28.01.2015 को माननीय न्यायालय,रायपुर,में । ई /एचक्यू /सीजी/20/11 (ई-14619) के दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में के साथ पर में भाग लिया।

9. श्री एम.झाला, उप-मु.वि.नि., ने हरि नारायण बनाम सांसद और दूसरें ृराज्य के उच्च न्यायालय के प्रिंसिपल सीट जबलपुर में,के संदर्भ में डब्लूय पी सं 7406/2014 में भाग लिया ।

10. श्री एम झाला, उप-मु.वि.नि., ने राजेश कुमार राठोर बनाम आईओसीएल और अन्य, डब्लूय पी सं 10938 / 2014 जबलपुर में सांसद प्रिंसिपल सीट के उच्च न्यायालय में भाग ।

11. श्री एम झाला, उप-मु.वि.नि.,ने सुखलाल बनाम बीपीसीएल, सं.मु.वि.नि.,आगरा, व अन्य। सं 117A / 14 के संदर्भ में जबलपुर में सांसद प्रिंसिपल सीट के उच्च न्यायालय में भाग लिया ।

12. श्री एम झाला, उप-मु.वि.नि.,ने शेख शाहिद बनाम सांसद और दूसरें राज्य डब्लूय पी सं 7015/2014 जबलपुर में सांसद प्रिंसिपल सीट के उच्च न्यायालय में भाग लिया ।

13. श्री एम झाला, उप-मु.वि.नि.,ने लबचंद बनाम एचपीसीएल, और अन्य डब्लूय पी सं.11644 / 13 इंदौर के उच्च न्यायालय में भाग लिया ।

14. श्री एम झाला, उप-मु.वि.नि.,ने धर्मेंद्र शेखर त्रिपाठी बनाम सांसद और अन्य के संदर्भ में डब्लूय पी सं 17004/2014 जबलपुर में प्रिंसिपल सीट के उच्च न्यायालय में भाग लिया ।

पूर्वांचल, कोलकाता

विजिट्स:-

1 श्री आर.के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 23/06/2014 से 24/06/2014 को मेसर्स आईएल, गोमिया, में उच्च विस्फोटक फैक्टरी की विजिट्स की और विस्फोटक नियम, 2008 के सुरक्षा की आवश्यकता पर एक व्याख्यान दिया।

2 श्री आर एन मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 03/06/2014 से 06/06/2014 को, मेसर्स आईएल, गोमिया, में उच्च विस्फोटक फैक्टरी का सुरक्षा ऑडिट किया और "विस्फोटक नियम, 2008 के सुरक्षा की आवश्यकता" पर एक एक व्याख्यान दिया।

3. श्री आर.के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 23/06/2014 से 24/06/2014 को निरीक्षण और कार्यालय के कामकाज पर नजर रखने के लिए और कार्यालय प्रशासन से संबंधित मुद्दों की दिनचर्या को स्वीकृति के लिए उप-मु.वि.नि., रांची के कार्यालय में विजिट्स किया।

4. श्री आर.के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 06/06/2014 को निरीक्षण और कार्यालय के कामकाज पर नजर रखने के लिए और कार्यालय प्रशासन से संबंधित मुद्दों की दिनचर्या को स्वीकृति के लिए उप-मु.वि.नि., गुवाहाटी के कार्यालय में विजिट्स किया।

5. श्री आर एन मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 27-28/01/2014 को निरीक्षण और कार्यालय के कामकाज पर नजर रखने के लिए और कार्यालय प्रशासन से संबंधित मुद्दों की दिनचर्या को स्वीकृति के लिए उप-मु.वि.नि.,पटना के कार्यालय में विजिट्स किया।

6 मु.वि.नि.,के निर्देश के अनुसार, श्री आर.एन. मीणा उप-मु.वि.नि.,ने दि. 16/08/2014 से 05/09/2014 को विशेष अभियान पर सिवाकासी में आतिशबाजी विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण एवं आतिशबाजी निर्माण में सुरक्षित कार्य व्यवहार को करने के लिए विजिट्स किया।

7. मु.वि.नि.,के निर्देश के अनुसार, डॉ आर अली वि.नि., ने दि. 01/07/2014 से 30/08/2014 को विशेष अभियान पर सिवाकासी में आतिशबाजी विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण एवं आतिशबाजी निर्माण में सुरक्षित कार्य व्यवहार को करने के लिए विजिट्स किया।

8. डॉ आर अली, वि.नि.,और श्री संजय कुमार, वि.नि.,ने दि. 19/06/2014 से 20/06/2014 तक मे.ब्लैक डाइमंड एक्सप्लोसिव, एसंसोल एंव एकेएस एक्सप्लोसिव,एसंसोल, द्वारा आयोजित सुरक्षा ऑडिटि किया ।

9. श्री बजीउद्दीन, उप-मु.वि.नि.,रांची ने दि. 01/07/2014 से 23/08/2014 तक आतिशबाजी के निरीक्षण के लिए सिवाकासी में विजिट्स किया।

10. क्रॉस कंट्री पाइप लाइनों सहित पाइप लाइन का निरीक्षणको प्राथमिकता के आधार पर किए गए थे। नियमों के अनुसार प्रासंगिक कार्रवाई तुरंत ले जाया गया।

11. दि.09.12.2014 को कोलकाता में, बजबज से जेटी प्वाइंट के प्रतिस्थापन में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एसके ऑइल, एवं एचओएसडी का सं.मु.वि.नि.,के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, नियमों के अनुसार प्रासंगिक कार्रवाई के लिये तुरंत ले जाया गया।

12. दि.18/10/2014 से 22/10/2014 को शहीद मीनार, बेहाला, किशोर भारती स्टेडियम और ताला पार्क सर्कस मैदान के 4 बजी बाजार में पुलिस उप-आयुक्त, कोलकाता, के साथ कार्यालय के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण का आयोजन किया।

<u>बैठकें</u>:

1. श्री आर एन मीणा ने दि. 24/6/2014 को कोलकाता में, मेसर्स आईबीपी (आईओसीएल) द्वारा आयोजित "विस्फोटक कॉन्क्लेव" बैठक में भाग लिया।

2. श्री संजय कुमार, वि.नि., ने श्री एस. कंडासामी, उप-वि.नि. ने दि. 27/8/2014 को पुलिस आयुक्त, कोलकाता के साथ त्योहार के मौसम के दौरान आतिशबाजी की दुकानों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में एक बैठक भाग लिया।

3. श्री संजय कुमार ने दि.29/08/2014 को केन्द्र सरकार की समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया।

4. श्री आर.के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 25/11/2014 को मु.वि.नि.,नागपुर और पेसो के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिव डीआईपीपी, न्यू साथ एक बैठक में भाग लिया।

5. श्री आर एन मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 30/12/2014 को 34 ए, निर्मल चंद्र स्ट्रीट, सम्मेलन कक्ष, कोलकाता में आईओसीएल कार्यालय, में आरजीजीएलवी के चयन के लिए एक लकी ड्रा कार्यक्रम में भाग लिया।

6. डॉ आर अली बजी एवं श्री संजय कुमार वि.नि., ने दि. 20/10/2014 को संयुक्त पुलिस आयुक्त के साथ कोलकाता में विभिन्न खुले मैदान में स्थित बाजार का संयुक्त निरीक्षण किया।

7. दि. 2014/10/04 को सं.मु.वि.नि., कोलकाता कार्यालय द्वारा आयोजित उप-अंचल के कार्यालयों की बैठक की गई। सभी उप मण्डल और पूर्वी अंचल के अधिकारियों के मुख्यों ने बैठक में भाग लिया। दिनचर्या कार्यालय प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर बैठक में चर्चा रही।

8.दि. 23/03/2015 से27/03/2015 को सं.मु.वि.नि., कोलकाता, कार्यालय में पूर्वी अंचल के विभिन्न नियमों के तहत सक्षम व्यक्तियों को अपने कार्य की मॉनिटिरींग करने के लिए बैठकों को आयोजित किया गया।

9. श्री संजय कुमार,वि.नि. ने दि. 20/02/2015 को उप के साथ बैठक में भाग लिया। आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पोर्ट ब्लेयर "विस्फोटक नियम के प्रावधानों के तहत भूमिका और जिला प्राधिकरण के उत्तरदायित्व, 2008" के बारे में पर।

10. श्री संजय कुमार, वि.नि. ने दि. 21/02/2015 को " पेट्रोलियम नियम, 2002,विस्फोटक नियम, 2008 और गैस सिलेंडर नियम, 2004 के प्रावधानों के अतंर्गत सुरक्षा पहलुओं'' पर उप आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पोर्ट ब्लेयर, एवं अन्य के साथ कार्यशाला में भाग लिया में भाग लिया।

11.श्री संजय कुमार, वि.नि. ने दि. 24/02/2015 को विस्फोटक नियम, 2008 और पेट्रोलियम नियम, 2002 के प्रावधानों के अतंर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में उप आयुक्त दक्षिण अंडमान, उप आयुक्त, निकोबार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पोर्ट ब्लेयर, के साथ बैठक में भाग लिया।

12. श्री आर.के.मीणा, वि.नि.,एवं श्री एम. लोहर, आशुलिपिक, ने दि. 13/03/2015 को कोलकाता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय कार्यालयों) की बैठक में भाग लिया।

13. श्री के.पी.शर्मा, वि.नि.,गुवाहाटी,ने दि. 19.12.2014 को जिला स्तर की ऑफ साइट ईआरडीएमपी, की बैठक मे भाग लिया एवं दि.24/12/2014 को गुवाहाटी रिफाइनरी, गुवाहाटी में आयोजित ऑफ साइट इमरजेंसी मॉक ड्रिल में भाग लिया।

14. श्री के पी शर्मा, वि.नि.,गुवाहाटी, ने दि. 13/02/2015 को पेट्रोलियम नियम, 2002 पर निरीक्षण एवं सुरक्षा पहलुओं सहित मेसर्स गुवाहाटी रिफाइनरी में, कार्यशाला में भाग लिया। व्याख्यान श्री आर.एन.मीणा, उप-मु.वि.नि., चुनाव आयोग, कोलकाता द्वारा दिया गया था।

15. डॉ ए.के.दलेला, वि.नि.,रांची,ने दि. 26/03 / 2015 से 28/03/2015 को लालकृष्ण दलेला, वि.नि.,रांची, ने 9 पुलिस मामले की जांच करने के लिए और विस्फोटकों नियमों के अंतर्गत विस्फोटकों और नियम के सुरक्षित हैंडलिंग, 2008 के बारे में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के संबंध में पुलिस अधिकक्षक पाकुड़ (झारखंड) के साथ जिले पाकुड़ (झारखंड) के विभिन्न थाने में पुलिस मामले की बैठक में भाग लिया ।

<u>व्याख्यानः</u>

1. श्री आर.के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 04/08/2014 को मेसर्स आईओसीएल, कोलकाता, सं.मु.वि.नि., कोलकाता के सहयोग द्वारा आयोजित जीसीआर, 2004 और एसएमवीपी(यू) नियम, 1981 पर एक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम हे, पर एक व्याख्यान दिया और श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने भी कार्यक्रम में व्याख्यान दिया । मेसर्स आईओसीएल के पूर्वी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया था।

2. श्री आर.के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि.,ने दि., और श्री संजय कुमार, वि.नि., ने दि. 15/10/2014 को सर्वसामान्य जनता के लिए आतिशबाजी सुरक्षा पर आकाशवाणी पर अपना व्याख्यान दर्ज कराया।

3. श्री आर.के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 05/12/2014 पर डिगबोई रिफाइनरी, असम में "पेट्रोलियम प्रतिष्ठान में वैधानिक प्रावधानों, रिफाइनरियों" पर कागज प्रस्तुत किया।

4. श्री आर.के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि.,ने दि. 2014/07/06 को गुवाहाटी रिफाइनरी पर विजिट्स किया और मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी रिफाइनरी पर अधिकारियों को पेट्रोलियम नियम, गैस सिलेंडर नियम, एसएमवीपी(यू) नियमों पर एक व्याख्यान दिया। ।

5. श्री आर.एन.मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 30/05/2014 को मेसर्स डिगबोई रिफाइनरी के अधिकारियों के लिए "पर पेट्रोलियम नियम, गैस सिलेंडर नियम और एसएमवीपी(यू) नियमों की वैधानिक आवश्यकता पर एक व्याख्यान दिया ।

6. श्री आर.एन.मीणा, ने दि. 2014/03/06 को गोमिया में उच्च विस्फोटक फैक्टरी के अधिकारियों को विस्फोटक नियम की सुरक्षा की आवश्यकता, 2008 पर एक व्याख्यान दिया।

7. श्री आर.एन.मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 19/01/2015 को सं.मु.वि.नि., कोलकाता के कार्यालय में नव नियुक्त उप नियंत्रकों के लिए क्षमता निर्माण का विकास पर "विस्फोटक नियम 2008" पर एक प्रस्तुति दी।

8. श्री आर.एन.मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 13/12/2014 को संयुक्त रूप से पेसो, कोलकाता एवं डीएम बांकुरा द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विस्फोटक नियम, 2008 और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की सांविधिक आवश्यकताओं पर वितरित पावर प्वाइंट पर प्रस्तुति दी।

9. श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 05/02/2015 को संयुक्त रूप से पेसो, कोलकाता एवं डीएम बीरभूम द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विस्फोटक नियम, 2008 और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की सांविधिक आवश्यकताओं पर एक प्रस्तुति दी ।

10. श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि.13 / 02/2015 को गुवाहाटी रिफाइनरी द्वारा आयोजित कार्यशाला सुरक्षा में "पेट्रोलियम नियम, 2002 की सांविधिक आवश्यकताओं पर" और "पेट्रोलियम प्रतिष्ठान के लिए सुरक्षा और अनुपालन" पर एक प्रस्तुति दि।

11.श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि.को 24/03/2015 को मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता द्वारा आयोजित "एएलडीएस की सुरक्षा आवश्यकताओं" पर सं.मु.वि.नि., कोलकाता के सहयोग से एक प्रस्तुति दिया।

12. श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि.,ने दि. 2015/02/19 को मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉटलिंग प्लांट रायगंज में "जीसीआर और एसएमवीपी नियम एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पर सांविधिक आवश्यकताओं" पर एक प्रस्तुति दिया।

13. श्री संजय कुमार के साथ डॉ आर.अली, वि.नि., ने दि. 20/10/2014 को संयुक्त पुलिस आयुक्त के साथ कोलकाता में विभिन्न खुले मैदान में स्थित बजी बाजार का संयुक्त निरीक्षण किया।

14. डॉ आर अली, ने दि. 21/01/2015 को सं.मु.वि.नि., कोलकाता के कार्यालय में नव नियुक्त उप नियंत्रकों के लिए क्षमता निर्माण का विकास पर "विस्फोटक नियम 2008" पर एक प्रस्तुति दी।

15. उप-मु.वि.नि., रांची,कार्यालय, द्वारा अप्रैल 2014 को आयोजित ऑनलाइन जनरेशन आरई - 13 के लिए एक सेमिनार किया । श्री एस.के. दोके मु.वि.नि.,ने सीसीएल के अधिकारियों/कर्मचारियों को विस्तृत प्रस्तुति दी है।

16. श्री सुभाषिश रे, वि.नि., ने दि. 19/05/2014 को एलएनजेएन राष्ट्रीय संस्थान और फॉरेंसिक साइंस, दिल्ली में पुलिस अधिकारियों और विस्फोटक और विस्फोट धमाका जांच विषय पर 3 पाठ्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के लिए "विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक नियम से सुसंगत जांच के लिए प्रासंगिक विस्फोटक नियम" पर एक प्रस्तुति दी।

17. श्री सुभाषिश रे, वि.नि., ने दि.31/07/2014 को पर "जीसी नियम और पेट्रोलियम नियम के अतंर्गत कानूनी प्रावधानों" तालचर थर्मल पावर स्टेशन, तालचर में एक प्रस्तुति दी।

18. श्री सुभाषिश रे, वि.नि.,ने दि. 2014/02/12 को टाटा खदान सम्मेलन, जाजपुर में, जाजपुर खान प्रबंधक, ब्लास्टर्स और जाजपुर जिले के विभिन्न खानों के ओवर मैनों को " विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के अतंर्गत जब्त विस्फोटक और दंडात्मक प्रावधान के उपयोग से संबंधित विनियमों" पर एक प्रस्तुति दी।

19. श्री सुभाषिश रे, वि.नि.,ने दि. 27/03/2015 को आईओसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, बालासोर में "एलपीजी टैंकर सड़क में सांविधिक आवश्यकताओं'' पर एक प्रस्तुति दी ।

20. श्री सुभाषिश रे, वि.नि.,ने दि. 27/03/2015 को आईओसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, बालासोर में "दुर्घटना और दंड प्रावधान" पर एक प्रस्तुति को दिया।

अध्याय 8

सेवाओं मे अनुसूचित जातियों /जन-जातियों/अन्य पिछडी जातियों/ सेवानिवृत तथा शारिरिक रूप से विकलांग-व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

1. अनुसूचित जातियों /जन-जातियों/अन्य पिछडी जातियों का प्रतिनिधित्व :

संगठन में उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के श्रेणी के एक संपर्क अधिकारी के अधीन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल कार्य करता है । संगठन के अंचल कार्यालयों में भी इसी प्रकार के सेल कार्यरत है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल न केवल पदों के अनारक्षण (डिरिजर्वेशन) संबंधित प्रस्तावों पर देख-रेख करता है, वरन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणियों के कर्मचारियों के सेवा-मामलों के संबंध में उठने वाली शिकायतों पर भी गौर करता है, तथा उनकी शिकायतों/समस्याओं को दूर करने में उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही भी करता है ।

संगठन, समय-समय पर अपने नियंत्रण के अधीन प्रशासनिक अनुभागो तथा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सेवाओ में आरक्षण हेतु निर्देशों के उचित कार्यान्वयन हेतु निर्देश देता है ।

संगठन में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'ए', 'बी' ,'सी' और ,'डी' पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो की संख्या का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदो की श्रेणी	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या	अन्य पिछडों जातियों के व्यक्तियों की संख्या
1	ग्रुप 'ए'	21	08	29
2	ग्रुप 'बी'	14	04	07
3	ग्रुप 'सी'	66	28	80
4	ग्रुप 'डी'	18	07	07

<u>सेवा में शारिरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व :-</u>

शारिरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण आदेशों पर प्रभावशाली ढंग से अमल करने को आश्वासित करने हेतु संगठन प्रयासरत है । संगठन ने शारिरिक रूप से विकलांगों द्वारा भरे जाने हेतु 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' के कुछ पदों को निर्धारित किया है ।

संगठन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' पदों में शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदो की श्रेणी	शारिरिक रूप से विकलांगों की संख्या
1	ग्रुप 'ए'	1
2	ग्रुप 'बी'	0
3	ग्रुप 'सी'	4
4	ग्रुप 'डी'	0

सतर्कता की गतिविधियां

संगठन की सतर्कता गतिविधियों का नेतृत्व संगठन प्रमुख एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक करते है। मुख्यालय नागपुर के अलावा सतर्कता सेल, संगठन के सभी अंचल एवं उपअंचल कार्यालयों में, परिक्षण केन्द्र तथा एफआरडीसी, सिवाकासी में कार्यरत है । प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के प्रमुख, सतर्कता सेल का नेतृत्व करते है तथा उनकी रिपोर्ट मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित की जाती है।

निवारक सतर्कता का प्राथमिक उद्देश्य कदाचार और लालच से प्रवण या संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एवं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जारी किए गये निर्देशों एवं मार्गदर्शन का पालन किया जाता है ।

सीवीसी के मार्गदर्शक सिध्दांतो के अनुसरण से संगठन के सभी कार्यालयों में सतर्कता जागृकता सप्ताह मनाया गया । संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ ली तथा सभी मामलो मे समय से निपटान, निष्पक्षता, पारदर्शिता संपादन करने हेतु प्रणाली में उन्नयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी निवारक उपायों की जागृकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

संगठन के अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए -

- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उस पर सतर्कता रखी जाती है ।
- काम के निपटान में देरी तथा कदाचार की संभावनाओं को कम करने हेतु आम जनता के साथ नियमित कार्यालयीन व्यवहारों को अंचल एवं उप-अंचल कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत किया गया है ।
- कार्यालय प्रमुख नियमित रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- अंचल कार्यालयों के प्रमुख नियमित रूप से उप-अंचल कार्यालयों के प्रमुखों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अंचल प्रमुख तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- नामित अधिकारी तथा कार्यालय/संगठन प्रमुख द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों/ अधिकारियों की गतिविधियों की समिक्षा करने हेतु नियमित और आकस्मिक रूप से निरिक्षण किए जाते है ।
- संबंधित अधिकारियों से कार्यालयीन मामलों के संदर्भ में मिलने हेतु आने वाले आगंतुकों को भी सतर्कता की गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है । इसके लिए अलग से स्वागत कक्ष बनाया गया है । उन्हें आगंतुक पास जारी किया जाता है तथा उसपर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर लिये जाते है । इसके अलावा स्वागत क्षेत्र, आगंतुक क्षेत्र, लॉबी आदि की सीसीटीवी प्रणाली के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है ।
- स्वागत कक्ष में संबंधीत अधिकारियों की सूची, उनके गतिविधियों के प्राधिकृत कार्यक्षेत्रों के साथ प्रदर्शित की गई है ।

- जिन कर्मचारियों के कदाचार से लिप्त होने का संदेह है, उनकी सूची बनाई गई है तथा उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता है ।
- कदाचार के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा उसकी जॉच संगठन प्रमुख/कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाती है ।
- संगठन की वेबसाईट http://peso.gov.in के सब-मेनू 'शिकायत निवारण' के अंतर्गत, संगठन प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखों के नाम उनके दूरभाष संख्या के साथ दर्शाए गए है तथा संगठन की वेब साईट पर नागरिक अधिकारपत्र में स्टेकहोल्डर्स की सुविधा हेतु शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया गया है ।
- अधिकारियों और सहायकों को आचरण नियम के प्रावधानों से तथा भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों से भी अवगत किया जाता है ।

.....

संगठन में राजभाषा का प्रयोग

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर अपने पाँच अंचल कार्यालय तथा अठारह उप-अचंल कार्यालय, विभागीय परीक्षण केंद्र, गोंडखैरी तथा आतिशबाजी अनुसंधान तथा विकास केंद्र, सिवाकासी के साथ भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का पूर्ण अनुपालन हेतु समन्वित प्रयास करता है । संगठन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री टी. आर. तोमस के नेतृत्व में पेसो पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और राजभाषा संबधी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने हेतु कृतसंकल्प है ।

वर्ष के दौरान कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता लाने के उद्येश्य से संगठन के सभी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरित किया गया । सरकार की राजभाषा नीति का कार्यालयों में प्रभावी कार्यान्वयन करते हुए मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने हेतु कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना लागू है एवं प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया ।

आगंतुको हेतु आगंतुक पास द्विभाषी बनवाए गए है । राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना फलक पर प्रतिदिन एक शब्द/सुविचार द्विभाषी दर्शाया जाता है ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संगठन के ऑनलाईन अनुज्ञप्ती मॉड्युल को द्विभाषी बनाया गया है । मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों, पत्रों, आदि को ई-मेल, सपोर्ट साईट द्वारा संगठन के सभी संबद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों को यथाशीर्घ अनुपालन हेतु प्रेषित किए जाते हैं । हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप हिन्दी में ही दिया जाता है।

<u>वेबसाईट का द्विभाषीकरण :</u>

सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में, पेसो की आधिकारिक वेबसाइट को द्विभाषी - अंग्रेजी और हिन्दी में बनाया गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है । संगठन की गतिविधिया/महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी, आदि वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दर्शाई जाती है । संगठन की राजभाषायी गतिविधियों, उपलब्धियों, आदि को दर्शाने हेतु वेबसाइट पर एक अलग लिंक "राजभाषा" उपलब्ध कराई गई है ।

<u>निगरानी और निरीक्षण:</u>

दिनांक 08/01/2015 को विस्फोटक के मुख्य नियंत्रक टीओएलसी के मध्य होने वाले चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए थेा नागपुर और उसके 10 सदस्यी कार्यालयों (पेसो को मिलाकर), अधिकारियों के साथ संसदीय राजभाषा समिति कार्यक्रम के लिये नागपुर का दौरा किया।

राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा मुख्यालय से अन्य अधिकारी नियमित रूप से अंचल तथा उप अंचल कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण करते है । वर्ष के दौरान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा 06 राजभाषायी निरीक्षण किए गए ।

<u>विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :</u>

आलोच्य वर्ष के दौरान, उपरोक्त समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई जिसमें कार्यालयों में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई । सरकारी कामकाज तथा अन्य संबंधित गतिविधियों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि के संबंध में कार्यालय द्वारा किए गए कार्य/प्रगति की समिति सदस्यों द्वारा प्रशंसा की गई ।

<u>नगर राजभाषा कार्यान्वय समिति (नराकास) की बैठकों में सहभाग:</u>

हिन्दी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यालय के साथ ही अंचल तथा उप अंचल कार्यालयों के अधिकारियों ने नियमित रूप से नगर राजभाषा कार्यान्वय समिति (नराकास) की बैठकों में भाग लिया । श्री टी.आर.थोमस, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी ने दिनांक 20/06/2014 को न.रा.का.स.,नागपुर की 60वीं छमाही बैठक में भाग लिया । श्री पीसी श्रीवास्तव, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, डॉ योगेश खरे, तथा श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी ने 20/10/2014 को न.रा.का.स.,नागपुर की 61वीं बैठक में भाग लिया ।

नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न अंतर कार्यालयीन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने भाग लिया और कई पुरस्कार प्राप्त किए ।

<u>हिन्दी पत्रिका 'विस्फोटक दर्पण' का प्रकाशन:</u>

गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित होती हैं और इसी माध्यम से राजभाषा हिन्दी की प्रगति भी होती हैं । इसी उद्देश्य से हिन्दी पखवाडे के अंतर्गत संगठन की हिन्दी गृह पत्रिका **विस्फोटक दर्पण-अंक 14** का प्रकाशन किया गया । संगठन के सभी अंचल/उप अंचल कार्यालयों की राजभाषायी गतिविधियां, पुरस्कारो, विशेष उपलब्धियों, तथा संगठन के अधिकारी/कर्मचारियों के तकनीकी लेख/रचनाएं, पत्रिका में प्रस्तुत किए गए ।

प्रत्येक तिमाही में एक तकनीकी न्युजलेटर प्रकाशित किया जाता हैं जिसमें संगठन की राजभाषायी गतिविधियों का ब्योंरा दर्शाया जाता हैं । संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण मुख्यालय से प्रकाशित किया गया ।

इसके अलावा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा कार्यालय द्वारा भी नियमित रूप से **मध्यांचल दर्पण** पत्रिका तथा **मध्यांचल समाचार** का प्रकाशन किया जाता है ।

<u>हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम :</u>

हिन्दी प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता देते हुए संगठन में कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हिन्दी टाइपिंग, आशुलिपि, प्राज्ञ आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा लगभग सभी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित किया गया है ।

राजभाषा कार्यान्वयन - कंप्यूटर/आईटी टूल्स का प्रयोग :

संगठन द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, यूनिवर्सल कोड- यूनिकोड का प्रयोग किया जा रहा है । कार्यालय के लगभग सभी कंप्युटर हिन्दी प्रयोग के लिए मानक भाषा एनकोडिंग - यूनिकोड एनेबल किए गए है । सरकारी कामकाज में कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत, द्विभाषी मॉड्यूल, वेबसाइट, ई-मेल, इंटरनेट, सपोर्ट साइट, आदि का प्रयोग राजभाषा को बढ़ावा देने के कार्य को गति प्रदान कर रहा है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन में, संगठन का ऑनलाइन अनुज्ञप्ति मॉड्यूल द्विभाषी बनाया गया है । संगठन में राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर दिए गए निर्देशों और आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है ।

हिन्दी तिमाही रिपोर्ट मॉड्यूल प्रणाली का सृजन

संगठन में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रभावी मानीटरिंग हेतु, ऑनलाइन त्रैमासिक हिन्दी प्रगति रिपोर्ट मॉड्यूल का सृजन किया गया है तथा अंचल/उप-अंचल कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट ऑनलाईन प्राप्त की जाती है और ऑनलाइन समीक्षा की जाती है ।

हिन्दी कार्यशालाएं

संगठन के सभी कार्यालयो मे अधिक से अधिक कार्य हिन्दी मे करने के लिए प्रोत्साहन देते हुए चार कार्यशालाओं का अनिवार्य रूप से आयोजन किया गया । राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों को कठिन हिन्दी के बजाय सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी गई ।

हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी मुख्यालय तथा संगठन के विभिन्न अंचल, उप-अंचल कार्यालय, विभागीय परीक्षण केन्द्र में हिन्दी दिवस के साथ-साथ हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाडा बडे ही हर्षोउल्लास से मनाया गया ।

पखवाडे के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जैसे - हिन्दी टंकण, टिप्पण-आलेखन, निबंध, शब्द ज्ञान, चित्र पर आधारित कहानी, सुलेख, लोगो एवं पंचलाईन, अंताक्षरी प्रतियोगिता, आदि । पखवाडे के दौरान हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया । पखवाडे के मुख्य कार्यक्रम तथा हिन्दी दिवस को बडे उत्साह से मनाया गया । मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन एवं गृह मंत्रीजी का संदेश सभी को अनुपालनार्थ सुनाया गया । पखवाडे के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं मूल काम हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

प्रोत्साहन योजनाएं :

मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण/आलेखन करने के लिए, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित वार्षिक नकद पुरस्कार योजना, संगठन में लागू है । पखवाड़े के दौरान विभिन्न कर्मचारियों योजना के अंतर्गत समुचित रूप सम्मानित किया गया ।

उपलब्धियां -

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ठ योगदान में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर द्वारा वर्ष 2014-2015 के लिए कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए **द्वितीय पुरस्कार तथा हिन्दी गृह पत्रिका विस्फोटक दर्पण अंक 13 हेतु विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया** ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा

वर्ष 2014-2015 के लिए कार्यालयों में राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा कार्यालय को(नराकास) द्वारा तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

संयुक्त उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद

वर्ष 2014-2015 के लिए कार्यालयों में राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद कार्यालय को(नराकास) द्वारा तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

संगठन के विभिन्न कार्यालयों को प्राप्त हो रहे पुरस्कार इस बात का प्रमाण हैं कि पेसो में राजभाषा कार्य उंचाईयो की ओर अग्रसर हैं । संगठन अपने मूल उद्देश्य "सुरक्षा सर्वोपरि " के साथ साथ राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं ।

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, राजभाषा संबंधी अपनी सांविधिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृत परिसरों का निरीक्षण

निरीक्षण अधिकारियों के (विभिन्न श्रेणियों के) अनेक पद रिक्त रहने के कारण हुए संसाधनो की कमी के बावजूद भी विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत संगठन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृती प्राप्त खतरनाक परिसरों की निरीक्षण गतिविधियों पर बल देने के प्रयास किए गए।

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत :

वर्ष के दौरान 19620 परिसरों का (अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त 102164 कुल परिसरों में से) निरीक्षण किया गया । यह कुल परिसरों में से 19.2% के निरीक्षण के समतुल्य है । उपरोक्त निर्दिष्ट इकाइयों में विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत 9,517 अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों का, गैस सिलिण्डर नियमों के अंतर्गत 5,308 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का, एसएमपीवी (यू) नियमों के अंतर्गत 9,325 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का तथा अमोनियम नाइट्रेट नियमों के अंतर्गत 120 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण हुआ ।

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत

वर्ष के दौरान 3,657 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों का निरीक्षण किया गया, जो कुल 1,70,019 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों के 2.08% के समतुल्य है । उपरोक्त निरीक्षण में पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त 3,633 परिसरों का, कैलशियम कार्बाइड नियम,1987 के अंतर्गत 24 अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों का समावेश है।

वर्ष 2014-15 में इस संगठन द्वारा, विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त और स्वीकृति प्राप्त इकाइयों की कुल 2,77,183 इकाइयों में से, 33,003 (12.96%) परिसरों का निरीक्षण किया गया ।पिछली साल की परिसर के निरिक्षण की तुलना में सिवाकासी(तमिलनाडु) में आतिशबाजी कारखानों का निरिक्षण करने के लिए विभिन्न अंचल,उप-अंचल के अधिकारीयों की तैनाती में भी कमी आई है। विभिन्न अंचल, उप-अंचल के अधिकारीयों की तैनाती का समय भी सिर्फ दो महीने है ।विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों मे किए गए निरीक्षण की सांख्यिकीय जानकारी सारणी I में दी गई है तथा पिछले 5 वर्षों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के आंकडे सारणी II में दिए गए है ।

निरीक्षण के दौरान जहां भी अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तो में कमियों, अनियमितता या उल्लंघन पाएं गए ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारक को संशोधन/अनुपालन की दिशा में नोटिस देने की कार्रवाई की गई । उन नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामलों में जहां सुरक्षा खतरे में

हो, अनुज्ञप्तियों को निलम्बित कर दिया गया या नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रकार तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर उन्हें रद्द कर दिया गया ।

सारणी -।

वर्ष 2014-2015 के दौरान किए गए निरीक्षणों का विवरण

(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण					
अनु. क्र	**अधिनियम तथा नियम**	**31/03/14 को**	**वर्ष 2014-15 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां**	**योग 31.3.2015 तक**	**वर्ष 14-15 के दौरान किए गये निरीक्षण**
1.	अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012	610	148	758	120
2.	विस्फोटक नियम, 2008	42762	400	43612	9517
3.	गैस सिलेण्डर नियम, 2004	25679	2869	28548	4675
4.	एसएमपीवी (यू) नियम, 1981	28889	807	29696	5308
5.	पेट्रोलियम नियम, 2002	156118	18438	174556	3633
6.	कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987	430	13	463	24
	योग	**254488**	**22675**	**254488**	**23277**

सारणी - II

वर्ष 2013-2014 के दौरान किए गए निरस्तीकरण, समर्पण, निलंबन और निरसन के विवरण

अनु. क्र	**अधिनियम तथा नियम**	**अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण**	**अनुज्ञप्ति का समर्पण**	**अनुज्ञप्ति का अंतरिम निलंबन**	**निलंबन**	**निरसन**	**कारण बताओ नोटिस**
1	अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012	1	3	00	00	00	3
2	विस्फोटक नियम, 2008	177	216	09	10	62	94
3	गैस सिलेण्डर नियम, 2004	33	72	00	09	24	125

4	एसएमपीवी (यू) नियम, 1981	1861	2308	00	23	38	11
5	पेट्रोलियम नियम, 2002	818	144	00	45	00	288
6	कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987	00	00	00	00	00	2
	योग	**2890**	**2743**	**9**	**87**	**124**	**523**

अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ

वर्ष 2013-2014

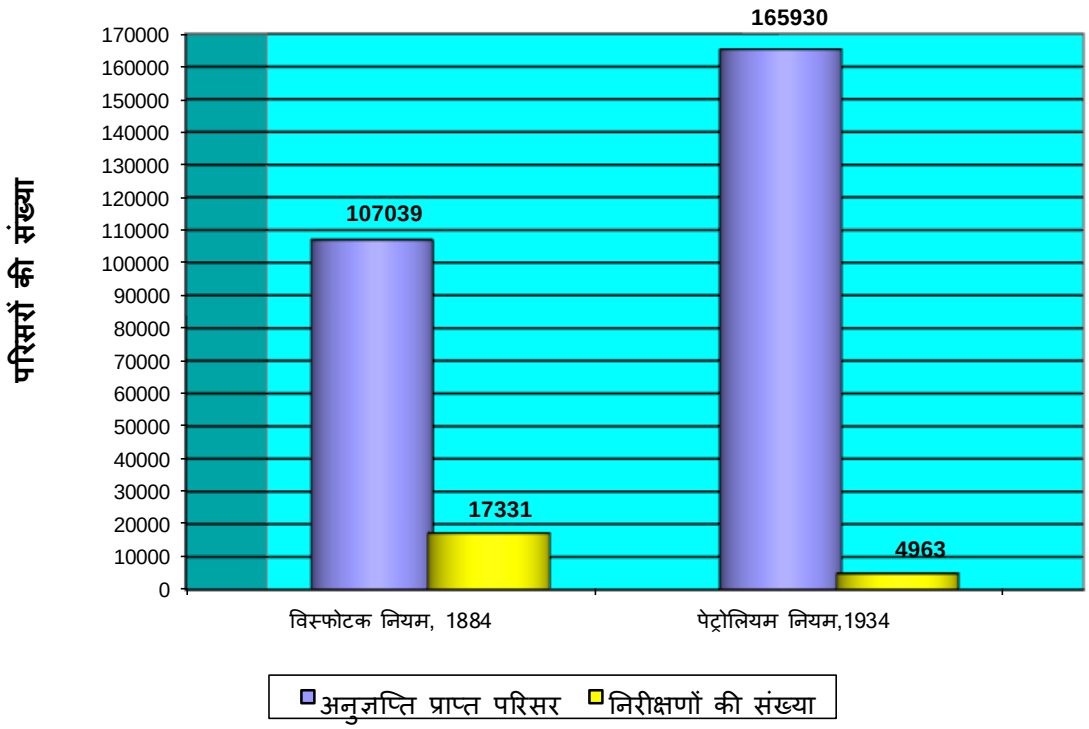

अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ

वर्ष 2013-2014

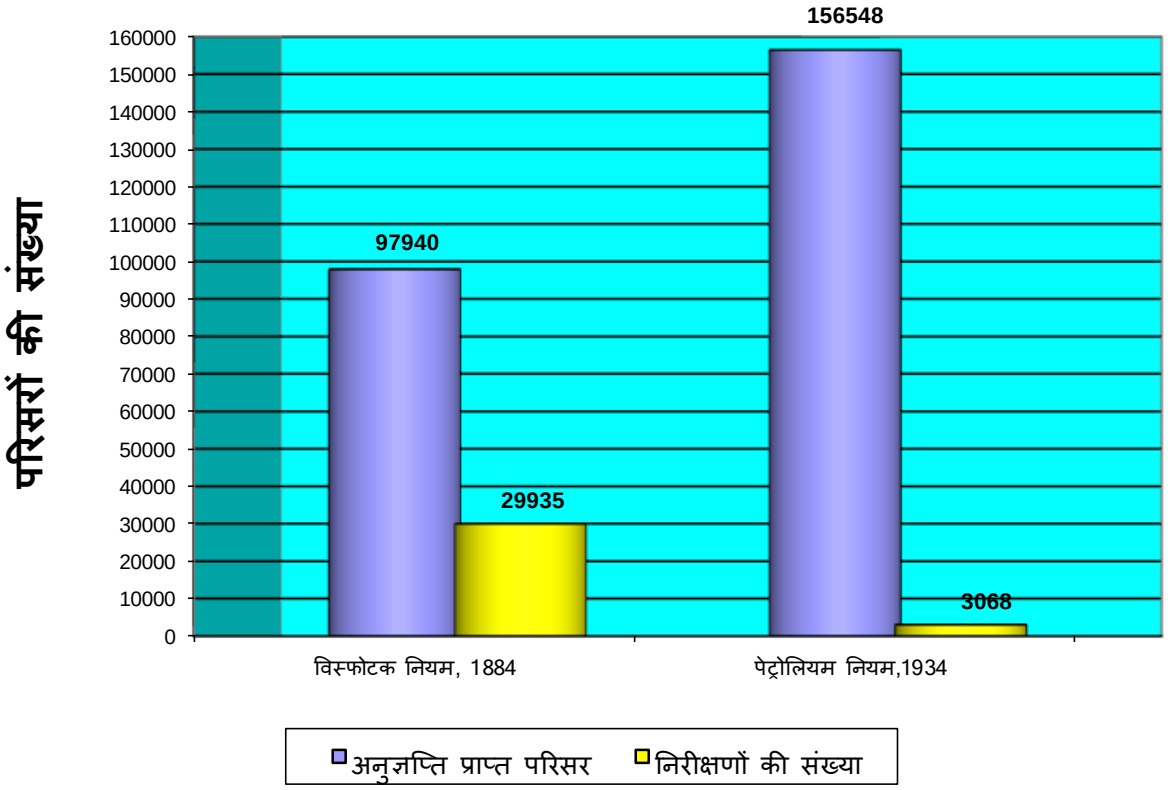

सारणी - III

पिछले 5 वर्षों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के आंकडे

विवरण	वार्षिक संस्थापित अनुज्ञप्ति क्षमता (मीट्रिक टन)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ग 1 गन पाउडर (मेट्रिक टन)	1595.55	688.6	710.6	577.7	549	535.327
वर्ग 2 1. कार्टिज 2. साईट मिक्स **(मेट्रिक टन)**	580386.5 1350385	183533.73 59943.5	238193 483828	267275 495946	269999 521419	344146.4 604234.6
वर्ग 3 प्रभाग – 2 बूस्टर और पीईटीएन* **(मेट्रिक टन)**	16418.67	3573.8	5063.1	5656.5	6186	7015
वर्ग 6 प्रभाग – 1 सेफ्टी फ्यूज (मिलियन मीटर)	268.29	77	81.1	77.1	75	68.7
वर्ग 6 प्रभाग – 2 डिटोनैटिंग फ्यूज (मिलियन मीटर)	576.2	284.6	370.6	634.2	428	457.7
वर्ग 6 प्रभाग – 3 डिटोनैटर (मिलियन संख्या)	974	724.2	970.7	992.2	1032	906.7

*पीईटीएन- पेंटा एर्थीटोल टेट्रा नाइट्रेट

दुर्घटनाओं की जाँच
दक्षिण अंचल, चेन्नई

अ. विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008:-

1. दिनांक –25/06/2014 स्थान: सिवाकासी (तमिलनाडु)

मृत –03, घायल – कोई नही

सिवाकासी (तमिलनाडु) में स्थित मेसर्स मुन्ना फायरवर्क्स के आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने में दिनांक 25/06/2014 को एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना काले छर्रे को ट्यूब से हटाते समय हुई जब फैन्सी आतिशबाजी को विनिर्माण के लिए साधारण वर्किंग शेड संख्या 40 में ले जाया जा रहा था,चिंगारी उत्पन्न होने के कारण घर्षण/ प्रभाव की वजह से जले हुए छर्रे विभिन्न दिशा में उडने लगे जिससे अलग-अलग शेडों में क्षति हुई और बाद में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

2. दिनांक–02/08/2014, स्थान: सिवाकासी (तमिलनाडु)

मृत – कोई नही , घायल – कोई नही

दिनांक 02/08/2014 मेसर्स स्टेंडर्ड फायरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । जनरल स्टोर कक्ष संख्या 15 से माइक्रो कोर्ड फ्यूज को काटते समय माइक्रो कोर्ड फ्यूज के क्षेत्र में जंग लगी हुई लोह धातु जैसे चाकू/कैंची इत्यादि की बंचिग/बंडलिंग करते समय जो चिंगारी उत्पन्न हुई और परिणामस्वरूप माइक्रो कोर्ड प्रज्वलित हुआ और शीघ्र ही पुरी जगह पर आग फैल गई, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

3. दिनांक-10/11/2014, स्थान: सिवाकासी (तमिलनाडु)

मृत –3 घायल – कोई नही

दिनांक-10/11/2014 को मेसर्स सुप्रीम पायरोटेकनिकस की आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । वाइव्रो स्क्रीनिंग मशीन(वीसीएम) के लगातार चलने से स्थिर प्रभार उत्पन्न हुआ,एल्यूमीनियम कंटेनर बिजली द्वारा जुडे ना होने पर संभवत: स्क्रीनिंग आपरेशन के दौरान एल्यूमीनियम कंटेनर में सफेद पॉडर मिश्रण उतर नही पाया होगा जिससे एक चिंगारी उत्पन्न हुई और परिणामस्वरूप अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

4. **दिनांक - 20/10/2014 स्थान :पूर्व गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश)**

मृत –18, घायल – 02

जिला मजिसट्रेट द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त श्री कोपीशेटी अप्पा राव वकटिप्पा (वी) कोठापल्ली, पूर्व गोदावरी जिला में स्थित आतिशबाजी विनिर्माण परिसर में दिनांक 20/10/2014 को एक दुर्घटना घटित हुई। 20 श्रमिको से अधिक एक ही शेड में पूरा विनिर्माण कार्य किया जा रहा था,अनधिकृत आतिशबाजी वस्तुओं तथा प्रतिबंधित क्लोरेट मिश्रण को संघटक के रूप में विनिर्माण के लिए असावधानी पूर्वक प्रयोग करना ही दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

5. **दिनांक - 09/11/2014 स्थान : जिला अलाप्पुझा**

मृत – 2, घायल – 01

दिनांक 09/11/2014 को एक निवास स्थान में अनधिकृत आतिशबाजी विनिर्माण में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई,जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरी बिल्डिंग ही गिर पडी। दुर्घटना स्थल पर ही एक श्रमिक की मृत्यु हो गई जबकि अन्य श्रमिक जलने के कारण अस्पताल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए, दुर्घटना का संभावित कारण घर में ही उपलब्ध किसी अस्थायी ढीले तारो का कनेक्शन बताया जा रहा है जिसकी वजह से शोर्ट सर्किट हुआ तथा उससे उत्पन्न चिंगारी के कारण आतिशबाजी में अग्नि/विस्फोट हुआ जिसके सम्मिश्रण में सल्फर के साथ प्रयुक्त अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिबंधित पोटॅशीयम क्लोरेट था ।

6. **दिनांक - 11/12/2014 - स्थान : नलगोंडा जिला**

मृत – कोई नही घायल – 02

दिनांक 11/12/2014 को दोपहर 2:45 के समय मेसर्स आइडियल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड की बिल्डिंग संख्या 9(डी) में विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना उस समय हुई जब शिफ्ट खत्म होने के समय क्यूबिकल मे से अस्वीकृत डेटोनेटर को लाकर गत्ते के डिब्बों मे रखे जा रहे थे। अस्वीकृत डेटोनेटर गिनने के दौरान एक डेटोनेटर में विस्फोट हो गया, अस्वीकृत डेटोनेटर की हथलाई के दौरान ढीले फ्यूज हैंड के कारण डेटोनेटर में खरोंच/ घर्षण के कारण इनिसिएटिंग कम्पोजिशन का होना दुर्घटना का संभावित कारण है

7: **दिनांक - 07/02/2015 - स्थान : तिरूवंनतपुरम**

मृत – 2, घायल – कोई नही

दिनांक 07/02/2015 को डीएम द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । जिसके परिणामस्वरूप एक श्रमिक की दुर्घटना स्थल पर ही तथा एक अन्य श्रमिक भी जलने के कारण उसी दिन ही मृत्यु को प्राप्त हुए, लोहा/पत्थर सामग्री के प्रयोग करने से एक चिंगारी उत्पन्न हुई जिससे आतिशबाजी विनिर्माण के अंदर आग लग गई और विस्फोट हो गया ,दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

8 दिनांक - 23/02/2015 स्थान - जिला रंगा रेड्डी (आंध्र प्रदेश)
मृत –06, घायल – 09

हैदराबाद के कुकटपल्ली में स्थित मेसर्स गुल्फ आइॅल कारॅपोरेशन लिमिटेड की बिल्डिंग संख्या 79 में करीब दोपहर 3:50 पर दुर्घटना घटित हुई । पुरानी और रद्द विद्युत डेटोनेटर को पॉच भिन्न गोदामों के शेड संख्या 79 से लाया गया और डेटोनेटर की मुख्य लाइनों के कटने से, जो कि प्रगतिशील थी दुर्घटना का कारण बनी ,जिसका परिणाम यह हुआ कि 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए तथा अन्य घायल हुए, दुर्घटना के संभावित कारणों की जांच चल रही है।

9 दिनांक - 05/03/2015 स्थान : सिवाकासी, (तमिलनाडु)
मृत – कोई नही, घायल – 04

दिनांक 05/03/2015 समय 12: दोपहर 12:45, विस्वंतं गांव में स्थित गनेशकुमार फायरवर्क्स के आतिशबाजी विनिमार्ण परिसर में अग्नि दुर्घटना घटित हुई । वर्किंग शेड संख्या 79 में, श्रमिकों द्वारा हवाई आतिशबाजी विनिमार्ण के दायित्वों का बहाल असुरक्षित अभ्यास ही दुर्घटना का संभावित कारण प्रतीत होता है ।

10 दिनांक - 30/03/2015 स्थान : विशाखापट्टनम
मृत – 04, घायल – 06

दिनांक 30/03/2015 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त मेसर्स रोहित फायरवर्क्स के आतिशबाजी विनिमार्ण कारखाने में अग्नि दुर्घटना घटित हुई, जिसके चलते 4 लोगो की मृत्यु तथा अन्य 6 घायल हुए, जांच से पता चलता है कि आतिशबाजी विनिमार्ण के दौरान आतिशबाजी मिश्रण रचना के दुरूपयोग से घटना घटी ।

ख.2 गैस सिलेंडर नियम, 2004:-

1. दिनांक - 19/03/2015 स्थान : अनंतपुर
मृत – कोई नही घायल – कोई नही

दिनांक ****** को सुबह 10 बजे मेसर्स एचपीसी लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, अनंतपुर में पंजीकृत संख्या AP28X4977 वाला ट्रक जिसमें 450 भरे हुए एलपीजी सिलेंड़र थे, दुर्घटना ग्रस्त हो गया।

ग.3 स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1 दिनांक - 05/05/2014 स्थान : एर्णाकुलम जिला
मृत – कोई नही घायल – कोई नही

दिनांक 05/05/2014 को एक भरे हुए एलपीजी टैंकर में एलपीजी के रिसाव के कारण दुर्घटना घटित हुई । रोटोगेज में उस समय रिसाव हुआ जब चालक द्वारा एलपीजी स्तर की स्थिति जानने के लिए इसे संचालित किया गया, रोटोगेज के स्क्रू एड़जस्टमेंट की लापरवाही हथलाई से रोटोगेज का शेफ्ट सरक गया होगा जिससे उच्च दाव के कारण भारी मात्रा में एलपीजी का रिसाव हुआ होगा।

2 दिनांक -22/10/2014 स्थान :जिला एर्णाकुलम

मृत – कोई नही घायल – कोई नही

दिनांक 22/10/2014 को एलपीजी ट्रक की कार से टक्कर होने से दुर्घटना घटित हुई । सडक पर टैंकर के पलटने से दुर्घटना स्थल पर ही चालक की मौत हो गई । वेसल भी थोडा क्षतिग्रस्त हो गया, चालक द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाना दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

<u>पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत:</u>

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत:-

1. दिनांक - 27/06/2014 स्थान : पूर्व गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश)

मृत –100 से अधिक घायल – 12

पूर्व गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश) के नगाराम गॉव में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा सूखी प्राकृतिक गैस के परिवहन के प्रयोग के लिए तटीपक्का से कोडांपल्ली लेकों पाइपलाइन में दिनांक 27/06/2014 को व्यापक अग्नि और विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। सैकड़ो लोगो की मृत्यु हुई तथा कई अन्य दुर्घटना में घायल हुए, पाइपलाइन में जंग लगने एवंम खराब रखरखाब के कारण पाइपलाइन की मोटाई में कमी आ गई जिसकी वजह से पाइपलाइन में गैस का रिसाव होने लगा और परिणामस्वरूप अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई ।

2. दिनांक - 22/09/2014 स्थान : तिरूवल्लुर (तमिलनाडु)

मृत –एक, घायल – एक

मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोलियम अधिस्थापन में दिनांक 22/09/2014 की सुबह 11:30 पर पेट्रोलियम उत्पाद के हस्तांरण के लिए असुरक्षित डिवाइस का प्रयोग दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

3. दिनांक - 01/01/2015 स्थान : मदुरई (तमिलनाडु)

मृत – कोई नही, कोई नही

दिनांक - 01/01/2015 को करीब 4:30 बजे तमिलनाडु के मदुरई जिले में कप्पालुर स्थित मेसर्स इंडियन आइॅल कार्पोरेशन लिमिटेड की पेट्रोलियम पाइपलाइन में अग्नि दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना उस समय हुई जब सामान्य एक्सटेंशन बोर्ड के प्रयोग से पेट्रोल को टैंक से रोड टैंकर में डाला जा रहा था, प्रज्वलन का स्त्रोत ट्रांसफर पंप के एक्सटेंशन बोर्ड के बटन को करने से जो चिंगारी पैदा हुई वह दुर्घटना का कारण बनी।

4- **दिनांक -19/02/2015 - स्थान : कांचीपुरम (तमिलनाडु)**
मृत – कोई नही घायल – कोई नही

दिनांक 19/02/2015 को मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में वाईक में ईंधन भरवाने के दौरान अग्नि दुर्घटना घटित हुई, चलते हुए गर्म इंजन पर पेट्रोल का गिरना दुर्घटना का कारण बना।

दुर्घटना की जाँच

पश्चिम अंचल, मुंबई

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008:-

1. **दिनांक –08/07/2014 स्थान -ओसमानबाद जिला(महाराष्ट्र)**
मृत - 06 घायल – 02

दिनांक 08/07/2014 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त गेट संख्या 139, गांव तेरखेडा, जिला वशी में स्थित मेसर्स वेलकम फायरवर्क्स विनिमार्ण इकाई आतिशबाजी के संचयन और बिक्री के प्रयोग हेतु बिल्डिंग में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । जब आतिशबाजी विनिमार्ण का कार्य प्रगति पर था तब बिल्डिंग के उपर बिजली गिरने से दुर्घटना घटित हुई । इस दुर्घटना में 06 लोगो की उसी समय मौत हो गई जबकि अन्य दरबाजे के पास खडे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बिल्डिंग भी थोडी क्षतिग्रस्त हुई ।

2. **दिनांक - 08/07/2014 स्थान : ओसमानबाद जिला (महाराष्ट्र)**
मृत –03, घायल – 03

दिनांक 08/07/2014 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त गेट संख्या 139, गांव तेरखेडा, जिला वशी में स्थित मेसर्स प्रिंस फायरवर्क्स विनिमार्ण इकाई आतिशबाजी के संचयन और बिक्री के प्रयोग हेतु बिल्डिंग में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । जब आतिशबाजी विनिमार्ण का कार्य प्रगति पर था तब बिल्डिंग के उपर बिजली गिरने से दुर्घटना घटित हुई । इस दुर्घटना में 03 लोगो की उसी समय मौत हो गई जबकि अन्य दरबाजे के पास खडे 03 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बिल्डिंग भी थोडी क्षतिग्रस्त हुई ।

3. **दिनांक - 03/11/2014 स्थान : नागपुर**
मृत – कोई नही, घायल – 02

गांव ढगा, जिला नागपुर के मेसर्स एमए उघोग लिमिटेड, की पायरोटेकनिक समिश्रण इकाई के बिल्डिंग संख्या 43 के विनिमार्ण उत्पाद की देरी के कारण दुर्घटना घटित हुई ।

गैस सिलेंडर नियम, 2004:-

1 दिनांकः 25/03/2014 स्थान: जिला भंडारा

मृत –कोई नहीं घायल –15

दिनांक 25/03/2014 पावनी जिला, भंडारा में एक घरेलु एलपीजी सिलेंडर का दूसरे ऑटो एलपीजी सिलेंडर के अंतरण के दौरान एलपीजी अग्नि दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना तब हुई जब घरेलु एलपीजी सिलेंडर का अंतरण किया जा रहा था, इस पूरे अनधिकृत अंतरण प्रक्रिया को पीवीसी पाइप को गलत और ढीले तारों में फिट किया हुआ था जिससे कामचलाउ डिवाइस में एलपीजी के सिलेंडर से रिसाव होने लगा और तत्काल ही आग लग गई, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है एलपीजी के रिसाव में आग लगने के कारण दुर्घटना हुई, प्रज्वलन का स्रोत पास ही रखे मिट्टी के चूल्हे का खुले में जलना था ।

2 दिनांकः 15/12/2014 - स्थान : जिला थाना (महाराष्ट्र)

मृत –कोई नहीं घायल – 01

दिनांक 15/12/2014 को टैंपो ट्रक में सिलेंडरो की लोडिंग/अनलोडिंग करते हुए एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। टैंपो ट्रक ब्लास्ट होने के कारण पूरा क्षतिग्रस्त हो गया तथा बिल्डिंग की एसीसी छत पूरी तरह नष्ट हो गई ।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1 दिनांकः 22/04/2014 स्थान: जिला वडोदरा

मृत: कोई नही घायल – कोई नही

दिनांक 22/04/2014 को मेसर्स रिलायंस उघोग लिमिटेड का टैंकर दाहेज से मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट,जिला खेडा के हरीयाला में जा रहा था तब एलपीजी रोड टैंकर से एलपीजी के रिसाव होने से दुर्घटना घटी,मुख्य मुवर को बदलते हुए वह टूट गया जिससे एलपीजी टैंकर पलट गया, एलपीजी के रिसाव के कारण रोटोगेज क्षतिग्रस्त हो गया।कोई भी अग्नि/ विस्फोटक का रिसाव नही हुआ है

2: **दिनांकः 30/08/2014 स्थान: गोवा-मुम्बई राजमार्ग**

मृत: 01 घायल – कोई नही

दिनांक 30/08/2014 को गोवा-मुम्बई राजमार्ग पर खेड भोटसे घाट जो कि मुम्बई के 220 किलोमीटर और खेड के पास 3 किलोमीटर है, एक रोड टैंकर जो कि प्रॉपलाइन ले जा रहा था दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसका परिणाम यह हुआ कि चालक की मृत्यु हो गई और टैंकर जलकर राख हो गया। रोड टैंकर में रखी हुई प्रॉपलाइन भी पूरी जल गई।वाहन को लापरवाही से चलाना दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है

<u>पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत:</u>

पेट्रोलियम नियम 2002:-

1: दिनांकः 02/05/2014 स्थान: गोंदिया जिला

मृत – कोई नही घायल – कोई नही

मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड, गोंदिया, के खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट में भूमिगत पेट्रोलियम संचयन टैंक के पेट्रोलियम टैंकर में मोटर स्प्रिट की अनलोडिंग करते समय अग्नि दुर्घटना घटित हुई । यह अनुमान है कि पेट्रोलियम का थोडी मात्रा में संप में संचय होने से पेट्रोलियम में रिसाव होने लगा,

2: दिनांकः 20/05/2014 स्थान:जिला सुरत

मृत – कोई नही घायल – कोई नही

मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड के खुदरा आउटलेट में मोटरसाइकिल में मोटर स्प्रिट (एम एस) भरवाते हुए एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । ईधंन भरवाते समय इंजन चालू था जिससे पास के प्लग से चिंगारी निकलने से आग लग गई, खुदरा आउटलेट सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, आग को भी तुरंत बुझा दिया गया था।

3: दिनांकः 28/09/2014 स्थान:जिला साबरकांठा

मृत – कोई नही घायल – कोई नही

मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन,अहमदाबाद के वाडली जिला साबरकांठा में खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट में अग्नि दुर्घटना घटित हुई।मारूति ओमनी वैन में पेट्रोल भरवाने के तुरंत बाद ही उसने आग पकड ली, वैन और डिस्पेंसर क्षति ग्रस्त हो गए।

4: दिनांकः08/11/2014 स्थान:जिला बुलधाना (महाराष्ट्र)

मृत – कोई नही घायल – कोई नही

मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन क्रम संख्या 65/2 महकर गांव जिला बुलधाना में पेट्रोलियम अधिष्ठापन के निस्तारण में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का संभावित कारण टैंक ट्रक के अनलोड करते समय स्थिर निर्वहन है।

5: दिनांकः 28/09/2014 स्थान:जिला थाना (महाराष्ट्र)

मृत – कोई नही घायल – 01

मेसर्स ओरेकस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के क्लास ए पेट्रोलियम अधिष्ठापन के समय प्रक्रियाशील प्लांट के पास ही के पाइप एंड के सेंट्रीफ्यूज से मदर लिकर प्राप्त हो रहा था दुर्घटना घटित हुई ।एक व्यक्ति 35% जलने के कारण घायल हुआ। प्रगतिशील प्लांट की पाइपलाइन जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन,एफ ओ संचयन टैंक, एचपीडीई ड्रम,पैकिंग कक्ष, ब्लेंडिग कक्ष इत्यादि सभी में आग के कारण भारी क्षति हुई ।

6: **दिनांकः 27/02/2015 स्थान:जिला आंनद**

मृत – कोई नही घायल – 01

मेसर्स महावीर पेट्रोलियम, सूरत, के पेट्रोलियम रोड टैंकर जिसमें 20kl पेट्रोलियम क्लास-ए/वी को मेसर्स इंडियन ऑइल कॉपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद से सूरत तक ले जाते हुए टैंकर की सड़क दुर्घटना हो गई। टैंक से पेट्रोलियम का रिसाव होने से अग्नि दुर्घटना घटित हुई । वाहन और उत्पाद दुर्घटना में पूर्ण रूप से नष्ट हो गए ।

मध्यांचल, आगरा

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:</u>

विस्फोटक नियम, 2008 -

1. **दिनांकः 03/05/2014 -: स्थान : जिला उज्जेन (मध्य प्रदेश)**

   मृत – 15 घायल – 04

   डीएम द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । आतिशबाजी मिश्रण में प्रज्वलन का स्त्रोत जलती हुई लकड़ी से चिंगारी उत्तपन होने से हुआ जो पास ही खाना बनाने के लिए प्रयोग हो रही थी , दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

2. **दिनांकः 12/05/2014 - स्थान : जिला सुलतान पुर (उत्तर प्रदेश)**

   मृत – 06, घायल – 05

   डीएम द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । प्रज्वलन का स्त्रोत किसी भारी वस्तु का संवेदनशील विस्फोटक संरचना पर आघात है जिसका अनधिकृत आतिशबाजी के लिए प्रयोग किया जा रहा था, दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

3. **दिनांकः 19/06/2014 - स्थान :जिला पउरी गढवाल (उत्तराखण्ड)**

   मृत – 01, घायल –कोई नहीं

   विस्फोटक वैन में एक दुर्घटना घटित हुई । चालक की लापरवाही से वैन को जगह न होतेहुए भी बिना चौक और डाले हुए पार्किंग करना है जिसकी वजह से वैन पीछे हुई और परिणामस्वरूप दुर्घटना घटित हुई, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

4. **दिनांकः 17/07/2014 - स्थान :जिला:सोनभद्रा (उत्तर प्रदेश)**

   मृत – कोई नहीं घायल – कोई नहीं

   मेसर्स सन् कैमिकलस के विस्फोटक मेगजिन में दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का संभावित कारण मैगजिन का बिजली को आर्कषित करना था जिसका परिणाम यह हुआ कि मैगजिन में जमा विघुत डेटोनेटर प्रज्वलित हो गए और परिणामस्वरूप मैगजिन की बिल्डिंग में भारी क्षति हुई ।

5 दिनांकः 01/08/2014 स्थान : जिला:रायपुर (छत्तीसगढ)

मृत –05 घायल- कोई नहीं

डीफ विनिर्माण प्लांट में रात की शिफ्ट में एक दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का संभावित कारण पीईटीएन का डेटोनेशन है, किसी अप्रशिक्षत श्रमिक द्वारा पीईटीएन को गलत ढंग से चलाना, जो कि किसी रेगूलर ओपरेटर की जगह रात की शिफ्ट में प्रदत था।

6 दिनांकः 20/09/2014 स्थान : मोहनलाल गंज लखनउ (उत्तर प्रदेश)

मृत – 09 घायल – 09

अनधिकृत विनिमार्ण का प्रयोग कर रहे एक घर में दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का संभावित कारण किसी बड़ी वस्तु को बनाने के लिए पास ही के क्षेत्र में किसी भारी वस्तु या संवेदनशील विस्फोटक मिश्रण में घर्षण होने से आतिशबाजी संरचना में चिंगारी प्रज्वलित हुई, अनधिकृत आतिशबाजी को त्योहार के लिए/ शादी के कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जाता था। रिहाइशी घर होने के कारण प्रज्वलन का संभावित स्त्रोत घरेलु उत्पाद हो सकता है।

गैस सिलेंडर नियम, 2004:-

1 **दिनांकः 29/11/2014 - स्थान :जिला :रायसेन (मध्य प्रदेश)**

मृत –कोई नहीं घायल –41

वाहन से सिलेंडर उतारने के दौरान सिलेंडर से क्लोरिन गैस के रिसाव होने से दुर्घटना घटित हुई । फिसलकर सख्त सतह पर गिरकर विस्फोटित हुआ ।गलत ढंग से हाथ में लेने से पर सिलेंडर वेल्व का क्षति होना दुर्घटना का संभावित कारण है

<u>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत :-</u>

<u>पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-</u>

1. **दिनांक : 19/04/2014 - स्थान : काटघोरा(छत्तीसगढ)**

   मृत - कोई नही, घायल - कोई नही

   मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड के पेट्रोलियम परिसर में एलओडी टैंक के ऊपरी हिस्से में पेट्रोलियम वाष्प के संचित होने के कारण बिजली का गिरना दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है

2. **दिनांक : 25/04/2014 - स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ)**

   मृत -03, घायल – कोई नही

   प्रोपेन और एलपीजी टैंकर में टक्कर होने के कारण एक दुर्घटना घटित हुई ।संभवत: तेजगति में गलत दिशा से आने के कारण पेट्रोलियम टैंकर और प्रोपेन टैंकर में जोरदारी की टक्कर हुई ।पेट्रोलियम टैंकर से पेट्रोलियम उत्पाद का रिसाव होने के कारण टैंकर ने आग पकड़ ली और और दोनों टैंकरों में आग लग गई, प्रज्वलन का संभावित स्त्रोत किसी एक वाहन का इंजन है

3. **दिनांक : 01/04/2014 - स्थान : गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)**

   मृत – कोई नही, घायल – कोई नही,

मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड के परिसर में एक दुर्घटना घटित हुई ।बिक्री कक्ष की बिल्डिंग रखे वोल्टेज स्टेवलाइजर में शोर्ट सर्किट होना दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है

4. दिनांक : 27/09/2014 - स्थान : बलिया (उत्तर प्रदेश)

मृत –11 घायल –02

पेट्रोलियम टैंक लॉरी में एक अग्नि/विस्फोटक दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का संभावित कारण किसी स्थानिय निवासी द्वारा लैंम्प को प्रज्वलित करना था। जब एक स्थानिय निवासी द्वारा लैंप जलाया गया था,तब टैंक लॉरी में पेट्रोलियम उत्पाद का स्पीलेज होने के कारण हाइड्रोकार्बन वाष्प का संचय हो गया जिससे उच्च तीव्रता का विस्फोट हुआ ।

5 दिनांक :08/11/2014 स्थान : जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

मृत – कोई नही, घायल – कोई नही,

मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड सर्विस स्टेशन में एक दुर्घटना घटित हुई । एमएस वाष्प के संचित होने के कारण एमएस डिस्पेंसर इकाई ने अंदर आग पकड ली,यह अनुमानित है कि ढीले तारों के कनेक्शन और केवल की गांठों का डिस्पेंसर कैविनेट के साथ लगे होने के कारण जो चिंगारी उत्पन्न हुई वह प्रज्वलन का मुख्य स्त्रोत बनी ।

6 दिनांक : 15/03/2015 स्थान : पन्की, कानपुर

मृत – 02 घायल – कोई नही,

पेट्रोलियम रोड टैंकर में उस समय जब वह सड़क किनारे की वेल्डिंग की दुकान पर ज्वलनशील मिश्रण का टैंक कंर्म्पाटमेंट के अंदर होने से और बिना गैस फ्री होने से अग्नि/विस्फोटक दुर्घटना घटित हुई ।टैंकर में विस्फोट हो गया और दो लोगों की उसी समय मौत हो गई ।

उत्तरी अंचल, फरीदाबाद

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:</u>

<u>विस्फोटक नियम, 2008</u>

1. दिनांक : 21/10/2014 - स्थान :फरीदाबाद

मृत – कोई नही , घायल – कोई नही

जिला प्राधिकरी द्वारा, अनुज्ञप्ति प्राप्त, फरीदाबाद के दशहरा मैंदान में स्थित अस्थायी आतिशबाजी की दुकान में अग्नि दुर्घटना घटित हुई । २०० से भी अधिक अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें जलकर राख हो गई, विस्फोटक नियमों की आवश्यक सुरक्षा मानदंडो का भी इन अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों द्वारा पालन नहीं किया गया था,किसी एक दुकान में बिजली की तारों में चिंगारी उत्पन्न होना प्रज्वलन का मुख्य स्त्रोत बना जिससे दूसरी अन्य दुकानों में भी आग फैल गई ।

2 दिनांक : 23/10/2014 स्थान :बाड़मेड़ (राजस्थान)

मृत –07 घायल – कोई नहीं

जिला प्राधिकरी द्वारा अनुज्ञप्त प्राप्त आतिशबाजी की दुकान में अग्नि और विस्फोटक दुर्घटना घटित हुई दुकान एक जनरल स्टोर की थी जो कि त्योहार के मौसम में आतिशबाजी की बिक्री करती थी ।कुछ आतिशबाजी जो दुकान के बाहर हो रही थी वह दुकान के अंदर आ गई और काउंटर के डिस्पले पर आतिशबाजी होना शुरू हो गई, दुकान में रखे आतिशबाजी के स्टोक में आग फैल गई़ा दुकान के मालिक तथा अन्य श्रमिकों ने हडबडाहट में दुकान के शटर बंद कर दिये जिससे 07 लोगो की दुकान के अंदर ही मौत हो गई़ा

गैस सिलेंडर नियम 2004 ,के अंतर्गत-:

1 दिनांक : 31/05/2104 स्थान : दिल्ली

मृत –01 , घायल – कोई नही

कार के सीएनजी सिलेंडर में ईधन भरवाते हुए एक दुर्घटना घटित हुई । सीएनजी सिलेंडर को कार में फिट करते समय वह फट गया तथा ब्लास्ट की वजह से शॉक वेव उत्पन्न होने के कारण अन्य चार कारों में भी क्षति पहुंची, सिलेंडर के निचले भाग का फटना दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

दिनांक :13/12/2014 स्थान : जयपुर (राजस्थान)

मृत - 10 घायल – 12

एक कंटेनर ट्रक मोटर बाइक को ले जाते हुए जिसमें प्रोट्रडिंग कैबिन था ब्यूटाडाइन रोड़ टैंकर के वैसल(डीसहेड एंड) के पीछले भाग से टकरा गया। ब्यूटाडाइन के रिसाव होने से वह उत्तरी दिशा में जहां से हवा चल रही थी फैल गया, जिससे वाष्प के बादल बन गए और बाहरी स्त्रोत से एक चिंगारी उत्पन्न हुई जो वाष्प में प्रज्वलन का कारण बनी और वाष्प के बादलों में विस्फोट होने से उसी स्थान पर 10 लोगों की मौत हो गई़ा

<u>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत :-</u>

पेट्रोलियम नियम 2002:-

1. **दिनांक : 20/06/2014 - स्थान : भटिंडा (पंजाब)**

   मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

वैक्यूम गैस ऑयल युनिट (वीजीओ) में आग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। 20 इंच मुख्य उत्पाद पाइपलाइन से जुड़े वाल्व के वेल्डोलेट वेल्ड से वीजीओ और हाइड्रोजन का प्रारंभिक रिसाव शुरू हुआ। रिसाव के कारण आसपास, वाष्प के बादल जमा हो गए । तभी अचानक दबाव के कारण वेल्डिंग की एक परत की छिल से गर्म वीजीओ (अपने ऑटो इग्निशन तापमान से ऊपर) वातावरण के ऑक्सीजन के संपर्क में आया और विस्फोट के साथ आग लग गई़। आग 5 घंटे के भीतर ही नियंत्रित की गई थी। पाइप स्पूल के नीचे के हिस्से में स्थित ¾ इंच वेल्डोलेट और 20 इंच पाइप स्पूल के बीच के वेल्ड जॉईंट

की विफलता की वजह से दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना वेल्ड और उसके फिट-अप की खराब गुणवत्ता और इंटरपासेस के बीच प्फयूजन की कमी के कारण हुई।

2. **दिनांक : 12/07/2014 - स्थान : नई दिल्ली**

   मृत - कोई नही, घायल – 1

   कार में ईधन भरवाते हुए एक दुर्घटना घटित हुई। घटनाक्रम के विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कार ने ईंधन की नोजल डिस्पेंसर के साथ ही जो ईंधन टैंक के अंदर ही थी चलना शुरू कर दिया था ।पेट्रोलियम के बहाव होने के कारण आग लग गई, पेट्रोलियम वाष्प मे पास ही किसी वाहन या डिस्पेंसर के गुजरने से जो चिंगारी उत्पन्न हुई वह दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

3. **दिनांक :16/01/2015 स्थान : नई दिल्ली**

   मृत –कोई नही घायल – 01

   चेनेज में 12"डीइएसयू मारूति के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में 16.8 किलोमीटर के मध्य एस वी-10 और एस वी-11 को विभाजित करती मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड बैनिटो जौरज मार्ग- रिंग रोड वैकटेशवर कॉलेज, सत्यनिकेतन, चौराहे के पास, नई दिल्ली, मे एक दुर्घटना घटित हुई। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और उसका आवरण ड्रिलींग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया और रिसाव हुई गैस में प्रज्वलन के कुछ बाहरी स्त्रोतों से आग लग गई। प्रज्वलन का संभावित कारण किसी वाहन का रिसाव क्षेत्र के पास से गुजरना था जिससे चिंगारी उत्पन्न हुई ।

पूर्वांचल, कोलकाता

<u>पेट्रोलियम अधिनियम 1934</u>

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 03/08/2014- स्थान: कटक,उडीसा।**

   मृत - कोई नही, घायल – 01

   श्री जगन्नाथ इंजीनियरिंग वर्क्स के फेब्रिकेशन शॉप में एक टैंक लॉरी को सुधार के लिए ले जाते समय अग्नि/विस्फोटक दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का संभावित कारण कम्पार्टमेंटस में पेट्रोलियम ज्वलनशील वाष्प की उपस्थिति हैा जो वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान प्रज्वलित हो गई जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हो गया।

2. **दिनांक : 01/09/2014 स्थान: जिला सिबसागर,असम**

   मृत -07, घायल – 03

   मेसर्स असम गैस कंपनी लिमिटेड में 12 दुलिअजुन-नामरूप-मौरन में प्राकृतिक गैस के फटने से अग्नि दुर्घटना घटित हुई। पाइपलाइन फटने का मुख्य कारण जंग के गठन का घनीभूत होने है।गैस के साथ घनीभूत होने के कारण पाइपलाइन टूट गया ।

3 **दिनांक : 20/11/2014- स्थान: जिला,जगतसिंहपुर-ओडिशा ।**

मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

एक पेट्रोलियम रोड टैंकर में अग्नि दुर्घटना घटित हुई। पेट्रोलियम टैंकर 30 मीटर की तेजी से भी ज्यादा सडक पर पलटा और स्कीड हुआ । जो टैंक लॉरी पर सामान लदा हुआ था वह तुरंत ही सडक के उपर गिर गया और हवा के साथ एक ज्वलनशील मिश्रण बन गया संम्भवत: कॉनक्रीट की सडक के ऊपर टैंक लॉरी स्कीड हुई ओर उससे एक चिंगारी उत्पन्न हुई या खुली सडक पर विस्फोटक के किसी अन्य स्त्रोत के कारण चिंगारी उत्पन्न हुई हो ।

4: **दिनांक : 21/11/2014 स्थान: जिला सिबसागर,असम**

मृत - कोई नही, घायल –कोई नही

मेसर्स ऑईल इंडिया लि. की इलेक्ट्रोस्टेटिक इमलशन ट्रीटर(ईईटी) में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना का संभावित कारण मुख्य बर्नर में गैस का बहाव है जो शायद लगातार बहती रही और जिससे बर्नर मैगनेट सिस्टम तथा तापमान में खराबी आ गई,जिसका परिणाम यह हुआ की चैम्बर के अंदर गैस इकट्ठी हो गई और पाइलेट बर्नर विस्फोटक का स्त्रोत बना ।

5- दिनांक : 29/11/2014 स्थान: जिला: 24-परगना(वेस्ट बंगाल)

मृत - कोई नही, घायल –कोई नही

टोल्यूनि से निपटते समय मेसर्स चन्द्रा केमिकल इंटरप्राइजेज प्र.लि.के कारखाने में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना का संभावित कारण साधारण इलेक्ट्रीक मोटर ड्रम से टोल्यूनिक को उठाने के इस्तेमाल से हुआ जिसकी वजह से पेट्रोलियम का मंथन हुआ और अग्नि दुर्घटना घटित हुई।

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा

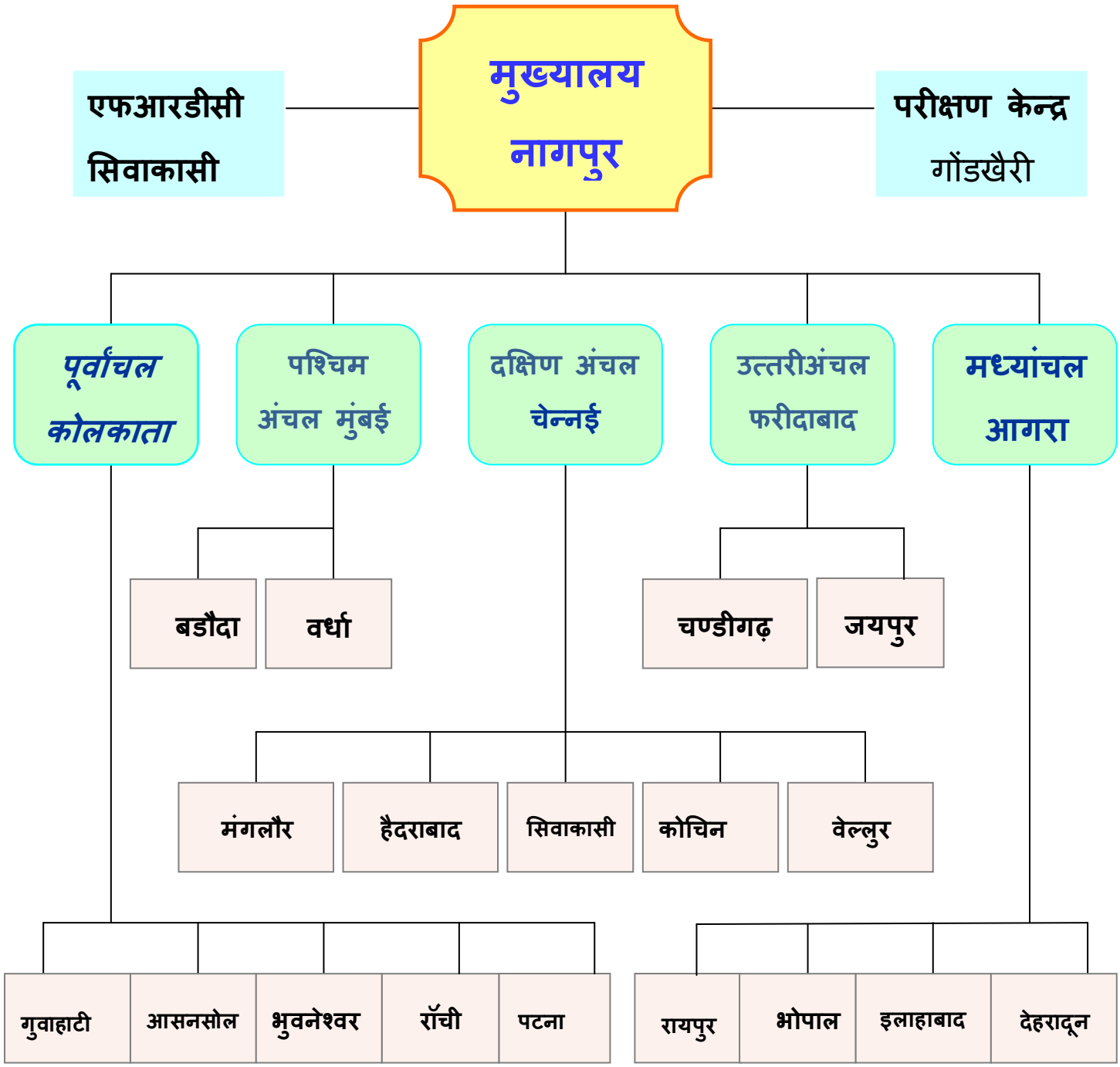

परिशिष्ट - 2

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अंचल तथा उप-अंचल कार्यालयों के क्षेत्राधिकार

संख्या	अंचल तथा उपअंचल कार्यालय के नाम	पता	क्षेत्राधिकार	टेलिफोन और फॅक्स नं.
क.	मुख्यालय	ई मेल :- explosives@explosives.gov.in	वेबसाईट :- http://peso.gov.in	
01	नागपुर	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, ब्लॉक-'ए', पॉचवा तल, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006	समस्त भारत	एस.टी.डी कोड :0712 दुरभाष : 2510103 2510580, 2510459 2510389, 2510579 2512006,2510072, 2512091,2510139, 2512093,2512094, 2511512, 2512257 इपीएबीएक्स:2510248 फैक्स : 2510577
ख.	पश्चिम अंचल	ई मेल :- jtccemumbai@explosives.gov.in		
01	नवी मुम्बई	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 'ए-1' ओर 'ए-2' विंग, पॉचवा तल, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, सी.बी.डी.बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (महा.)	गुजरात, वाशिम, हिंगोली, अकोला, परभणी, महाराष्ट्र, गोवा दमन और दिव, दादरा और नगर हवेली	एस.टी.डी कोड : (022) दुरभाष :27564941, 27573881 इपीएबीएक्स:27575946 फैक्स :27575967
उपअंचल कार्यालय				
02	बडौदरा	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 8वा तल, यशकमल बिल्डिंग, सयाजीगंज, बडौदा-390020	गुजरात	एस.टी.डी कोडः (0265) दुरभाष : 2361035, 2225159 फैक्स : 2225952
उपअंचल कार्यालय				
03	वर्धा	विस्फोटक नियंत्रक, प्लाट नंबर - 36 तथा 37, वार्ड नंबर 18, राठी लेआउट, राष्ट्रभाषा रोड, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र के वर्धा, यवतमाल, नांदेड, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली, भंडारा जिले	एस.टी.डी कोडः(07152) दुरभाष : 245006, फैक्स : 230370
ग.	पूर्वांचल, कोलकाता	ई मेल :- jtccekolkata@explosives.gov.in		
01	कोलकाता	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक,8-एक्सप्लेनेड पूर्व,	पश्चिम बंगाल, बिहार, उडिशा, असम, मनीपुर,	एस.टी.डी कोड : (033) दुरभाष : 22480427,

		पहली मंजिल, कोलकता-700 069 (पश्चिम बंगाल)	त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालेंड, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	22486600, 22489524, 22420686 फैक्स : 22439322
	उपअंचल कार्यालय			
02	आसनसोल	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 93 शशिभुषण गोराई रोड, पो.ऑ. आसनसोल, जिला बर्दवान-713301 (प.बं.)	बर्दवान के बांकुरा, बर्दवान और पुरूलिया, (पश्चिम बंगाल), जिले	एस.टी.डी कोड: (0341) दुरभाष : 2283967 फैक्स : 2283834
	उपअंचल कार्यालय			
03	गुवाहाटी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जी.एन.बी. रोड, भवन मैसन के पास, चौथी मंजिल, पंचवटी, सीलपुखारी, गुवाहाटी-781003 (असम)	असम, सिक्किम, मनिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम	एस.टी.डी कोड: (0361) दुरभाष : 2662783 फैक्स : 2662503
	उपअंचल कार्यालय			
04	रांची	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री मोहन बिल्डिंग, सीता कंपाउंड, 5, मेन रोड, सुशीला ऑटोमोबाइल्स के पिछे, रांची 834001 (झारखंड)	झारखंड	एस.टी.डी कोड : (0651) दुरभाष :2332689, 2332690 फैक्स : 2332688
	उपअंचल कार्यालय			
05	भुवनेश्वर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफ-35/ए, बीजेबी नगर, भुवनेश्वर-751014 जिला खुर्दा, ओडीशा	उडीसा	एस.टी.डी कोड: (0674) दुरभाष : 2433370, 2433390 फैक्स : 2430656
	उपअंचल कार्यालय			
06	पटना	विस्फोटक नियंत्रक, पहली मंजिल, महावीर कॉम्प्लेक्स, आदर्श कालोनी, रोड नं. 2, खेमनीचौक, पो.ऑ. न्यू जनानपुरा, पटना 800027	बिहार	एस.टी.डी कोड : (0612) दुरभाष : 2390914 फैक्स : 2390913
घ.	दक्षिण अंचल, चेन्नई	ई मेल :- jtccechennai@explosives.gov.in		

01	चेन्नई	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 'ए' और 'डी' विंग, ब्लॉक 1-8, द्वितीय तल, शास्त्री भवन, 26 हेडौस रोड, चेन्नई - 600 008 (तमिलनाडू)	तामिलनाडू, कर्नाटक, केरल, आंधप्रदेश, पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप द्वीपसमूह	एस.टी.डी कोड : (044) दुरभाष : 28515464, 28419529, 28429945-47, 28515464 फैक्स : 28514848
	उपअंचल कार्यालय			
02	एर्नाकुलम	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सी-2, 3 रा माला, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सीएसईजेड के सामने, काक्कानाड, एरनाकुलम, कोची-682037 (केरल)	केरल,पाण्डिचेरी संघशासित क्षेत्र के अंतर्गत माहे	एस.टी.डीकोड : (0484) दुरभाष :, 2427286 फैक्स : 2427276
	उपअंचल कार्यालय			
03	मंगलौर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दूसरी मंजिल, सिटी सेंटर, हॉटेल रूपा के सामने, बलमाता रोड, मंगलौर-575001 (कर्नाटक)	कर्नाटक	एस.टी.डी कोड: (0824) दुरभाष : 2420167, 2441588 फैक्स : 2423937
	उपअंचल कार्यालय			
04	सिवाकासी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफआरडीसी, ईएसआई अस्पताल के पिछे, सिवाकासी पश्चिम, सिवाकासी 626124 (तमिलनाडू)	तमिलनाडू के रामनाथपुरम, मदुराई, तिरूनेलवेली, तंजावूर, थेनी, कन्याकुमारी, विरूदुनगर, टुटीकोरीन, मदुराई, डिन्डीगुल और नागापट्टीनम जिले	एस.टी.डी कोड : (04562) दुरभाष : 254353, 254253 फैक्स : 255233
	उपअंचल कार्यालय			
05	वेल्लूर	विस्फोटक नियंत्रक, प्लॉट नं ए2/118, दरवाजा नंबर 3, 5 ईस्ट क्रॉस रोड, गांधी नगर टाउन पंचायत, कट्पडी तालुका, वेल्लूर जिला - 632006 (तमिलनाडू)	तमिलनाडु के वेल्लूर धरमपुरी, तीरूवंनामलम, सालेम, ब्रोडे और कोईबंतुर जिले	एस.टी.डी कोड : (0416) दुरभाष : 2241642 फैक्स : 2242513
	उपअंचल कार्यालय			
06	हैदराबाद	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, रूम सं 602, छठी मंजिल, सीजीओ टावर्स,	आंध्रप्रदेश, संघशासित क्षेत्र पांडीचेरी के अंतर्गत येनम	एस.टी.डी कोड : (040) दुरभाष : 27540359, 27547863

		कवाडीगुडा, सिकंदराबाद 500080 (आंध्रप्रदेश)		फैक्स : 27547803
ङ.	मध्यांचल	ई मेल :- jtcceagra@explosives.gov.in		
01	आगरा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 63/4, ए-विंग, दुसरी मंजील, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संजय पॅलेस, आगरा-282 002 (उ.प्र.)	उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल और छत्तीसगढ	एस.टी.डी कोड: (0562) दुरभाष : 2521322, 2523244, 2523266 फैक्स : 2527436
	उप अचंल कार्यालय			
02	इलाहाबाद	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सेक्टर-1, भवन नं. 66, लाजपत राय रोड, इलाहाबाद-211 001 (उ.प्र.)	उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आंबेडकर नगर, आजमगढ, बहराइच, बलरामपूर, बलियां, बारांबाकी, बस्ती, भदौली, चंदौली, देवरीया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंदा, गोरखंपुर, हरदोई, जौनपुर, कबीरनगर, कौशम्बी, लखीमपुर, खेरी, लखनउ, मिर्जापुर, मउ, महाराजगंज, प्रतापगढ, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सितापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, जिले	एस.टी.डी कोड: (0532) दुरभाष : 2250329, 2441491 फैक्स : 2644964
	उपअंचल कार्यालय			
03	भोपाल	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ई-7/41, भूतल और प्रथम तल, लाला लाजपत राय सोसायटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016 (म.प्र.)	मध्यप्रदेश	एस.टी.डी कोड: (0755) दुरभाष : 2420775, 2445270 फैक्स : 2429997
	उपअंचल कार्यालय			
04	देहरादून	विस्फोटक नियंत्रक, इंदिरा नगर, एशियन स्कूल के पास, देहरादून 248006, उत्तराखंड	उत्तराखंड	एस.टी.डी कोड:(0135) दुरभाष : 2769780 फैक्स : 2769794
05	रायपुर	विस्फोटक नियंत्रक, अवंती	छत्तीसगढ़	एस.टी.डी कोड:(0771)

		विहार कालोनी, मेन रोड, पोस्ट शंकर नगर, रायपुर - 492007, छत्तीसगढ़		दुरभाष : 2442204 फैक्स : 2442204
च.	उत्तरी अंचल कार्यालय jtccefaridabad@explosives.gov.in			
01	फरीदाबाद	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हॉल नं. 502, 507, लेवल 5, ब्लॉक - बी, पुराना सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)	दिल्ली, जम्मु, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़	एस.टी.डी कोड:(0129) दुरभाष : 2410730, 241770, 2410732, 2410734, 2410731, 2421388 फैक्स : 2410733
	उपअंचल कार्यालय			
02	चंडीगढ़	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, शॉप कम ऑफिस बिल्डींग, 1134/1135, सेक्टर-22/बी, चंडीगढ़ - 160002	पंजाब, जम्मू और कश्मिर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़	एस.टी.डी कोड :(0172) दुरभाष : 2702586, 2727234 फैक्स : 2725839
	उपअंचल कार्यालय			
03	जयपुर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आम्रपाली रोड, आम्रपाली पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302004	राजस्थान	एस.टी.डी कोड: (0141) दुरभाष : 2356731, 2356781 फैक्स : 2350279
छ.	परिक्षण केंद्र			
01	गोंडखैरी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विभागीय परीक्षण केंद्र, 18 किमी, अमरावती रोड, पोस्ट गोंडखैरी, नागपुर-440023 (महा)	नागपुर, अमरावती	एस.टी.डी कोड:(07104) दुरभाष : 280374, 280305 फैक्स : 280565
ज.	आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, (एफ.आर.डी.सी.)			
01	सिवाकासी	आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, ग्राम - अनैयुर, सिवाकासी (पश्चिम), जिला- विरूधुनगर 626124 (तामिलनाडु)	-	एस.टी.डी कोड : (04562) दुरभाष : 254402 फैक्स : 254404

वेतन तथा लेखा कार्यालय

01	नागपुर	वेतन तथा लेखा अधिकारी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-सी, पहिली मंजिल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006 (महा)	-	एस.टी.डी कोड: (0712) दुरभाष : 2510819 फैक्स : 2510819

परिशिष्ट-03

संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद

पद का नाम	मुख्यालय	डी.टी.एस. गोंडखैरी	एफआर डीसी	चेन्नई	कोलकाता	फरिदाबाद	आगरा	मुंबई	उप-अंचल कार्यालय	कुल
मु.वि.नि.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
सं.नि.वि.मु.	2	0	0	1	1	1	1	1	0	**7**
उप मु.नि.वि.	4	0	1	1	1	1	1	1	13	**23**
वि.नि.	6	1	1	5	4	4	4	5	16	**46**
उप वि.नि.	2	1	2	7	6	3	4	6	29	**60**
प्र.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
ले.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
निजी सचिव	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
हिन्दी अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	0	3	2	0	0	0	0	0	0	**5**
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
आशुलिपिक-I	4	0	0	1	1	1	1	2	0	**10**
कार्यालय अधिक्षक	4	0	0	3	3	3	3	3	0	**19**
सहायक	9	1	0	2	2	3	2	2	13	**34**
पुस्त. सहायक.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
लेखापाल	1	0	0	1	1	1	1	1	0	**6**
उ.लि.श्रे.	12	2	1	9	8	4	5	9	21	**71**
नि.लि.श्रे.	18	1	1	5	3	3	4	4	19	**58**
आशुलिपिक --II	2	1	0	1	1	1	1	1	13	**21**
आशुलिपिक -III	1	0	1	2	1	1	1	1	13	**21**
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	0	4	2	0	0	0	0	0	0	**6**
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	0	0	0	1	1	1	1	1	0	**5**
चालक	2	1	1	1	1	1	1	1	13	**22**
ग्रुप डी	10	5	4	5	5	4	5	5	16	**59**
कुल	**84**	**20**	**16**	**45**	**39**	**32**	**35**	**43**	166	**480**

परिशिष्ट -04

वर्ष 2013-2014 के दौरान विस्फोटकों का उत्पादन

क्रं	विवरण	वर्ग	उत्पादन किलो/मीटर/संख्या
1	गन पावडर	1 प्रभाग 0	549
2	नाईट्रेट मिश्रण	2 प्रभाग 0	269999
3	एस एम ई	2 प्रभाग 0	519878
4	पीईटीएन + कास्ट बुस्टर	3 प्रभाग 2	6186
5	सेफ्टी फ्यूज	6 प्रभाग 1	74
6	डिटोनेटर फ्यूज	6 प्रभाग 2	427
7	डिटोनेटर	6 प्रभाग 3	1031
8	माइक्रो कॉर्ड	7 प्रभाग 3	106261

परिशिष्ट -05

वर्ष 2014-15 में विस्फोटकों का उत्पाद

क्र. संख्या	विस्फोटकों	वर्ग	मात्रा मेट्रिक टनए मिलियन मीटरए मिलियन संख्या में
1	बारूद	1 प्रभाग.0	535.0
2	नाइट्रेट मिश्रण	2 प्रभाग.0	344146.0
3	एस एम ई	2 प्रभाग.0	604234.0
4	पीईटीएन+कास्ट बुस्टर	3 प्रभाग.2	7015.0
5	सुरक्षा फ्यूज	6 प्रभाग.1	68.6
6	डेटोनेटर फ्यूज	6 प्रभाग.2	457.7
7	डेटोनेटर (सभी प्रकार के)	6 प्रभाग.3	906.6
8	माइक्रो कोर्ड	7 प्रभाग.3	209109

विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात

<u>आयात</u> :-

वर्ष 2014-2015 के दौरान शॉर्ट डिले डिटोनेटर तथा विशिष्ट प्रकार के विस्फोटकों के आयात के लिये **119 अनुज्ञप्तियां** प्रदान की गयी, जिनका प्रयोग आईल इंडिया लि., केर्न एनर्जी इंडिया लि., बी.जी.एक्प्लोरेशन अण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि., एचएलएस एशिया लि., आईल एण्ड नॅचरल गैस कॉर्पोरेशन लि., नीको रिसोर्सेस लि., रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि., जीओइन्फ्रो पेट्रोलियम लि., ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉ. लि., जोशी टेक्नोलॉजीज इन्टरनॅशनल इंक., श्लुमबरजर एशिया सर्व्हीसेस लि., गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉ. लि., इलेक्ट्रोनीक्स कॉप. ऑफ इंडिया लि., इंडियन एक्स्प्लोझिव्स लि., राजस्थान एक्स्प्लोझिव्स एण्ड केमिकल लि., आयडियल डिटोनेटर प्रा. लि., सेलन एक्स्प्लोरेशन टेक्नोलॉजी लि., फोकस एनर्जी लि., प्रीमिअर एक्स्प्लोझिव्स लि., ओएओ "गॅसप्रोम", प्रीमिअर आइल (नार्थ ईस्ट इंडीया) बीवी, इसार आइल लि., एण्ड मरीन सेफ्टी प्रोडक्ट्स, एएस मोलूभोय एण्ड सन्स, एसएचएम शिपकेयर फॉर शिपिंग

सिग्नल्स (पायरोटेक्निक्स) और सृजन सिस्टम प्रा.लि. पायरोटेक्नीक स्केयर कारट्रेजेस के प्रयोग हेतु (एण्टी बर्ड डिवायसेस), एअर पोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया एण्ड एअर फोर्स स्टेशन के उपयोग के द्वारा किया गया ।

निर्यात :-

वर्ष 2014-2015 के दौरान **341 अनुज्ञप्तियां** निर्यात के लिये जारी की गई । निर्यात किए गए विस्फोटको का मूल्य **रू 174.47 करोड** था ।

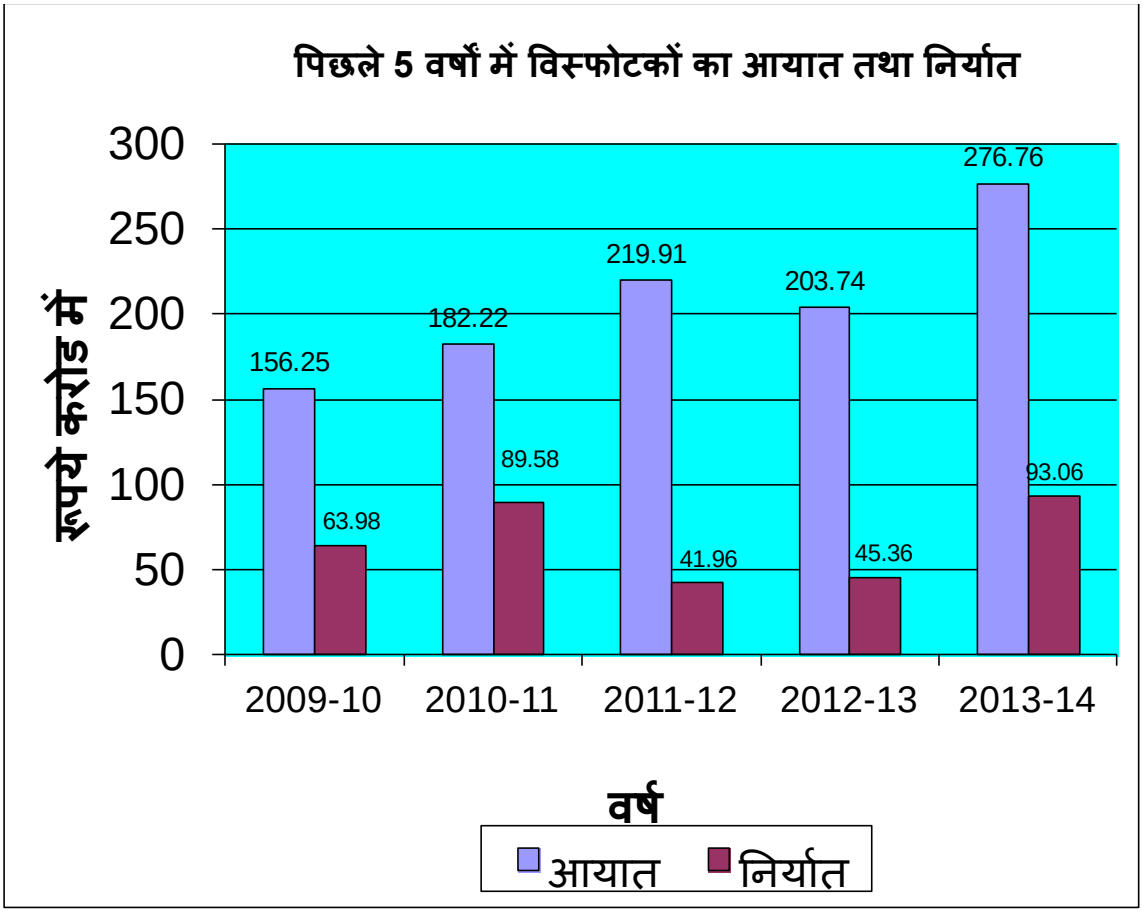
पिछले 5 वर्षों में विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात
रुपये करोड में
300
250
200
150
100
50
0
156.25
63.98
182.22
89.58
219.91
41.96
203.74
45.36
276.76
93.06
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
वर्ष
आयात
निर्यात

परिशिष्ट -06

वर्ष 2014-2015 के दौरान विस्फोटकों का नष्टीकरण

वर्ग -1	62.99 कि.ग्रा.
वर्ग -2	113607.92 कि.ग्रा.
वर्ग -3 प्रभाग 2	87.75 कि.ग्रा.
वर्ग -6 प्रभाग 1	16629.76 मीटर
वर्ग -6 प्रभाग 1 (संख्या)	1520 संख्या
वर्ग -6 प्रभाग 2	153297.48 मीटर
वर्ग -6 प्रभाग 2(संख्या)	1205 संख्या
वर्ग -6 प्रभाग 3	1498272 संख्या
वर्ग -7 प्रभाग 2	7065.83 कि.ग्रा.
वर्ग -7 प्रभाग 2 (2)	8021 संख्या
अमोनियम नाइट्रेट	5627.05 कि.ग्रा.

परिशिष्ट -07

गैस सिलेण्डर्स, वाल्व तथा रेगुलेटर्स का उत्पादन, आयात और निर्यात

<u>गैस सिलेण्डर तथा वाल्व:</u>

वर्ष, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान सिलेण्डर वाल्व तथा रेग्युलेटरों के उत्पादन का तुलानात्मक विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. संख्या	**उत्पाद का विवरण**	**वर्ष के दौरान विनिर्मित (संख्या)**		
		2012-13	**2013-14**	**2014-15**
1.	निम्नलिखित के लिए वेल्ड किये हुए लोड कार्बन स्टील गैस सिलेण्डर :			
क.	एलपीजी	28,09,740	8,261,195	10,656,085
ख.	डिजॉल्ड ऐसीटिलीन गैस	1,680	398	817
ग.	अन्य कम दाब वाली द्रवित गैस	1,11,900	7037	2672
	योग (क+ख+ग)	**29,23,320**	**82,68,630**	**10,659,574**
2.	**कम दाब वाले द्रवित गैस के लिए वेल्डेड बडे कन्टेनर**	**11,400**		**300**
3.	स्थायी तथा उच्च दाब के द्रवित गैस के लिए सीमलेस स्टील सिलेण्डर	**9,15,566**	**6,90,656**	**7,28,530**
4.	निम्नलिखित के लिए वाल्व:			
क.	एलपीजी सिलेंण्डर	65,11,640	3,09,84,685	3,28,92,276
ख.	अन्य गैस सिलेण्डरों के लिए	9,38,650	97,594	56,808
	योग (क+ख)	**74,50,290**	**3,10,82,279**	**3,29,49,084,**
5.	कम दाबवाले द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर	41,20,300	93,91,814	10,327,945

<u>सिलेण्डरों का आयात</u> :

व्यापार तथा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाई प्यूरिटी पर्मनेन्ट गैस तथा गैस मिश्रण सिलेण्डरों में भरकर आयात करने की आवश्यकता होती है । इसलिए विभिन्न देशों से अधिक मात्रा में सिलेण्डरों के आयात के लिये स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है । वर्ष 2014-2015 के दौरान विभिन्न गैसो/गैस मिश्रण से भरे 44,637सिलेण्डरों के आयात तथा ऑटोमोबाइल में प्रयोग हेतु खाली सीएनजी सिलेंडर सहित संपीडित गैस से भरने हेतु 48,335 खाली सिलेण्डरों के आयात के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई ।

<u>सिलेण्डरों का निर्यात</u> :

वर्ष 2014-2015 के दौरान कुल 2,98,318 भरे हुए सिलेण्डर्स का निर्यात हुआ ।

<u>वाल्व तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर्स का निर्यात</u> :

कुल 1,30,150 वाल्व तथा 1,10,600 एलपीजी रेग्युलेटर्स का वर्ष 2013-2014 के दौरान निर्यात किया गया ।

<u>सिलेण्डर्स में भरे संपीडीत गैस का निर्यात</u> :

वर्ष 2014-2015 के दौरान 54,738 खाली सिलेण्डर्स/कन्टेनर्स को आयात करके तथा गैस से भरकर पुन: निर्यात किया गया ।

परिशिष्ट-8

वॉल्व विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं	कंपनियों के नाम तथा पते
1.	मेसर्स आकाश इंडसट्रिज, ए0-11, अमृत स्टील कम्पाउंड, एसएसजीटी रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद- 201001 (यू.पी.)
2.	मेसर्स एस.वी. इंजीनियरिंग, 139/15, मोहकमपुर इंडस्ट्रियल एरिया , फेज-1, दिल्ली रोड,मेरठ- 250003 (यू.पी.)

परिशिष्ट -09

एलपीजी सिलेण्डर्स के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान अनुमोदित)

क्रम. सं.	पार्टी का नाम तथा पता
1.	मेसर्स एसएम सन पॉवर लिमिटेड बी-4, साइट-4, यूपीएसआइडीसी औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद गाजियावाद, यू.पी.-201010
2.	मेसर्स डेकिनी हैल्थ फूड्स, 2 तल, डी-14, प्रीत विहार, दिल्ली- 110092
3.	मेसर्स श्री कृष्णा पैकजिगं, विल:-जौहरन, त्रिलोकपुर रोड, कला एम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमोर - 173030(हिमाचल प्रदेश)
4.	मेसर्स मित्तल वेसलस (प्रा.) लिमिटेड, 7वां केएम स्टोन, भोपा रोड, मुज्र्जफनगर, यू.पी.- 251001
5.	मेसर्स प्रोग्रेसिव्स इंडसट्रिज, गांव ओगलि, कला एम्ब, जिला सिरमोर, (हिमाचल प्रदेश) पिन-173030

6.	मेसर्स गुप्ता एग्री केयर प्रा. लि., बी- 12,13, 14, इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट, जिला संगरूर- 148001 (पंजाब)

एलपीजी रेगुलेटर्स के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	पार्टी का नाम तथा पता
1	मेसर्स एसएम सन पॉवर लिमिटेड बी-4, साइट-4, यूपीएसआइडीसी उद्योगिकी क्षेत्र, साहिबावाद, गाजियाबाद , यू.पी.-201010
2	मेसर्स डेकिनी हैल्थ फूड्स, 2 तल, डी-14, प्रीत विहार, दिल्ली- 110092
3	मेसर्स श्री कृष्णा पैकजिगं, विल:-जौहरन, त्रिलोकपुर रोड, कला एम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमोर - 173030(हिमाचल प्रदेश)
4	मेसर्स मित्तल वेसलस (प्रा.) लिमिटेड, 7वां केएम स्टोन, भोपा रोड, मुर्ज्जफनगर, यू.पी.- 251001
5	मेसर्स प्रोग्रेसिव्स इंडसट्रिज, गांव ओगलि, कला एम्ब, जिला सिरमोर, (हिमाचल प्रदेश) पिन-173030
6	मेसर्स गुप्ता एग्री केयर प्रा. लि., बी- 12,13, 14, इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट, जिला संगरूर- 148001 (पंजाब)

परिशिष्ट -10

ऑटो एलपीजी कंटेनर के विनिर्माताओं की सूची

(01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	शून्य

वाल्व के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	शून्य

परिशिष्ट -11

अनुमोदित दाबपात्र फैब्रीकेटर की सूची
(01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	मेसर्स आर्शीवाद कार्बोनिक (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, बी-90/ए1, शिवम अर्पाटमेंट-।।, शालिमार गार्डन एक्सटेंशन-।।, साहिबावाद,गाजियावाद-201005
2.	मेसर्स दिश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केएच नंबर 39/25,40/21, हनुमान लेन, रानी खेरा रेलवे एक्स विंग, के पास मुण्डका, नागलोई, दिल्ली-110041
3.	मेसर्स शैल-एन-ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, 3 गुलमोहर ऑकिडस, 29/37, सहने सुजान पार्क लूलानगर, पूणे- 411040
4.	मेसर्स एल एडं टी हाइड्रो कार्बन इंजिनियरिंगि लिमिटेड, एमएफएफ ईपीसी ब्लाक, सूरत हजिरा रोड, हजिरा,जिला, सूरत -394510

परिशिष्ट -12

01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान
जारी की गई एसएमई/एएनएफओ अनुज्ञप्तियां

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता	अनुज्ञप्ति संख्या
1	मे.इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/24(ई55040)
2	मे.प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड	ई/एचक्यू/टीजी/एसएम/21(ई58904)
3	मे.ब्लेक डाइमंड एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/18(ई68362)
4	मे.सोलर इंडसट्री इंडिया लिमिटेड	ई/एचक्यू/टीजी/एसएम/20(ई71271)
5	मे.सोलर इंडसट्री इंडिया लिमिटेड	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/16(ई79713)
6	मे.सोलर इंडसट्री इंडिया लिमिटेड	ई/एचक्यू/आरजे/एसएम/11(ई79717)
7	मे. इंडिया एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड	ई/एचक्यू/आरजे/एसएम/10(ई79718)
8	मे. भारत अलमोनियम कंपनी लिमिटेड	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/23(ई80287)
9	मे.सोलर इंडसट्री इंडिया लिमिटेड	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/14(ई82514)
10	मे.रेजिंसीस इंडसट्री प्राइवेट लिमिटेड	ई/एचक्यू/टीजी/एसएम/22(ई83506)
11	मे. छेत्तीनद सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ई/एचक्यू/टीएन/एसएम/5(ई84223)
12	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट कोटपूतली सीमेंट वर्क्स)	ई/एचक्यू/आरजे/एसएम/12(ई85394)

परिशिष्ट -13

2014-2015 के दौरान पेट्रोलियम वेसल्स के परीक्षण

मुंबई, अलंग (गुजरात), कोलकाता, विशाखापट्टनम, मंगलौर, चेन्नई तथा कोचिन बंदरगाह पर स्थित पेट्रोलियम टैंकर वेसल्स के ऑईल टैंक पंप रूम, आदि के परीक्षण के पश्चात इस संस्थान के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014-2015 के दौरान 2369 गैस-फ्री प्रमाणपत्र जारी किये गए ।

यद्यपी शिप ब्रेकिंग याईस में पुरजे खोलकर तथा काटकर तोडने के लिए योग्य टँकर, पेट्रोलियम वहन पात्र नही है, फिर भी इससे जुडे/ संबंधित खतरो तथा कामगारो की सुरक्षा को देखते हुए, संगठन, डॉक एन्ट्री तथा मॅन एन्ट्री के प्रयोजन के लिए गैस-फ्री कंडीशन्स के जाँच तथा परीक्षण के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है । इससे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को बढने तथा विश्व के दुसरे सबसे बडे रूप मे विकसित होने मे मदद हुई है ।

<u>न्यायालय में उपस्थितिः</u>

वर्ष 2014-2015 के दौरान विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोजन के मामलो में इस संगठन के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों ने **56** मौको पर अदालतों मे एक्स्पर्ट तकनिकी साक्ष्य दी।

परिशिष्ट -14

01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान
रिफाइनरियों के कार्य

अनु .क्र.	परिष्करण शाला (रिफायनरी) का नाम	क्रुड ऑयल प्रोसेस्ड/ निर्माण	स्थापित क्षमता	एलपीजी निर्माण	एलपीजी का विपणन	दुर्घटनाओं की संख्या	निर्यात	
		एमएमटी	एमएमटी	एमएमटी	एमएमटी		संख्या (एमटी में)	मूल्य (करोड में)
1.	आयसोसीएल, दिगबोई	0.62	0.65	0.006	0	0	0	0
2.	आयओसीएल, पानीपत	14.2	15	0.67	0	0	0	0
3.	आयओसीएल, गुवाहाटी	1. 0	1.0	0.04	0.04	0	0	0
4.	आयओसीएल, बरौनी	5.94	6	0.29	0.29	0	0.85	5685
5.	आयओसीएल, हल्दीया	7.6	7.5	0.25	0.25	0	0.18	0
6	आयओसीएल, वडोदरा	12.8	13.7	0.26	0.43	0	0	0
7	आयओसीएल, मथुरा		8					
8	आयओसीएल, बोंगईगांव	2.4	2.3	0.052	0.052	0	0	0
9	एचपीसीएल, मुंबई	7.4	6.5	0.38	0.37	2	0	0
10	एचपीसीएल, वैजाक	8.7	8.3	0.43	0.43	06	0.68	2838.12
11	बीपीसीएल, मुंबई	0	12	0.42	0	0	1.3	4968
12	एस्सार ऑईल लि.	20.94	20	0.77	0.76	0	0	0
13	बीपीसीएल कोच्ची रिफायनरी	10.35	9.5	0.52	0	0	0.67	2348.58
14	सीपीसीएल लि. कावेरी बेसिन रिफायनरी	0.58	1	0.5	20.52	0	0	0
15	सीपीसीएल, मनाली	10.78	10.5	00	00	0	0	0
16	नुमालीगढ रिफायनरी आसाम	2.78	3.0	00	00	0	0	0

17	आरआयएल जामनगर एसईझैड रिफायनरी डिवीजन	37.15	35.2	0.87	0.87	0	31.16	14872
18	डीटीए रिफायनरी डिवीजन	30.86	33	0.39	0.39	0	9.92	44067
19	एमआरपीएल	14.65	15	0.50	0.49	0	4.9	0
20	भारत ओमान रिफायनरी	00	6	0.19	0.19	0	0	**0**
21	एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड	7.3	9	0.55	0.55	1	0	0
22	ओएनजीसी लिमिटेड, ताटीपाका रिफाइनरी	0.0015	0.06	0	0	0	0.006	20.40
	योग	**95.60**	**223.21**	**7.10**	**5.63**	**9.0**	**49.66**	**74799.1**